मेन्स आंसर राइटिंग

(Consolidation)

अगस्त 2024

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-1 3

- इतिहास 3
- भारतीय समाज 4
- भूगोल 6
- भारतीय विरासत और संस्कृति 9

सामान्य अध्ययन पेपर-2 13

- राजनीति और शासन 13
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 19
- सामाजिक न्याय 24

सामान्य अध्ययन पेपर-3 26

- अर्थव्यवस्था 26
- आंतरिक सुरक्षा 28
- आपदा प्रबंधन 30
- जैवविविधता और पर्यावरण 32
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी 35

सामान्य अध्ययन पेपर-4 40

- केस स्टडी 40
- सैद्धांतिक प्रश्न 52

निबंध 63

दृष्टि The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : भारत के बहुलवादी समाज के संदर्भ में अशोक के धम्म की समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उत्तर को अशोक के धम्म के इतिहास का परिचय दीजिये।
- भारत के बहुलवादी समाज में अशोक के धम्म की समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

अशोक का धम्म उस नैतिक और आचार संहिता को संदर्भित करता है जिसे मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने **तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अपने शासनकाल के दौरान प्रचारित किया था**। विनाशकारी **कलिंग युद्ध के बाद,** अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने पूरे साम्राज्य में अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता तथा सामाजिक कल्याण जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने की कोशिश की।

- **यह धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक असमानता और नैतिक शासन** जैसे मुद्दों के समाधान के लिये शाश्वत सिद्धांत प्रस्तुत करके आधुनिक भारत के विविधतापूर्ण समाज में प्रासंगिक बना हुआ है।

मुख्य भाग:

भारत के बहुलवादी समाज में अशोक के धम्म की समकालीन प्रासंगिकता:

- **अहिंसा और संघर्ष समाधान: आधुनिक भारत में** सांप्रदायिक तनाव से लेकर क्षेत्रीय विवादों तक विभिन्न संघर्षों को संबोधित करने में धम्म में अहिंसा का सिद्धांत अत्यधिक प्रासंगिक है।
  - **उदाहरण:** अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने में संवाद और शांतिपूर्ण वार्ता का उपयोग, जैसे कि **कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल मुद्दा,** इस सिद्धांत को मूर्त रूप देता है।
- **सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास:** अशोक का लोक कल्याण पर ध्यान भारत के विकासात्मक लक्ष्यों के अनुरूप है।
- सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की देखभाल पर ज़ोर विभिन्न सरकारी पहलों में परिलक्षित होता है।
  - **उदाहरण:** आयुष्मान **भारत योजना**, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, सार्वजनिक कल्याण के प्रति अशोक की चिंता को प्रतिबिंबित करती है।
  - **पर्यावरण संरक्षण:** अशोक के शिलालेखों में पशुओं और पौधों के संरक्षण का उल्लेख है, जो वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों के मद्देनज़र विशेष रूप से प्रासंगिक है।
  - **उदाहरण:** वन क्षेत्र बढ़ाने और जैवविविधता की रक्षा करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, जैसा कि **प्रोजेक्ट टाइगर जैसी परियोजनाओं में देखा गया है, धम्म** के इस पहलू के अनुरूप है ।
- **धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता:** सभी धर्मों के प्रति सम्मान पर शोक का प्रभाव भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार के अनुरूप है।
- आज के भारत में, **जहाँ धार्मिक तनाव कभी-कभी उभर आता है,** धम्म के सिद्धांत अंतर-धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिये दिशा-निर्देश के रूप में काम कर सकते हैं।
  - **उदाहरण: भारत भर में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों द्वारा आयोजित** अंतर्धार्मिक **संवाद पहल,** अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की भावना को प्रतिबिंबित करती है।
- **नैतिक शासन:** धम्म के सिद्धांत न्यायपूर्ण और नैतिक शासन पर ज़ोर देते हैं, जो आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **उदाहरण: सूचना का** अधिकार **अधिनियम, 2005,** जो शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, अशोक द्वारा समर्थित नैतिक प्रशासन को प्रतिबिंबित करता है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** शांतिपूर्ण तरीकों से धम्म का प्रसार करने के लिये अशोक का दृष्टिकोण भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति को प्रेरित कर सकता है।
  - **उदाहरण:** भारत द्वारा अपने सांस्कृतिक प्रसार के एक भाग के रूप में **योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना**, विचारों के शांतिपूर्ण प्रचार-प्रसार की अशोक की पद्धति की याद दिलाता है।

नोट :

निष्कर्ष:

अशोक का धम्म आधुनिक भारत के बहुलवादी समाज में **धार्मिक सहिष्णुता, नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिये एक रूपरेखा प्रदान करके प्रासंगिक बना हुआ है।** इसके सिद्धांत भारत के संवैधानिक मूल्यों के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं और विविधता में एकता बनाए रखने में समकालीन चुनौतियों का समाधान करने में एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं।

भारतीय समाज

प्रश्न : पारंपरिक भारतीय मूल्यों और सामाजिक संस्थाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- वैश्वीकरण और पारंपरिक भारतीय मूल्यों पर इसके प्रभाव को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रस्तुत करें।
- पारंपरिक भारतीय मूल्यों और सामाजिक संस्थाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव के समर्थन में तर्क दीजिये।
- उचित निष्कर्ष निकालें।

परिचय:

वैश्वीकरण, विश्व अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और आबादी की बढ़ती हुई अंतर्संबंधता तथा अन्योन्याश्रयता की प्रक्रिया, **21वीं सदी की एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरी है।**

- **भारत, जो हज़ारों साल पुरानी परंपराओं** और **विविध सांस्कृतिक प्रथाओं** से भरा हुआ देश है, के लिये वैश्वीकरण के आगमन ने गहन परिवर्तन के युग का सूत्रपात किया है।
- यह परिघटना भारतीय समाज के हर पहलू में व्याप्त हो गई है, **आर्थिक संरचनाओं से लेकर सामाजिक मानदंडों तक तथा लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दे रही है तथा सदियों पुरानी संस्थाओं को नया स्वरूप दे रही है।**

मुख्य भाग:

पारंपरिक भारतीय मूल्यों और सामाजिक संस्थाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव:

- **पारिवारिक संरचना:** वैश्वीकरण ने भारत में पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली को प्रभावित किया है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में एकल परिवारों के उदय के लिये निम्नलिखित कारकों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है:
  - नौकरी में गतिशीलता में वृद्धि
  - व्यक्तिवाद के प्रति बदलते नज़रिये
  - आर्थिक दबाव

  उदाहरण: 2022 में भारतीय परिवारों में से आधे एकल परिवार होंगे।
- **विवाह और रिश्ते:** पारंपरिक रूप से तय विवाहों की **जगह प्रेम विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप ले रहे हैं**, खास तौर पर शहरी इलाकों में। यह बदलाव इस वजह से है:
  - वैश्विक संस्कृतियों से परिचय में वृद्धि
  - शिक्षा का बढ़ता स्तर
  - महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता
  - **उदाहरण: वेडिंगवायर इंडिया** की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष **2020 से** अरेंज मैरिज में 24% की गिरावट देखी गई है।
- **लिंग भूमिकाएँ और महिला सशक्तीकरण:** वैश्वीकरण ने भारतीय समाज में लिंग गतिशीलता को बदलने में योगदान दिया है:
  - कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि
  - लैंगिक समानता पर अधिक ज़ोर
  - पितृसत्तात्मक मानदंडों के लिये चुनौतियाँ
  - **उदाहरण:** भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2023 में 4.2% अंक बढ़कर **37.0% हो गई है।**
- **उपभोक्तावाद और भौतिकवाद:** वैश्विक ब्रांडों और उपभोक्ता संस्कृति के आगमन ने सादगी तथा मितव्ययिता के पारंपरिक मूल्यों को प्रभावित किया है:
  - प्रत्यक्ष उपभोग में वृद्धि
  - बचत-उन्मुख से व्यय-उन्मुख मानसिकता की ओर बदलाव
  - पश्चिमी उपभोग पैटर्न को अपनाना
  - **उदाहरण: भारत का ई-कॉमर्स बाज़ार वर्ष 2026 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचने की उम्मीद है।
- **धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाएँ:** यद्यपि भारत अभी भी अत्यंत धार्मिक है, तथापि वैश्वीकरण ने आध्यात्मिक प्रथाओं को भी प्रभावित किया है:
  - धार्मिक त्योहारों और अनुष्ठानों का व्यवसायीकरण
  - नए युग की आध्यात्मिकता और कल्याण प्रथाओं का उदय
  - अंतर-धार्मिक संवाद और समझ में वृद्धि
  - **उदाहरण:** वैश्विक योग बाज़ार का आकार वर्ष 2023 में 107.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें भारत का प्रमुख योगदान होगा।

नोट :

- **शिक्षा प्रणाली:** वैश्वीकरण के कारण भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आया है:
  - अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को अपनाना (जैसे- **आईसीएसई**)
  - कौशल आधारित शिक्षा और रोज़गारपरकता पर ज़ोर
  - विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि
  - **उदाहरण:** वर्ष 2024 में 1.3 मिलियन से अधिक **भारतीय छात्र विदेश में अध्ययन करेंगे।**

निष्कर्ष:

वैश्वीकरण ने निस्संदेह पारंपरिक भारतीय मूल्यों और सामाजिक संस्थाओं को बदल दिया है। हालाँकि इसने कई अवसर और प्रगति लाई है, लेकिन इसने सांस्कृतिक संरक्षण तथा सामाजिक सामंजस्य के लिये चुनौतियाँ भी खड़ी की हैं। इसकी कुंजी **वैश्विक प्रभावों को अपनाने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने में निहित है।**

प्रश्न : भारत में पंथनिरपेक्षता की अवधारणा त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के महत्त्व के अनुकूल नहीं है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारतीय संदर्भ में पंथनिरपेक्षता को परिभाषित करने से शुरुआत कीजिये
- सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर इसके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

पंथनिरपेक्षता, सभी धर्मों के प्रति सरकार की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिये धर्म को राज्य के मामलों से अलग करने का सिद्धांत है। इसका उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं को सरकारी निर्णयों और सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने से रोकना है, जिससे व्यक्तिगत अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा हो सके।

भारतीय संविधान ने 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया, जिसके तहत प्रस्तावना में "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़ा गया।

मुख्य भाग:

भारतीय पंथनिरपेक्षता की विशेषताएँ:

- **सभी के लिये समान व्यवहार:** भारतीय पंथनिरपेक्षता संविधान में निहित है, जो धर्म के आधार पर समानता और गैर-भेदभाव की गारंटी देता है। संवैधानिक प्रावधानों में शामिल हैं:
  - **अनुच्छेद 15:** राज्य द्वारा धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।
  - **अनुच्छेद 25-28:** धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की अनुमति देना।
- **तटस्थ राज्य:** भारतीय पंथनिरपेक्षता एक तटस्थ राज्य की वकालत करती है जो किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है या धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य किसी विशेष धर्म से संबद्ध नहीं है और इसका उद्देश्य सभी धार्मिक समुदायों को समान समर्थन प्रदान करना है।
- **सकारात्मक पंथनिरपेक्षता:** नकारात्मक पंथनिरपेक्षता के विपरीत, जो किसी भी धर्म का समर्थन करने से बचती है, सकारात्मक पंथनिरपेक्षता में धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के साथ सक्रिय जुड़ाव शामिल है। यह व्यक्तियों के जीवन में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के महत्त्व को पहचानता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीतियाँ एवं कार्य इन प्रथाओं का सम्मान कीजिये व उन्हें समायोजित कीजिये।
  - भारत सरकार विभिन्न समुदायों के विभिन्न धार्मिक त्योहारों, जैसे- दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरुपर्व को सार्वजनिक अवकाश घोषित करके मान्यता देती है तथा मनाती है।

भारत में पंथनिरपेक्षता की आलोचनाएँ:

- **धार्मिक प्रथाओं का हाशिए पर जाना:** पंथनिरपेक्षता का तटस्थता पर ज़ोर अक्सर सार्वजनिक स्थानों और राज्य संस्थानों से धार्मिक प्रतीकों तथा प्रथाओं के बहिष्कार की ओर ले जाता है।
  - आलोचकों का तर्क है कि इस बहिष्कार को इन प्रतीकों के सांस्कृतिक महत्त्व के प्रति उपेक्षा के रूप में देखा जा सकता है, जो विभिन्न समुदायों की पहचान का अभिन्न अंग हैं।
- **सांस्कृतिक क्षरण:** धर्मनिरपेक्ष तटस्थता पर ध्यान केंद्रित करने से, यह चिंता है कि कुछ धार्मिक प्रथाएँ और त्योहार सार्वजनिक जीवन में कम दिखाई देने लगेंगे तथा कम मनाए जाएंगे, जिससे सांस्कृतिक परंपराओं का धीरे-धीरे क्षरण होगा।
- **व्यक्तिगत कानूनों के साथ टकराव:** पंथनिरपेक्षता कभी-कभी पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं के साथ टकराव उत्पन्न करती है, विशेष रूप से विवाह, तलाक और उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों के संदर्भ में।
  - कुछ लोगों का तर्क है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विभिन्न समुदायों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है, क्योंकि यह एक ही कानून लागू कर सकती है जो उनकी विशिष्ट परंपराओं और प्रथाओं का सम्मान नहीं करता।

नोट :

- **असमान अनुप्रयोग:** आलोचकों का तर्क है कि धर्मनिरपेक्ष नीतियों के चयनात्मक अनुप्रयोग से पूर्वाग्रह या पक्षपात की धारणा उत्पन्न हो सकती है, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक तनाव बढ़ सकता है।
  - नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 और असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) प्रक्रिया ने भारत में पंथनिरपेक्षता के निहितार्थ के बारे में बहस छेड़ दी है।
- **कानूनी और सामाजिक संघर्ष:** पंथनिरपेक्षता से संबंधित न्यायिक निर्णय और राज्य की नीतियाँ कभी-कभी विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच विवाद तथा संघर्ष को जन्म दे सकती हैं। ये संघर्ष सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकते हैं एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को जटिल बना सकते हैं।

निष्कर्ष:

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि पंथनिरपेक्षता **संविधान का मूल ढाँचा है**। जबकि भारत में पंथनिरपेक्षता का उद्देश्य समानता सुनिश्चित करना और भेदभाव को रोकना है, सांस्कृतिक तथा धार्मिक प्रथाओं पर इसका प्रभाव विवादास्पद हो सकता है। संवाद को बढ़ावा देने और न्यायसंगत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के द्वारा, नीति निर्माता संतुलन की दिशा में काम कर सकते हैं जो पंथनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखता है तथा साथ ही देश की विविध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और सम्मानित करता है।

भूगोल

प्रश्न : ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOFs) के कारणों पर चर्चा कीजिये। GLOFs से संबंधित जोखिमों को कम करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- GLOFs को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- हिमालय में GLOF के कारण बताइये।
- शमन उपायों पर प्रकाश डालिये।
- सकारात्मक निष्कर्ष निकालिये।

परिचय:

ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (Glacial Lake Outburst Floods - GLOFs) तब होती है जब एक ग्लेशियल झील अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ती है, जो अक्सर किसी प्राकृतिक बाँध या अन्य अवरोधक संरचना की विफलता के कारण होता है।
- ये घटनाएँ विनाशकारी बाढ़ ला सकती हैं, **जो भारी मात्रा में पानी, तलछट और मलबे को तेज़ गति से नीचे की ओर ले जाती हैं।**
- हाल के वर्षों में हिमालय में GLOF की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन तथा नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके व्यापक प्रभाव हैं।

मुख्य भाग:

हिमालय में GLOFs के कारण:
- **जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग:** जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय में हिमनदों के पिघलने की गति बढ़ रही है, जिसके कारण हिमनद झीलों का निर्माण और विस्तार तेज़ी से हो रहा है।
  - बढ़ते तापमान या अनियमित **वर्षा के कारण बर्फ अभूतपूर्व दर से पिघलती है**, जिससे इन झीलों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है।
  - इसका एक प्रमुख उदाहरण उत्तरी सिक्किम में **जून 2023 का GLOF** है।
- **बादल फटना:** तीव्र वर्षा की घटनाएँ, जिन्हें अक्सर बादल फटने के रूप में संदर्भित किया जाता है, हिमनद झीलों में जल स्तर को तेज़ी से बढ़ा सकती हैं, जिससे अस्थिरता पैदा हो सकती है और हिमोढ़ बाँधों में संभावित दरारें पड़ सकती हैं।
  - इसका प्रमुख उदाहरण **उत्तरी सिक्किम में जून 2023 GLOF है।**
- **भूकंपीय गतिविधि: हिमालयी क्षेत्र** की उच्च भूकंपीय गतिविधियाँ हिमनद झील की स्थिरता के लिये निरंतर खतरा बनी रहती हैं।
  - भूकंप प्राकृतिक बाँधों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, झीलों में भूस्खलन को बढ़ावा दे सकते हैं या हिमनद संरचनाओं में अचानक बदलाव ला सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष **2015 में नेपाल** में आए भूकंप ने पूरे क्षेत्र में कई हिमनद झीलों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये, जिसके बाद GLOF जोखिम काफी हद तक बढ़ गया।
- **हिमस्खलन और भूस्खलन:** पर्वतीय भूभाग के कारण हिमालय में हिमस्खलन और भूस्खलन की संभावना बनी रहती है, जिसका **ग्लेशियल झीलों पर विनाशकारी** प्रभाव पड़ सकता है।
  - इन घटनाओं के कारण अचानक पानी का विस्थापन हो सकता है या रोकथाम संरचनाओं में दरार आ सकती है।
  - इसका एक दुखद उदाहरण वर्ष 2021 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुआ, जहाँ भूस्खलन के कारण विनाशकारी GLOF हुआ।

नोट :

- **कमज़ोर हिमोढ़ बाँध:** अनेक हिमालयी हिमनद झीलें प्राकृतिक हिमोढ़ बाँधों द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो ढीले हिमनद मलबे से निर्मित होते हैं।
  - ये संरचनाएँ अक्सर स्वाभाविक रूप से कमज़ोर होती हैं और टूटने की संभावना अधिक होती है, खासकर तब जब उन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
  - **नेपाल में वर्ष 1985 में हुआ डिग त्सो GLOF** इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ एक कमज़ोर मोरेन बाँध के टूटने से विनाशकारी बाढ़ आई थी।

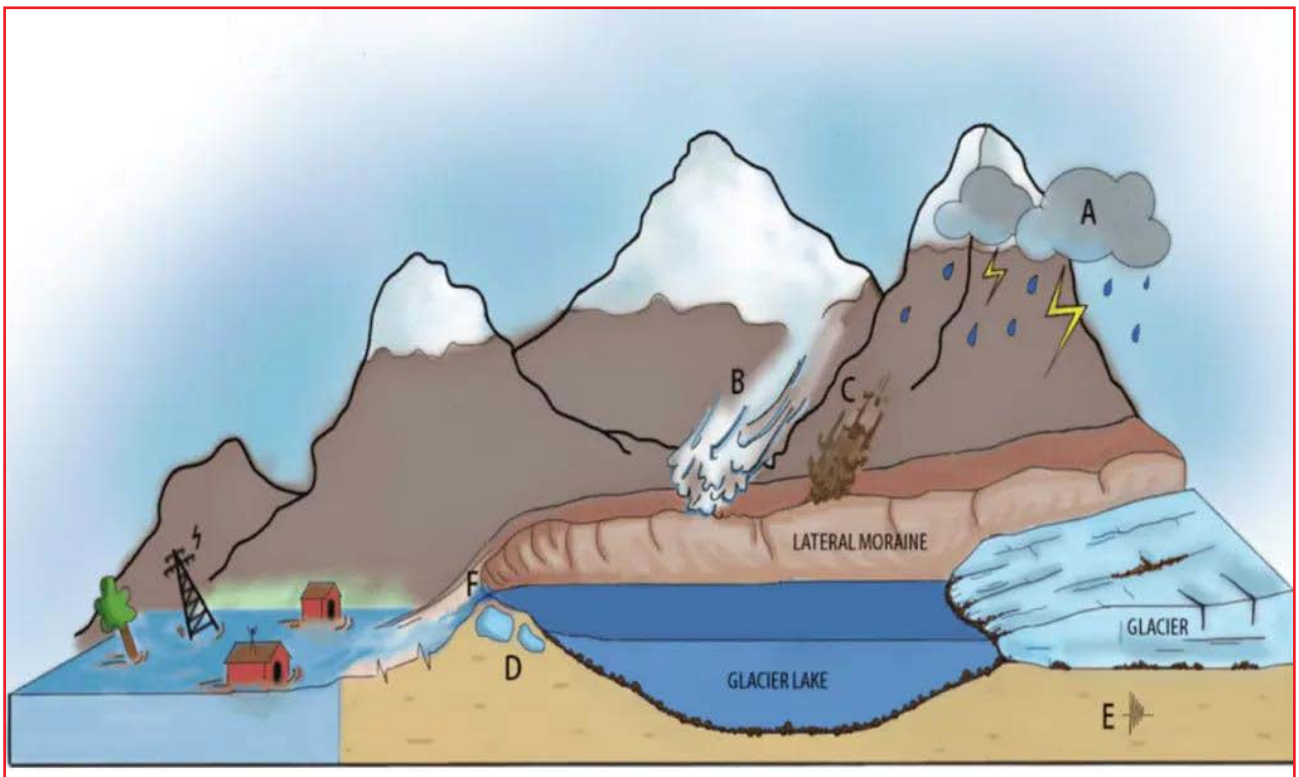

Figure: Illustrative graphic showing various reasons for GLOF occurrence
(A) Cloudburst (B) Snow avalanche (C) Landslide (D) Melting of ice in moraine
(E) Earthquake (F) Overflow

शमन के उपाय:

- **पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ (EWS):** GLOF जोखिम न्यूनीकरण के लिये सिंथेटिक-एपर्चर रडार इमेजरी जैसे अच्छी तरह से संरचित पूर्व चेतावनी प्रणालियों को लागू करना महत्त्वपूर्ण है।
  - इन प्रणालियों में **हिमनद झीलों की वास्तविक समय निगरानी**, स्वचालित चेतावनी तंत्र और समुदाय आधारित चेतावनी नेटवर्क शामिल हैं।
- **नियंत्रित झील जल निकासी:** नियंत्रित जल निकासी के माध्यम से हिमनद झील के जल स्तर के सक्रिय प्रबंधन से GLOF जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
  - इसमें झील के **जलस्तर को धीरे-धीरे कम करके सुरक्षित स्तर तक लाने के लिये सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध इंजीनियरिंग हस्तक्षेप शामिल है।**
- **बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण:** मौजूदा मानव निर्मित बाँधों को मज़बूत करना और निर्माण गतिविधि के लिये समान संहिताओं के माध्यम से सुरक्षात्मक संरचनाओं का निर्माण करना तथा **जलविद्युत विकास को संतुलित करना, GLOF के खिलाफ लचीलापन बढ़ा सकता** है।

नोट :

- इसमें **हिमोढ़ बाँधों को सुदृढ़ बनाना,रिसाव मार्ग का निर्माण करना तथा बाढ़ सुरक्षा अवरोधों का निर्माण करना जैसी तकनीकें** शामिल हैं।

- **समुदाय-आधारित आपदा तैयारी:** GLOF की तैयारी के लिये स्थानीय समुदायों को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाना आवश्यक है।
  - इसमें नियमित अभ्यास आयोजित करना, **निकासी योजनाएँ बनाना और समुदाय-नेतृत्व वाली निगरानी प्रणालियाँ स्थापित** करना शामिल है।
- **सीमापारीय सहयोग:** अनेक हिमालयी हिमनद प्रणालियों की सीमा पार प्रकृति को देखते हुए, प्रभावी GLOF प्रबंधन के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - इसमें डेटा साझा करना, निगरानी प्रयासों का समन्वय करना तथा संयुक्त रूप से शमन रणनीति विकसित करना शामिल है।

निष्कर्ष:

हिमालय में ग्लेशियल झील के फटने से होने वाली बाढ़ के खतरे से निपटने के लिये तत्काल और व्यापक कार्रवाई की आवश्यकता है। दीर्घकालिक शमन के लिये निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, निरंतर अनुसंधान और व्यापक जलवायु अनुकूलन योजनाओं में GLOF प्रबंधन को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

प्रश्न : महासागरीय थर्मोलाइन परिसंचरण (ओसियन थर्मोहेलिन सर्कुलेशन) की अवधारणा और वैश्विक जलवायु विनियमन में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिये। इस परिसंचरण के द्वारा हुए बदलाव पृथ्वी पर जलवायु को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- महासागरीय थर्मोहेलिन परिसंचरण को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- वैश्विक जलवायु विनियमन में ओटीसी की भूमिका पर गहराई से विचार कीजिये।
- महासागरीय थर्मोहेलिन परिसंचरण में संभावित परिवर्तनों का प्रभाव बताइये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

महासागरीय थर्मोहेलिन परिसंचरण (ओटीसी) तापमान और लवणता में अंतर से संचालित धाराओं की एक जटिल प्रणाली है।

- सतह पर **गर्म, नमकीन पानी ठंडे, ताज़े पानी की तुलना में अधिक उछालदार होता है,** जिसके कारण यह कुछ क्षेत्रों में डूब जाता है। इस डूबते पानी को सतह के पानी से बदल दिया जाता है, जिससे एक सतत् परिसंचरण पैटर्न बनता है।

मुख्यभाग:

वैश्विक जलवायु विनियमन में ओटीसी की भूमिका:

- **ऊष्मा परिवहन:** उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों तक ऊष्मा परिवहन करके, **ओटीसी तापमान चरम सीमाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है।**
  - इससे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को **अधिक गर्म होने से** तथा **ध्रुवों को अधिक ठंडा होने से रोका जा सकता है।**
- **उदाहरण: गल्फ स्ट्रीम नदी** उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म पानी को यूरोप तक ले जाती है, जो पश्चिमी यूरोप की जलवायु को प्रभावित करती है।
- **कार्बन चक्र: ओटीसी** वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को गहरे समुद्र तक पहुँचाकर **वैश्विक कार्बन चक्र** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - यह **कार्बन पृथक्करण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है,** जहाँ CO_2 सतही जल द्वारा अवशोषित हो जाती है, **ठंडे, सघन जल के साथ डूब जाती है** तथा सदियों तक गहरे समुद्र में संग्रहित रहती है, जिससे **वायुमंडलीय CO_2 के स्तर को विनियमित करने** और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है।
- **पोषक चक्रण:** ओटीसी गहरे समुद्र से सतह तक पोषक तत्त्वों का परिवहन करता है, जिससे समुद्री उत्पादकता और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलता है।
  - उन क्षेत्रों में जहाँ गहरा पानी सतह पर आता है, जैसे- **पेरू का तट,** पोषक तत्त्वों से भरपूर पानी सतह पर लाया जाता है।
    - **नाइट्रोजन, फास्फोरस और लौह** सहित ये पोषक तत्त्व **समुद्री फाइटोप्लांकटन की वृद्धि** के लिये आवश्यक हैं।

महासागरीय थर्मोहेलिन परिसंचरण में संभावित परिवर्तनों का प्रभाव:

- **परिसंचरण में धीमापन या बंद होना:** महासागरीय परिसंचरण में व्यवधान से महत्त्वपूर्ण जलवायु प्रभाव हो सकते हैं, जैसे **उत्तरी गोलार्द्ध में तेज़ी से शीतलन** और **दक्षिणी गोलार्द्ध में संभावित गर्मी।**
  - इस बदलाव से और अधिक चरम मौसम की घटनाएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं।

नोट :

- उदाहरण के लिये, ऐसा माना जाता है **कि यंगर ड्रायस शीत काल (लगभग 12,900 से 11,700 वर्ष पूर्व) उत्तरी अटलांटिक परिसंचरण में व्यवधान** के कारण उत्पन्न हुआ था ।

- **वर्षा पैटर्न में परिवर्तन:** महासागर परिसंचरण में परिवर्तन से वैश्विक वर्षा पैटर्न में परिवर्तन हो सकता है, जिससे **मानसून प्रणालियों में बदलाव हो सकता है और तूफानों की आवृत्ति तथा तीव्रता में परिवर्तन हो सकता है।**
  - **अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC)** के कमज़ोर होने से **अफ्रीका के साहेल क्षेत्र** में वर्षा कम हो सकती है, सूखे की स्थिति खराब हो सकती है और स्थानीय कृषि एवं जल संसाधन प्रभावित हो सकते हैं।
- **समुद्र स्तर में परिवर्तन:** महासागरीय परिसंचरण में परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में क्षेत्रीय अंतर उत्पन्न हो सकता है, जिससे तटीय बाढ़ और कटाव की संभावना हो सकती है।
  - हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि वर्ष **2025 तक गल्फ स्ट्रीम के संभावित पतन से** वैश्विक जलवायु पैटर्न पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- **समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:** समुद्री परिसंचरण में व्यवधान **पोषक तत्त्वों की उपलब्धता और उत्पादकता में परिवर्तन लाकर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है,** जिससे प्रजातियों के वितरण एवं प्रवासन पैटर्न में बदलाव आ सकता है।
  - उदाहरण के लिये, **कैलिफोर्निया के तट** पर अपवेलिंग पैटर्न में परिवर्तन, **क्रिल के वितरण को प्रभावित कर सकता है,** जिससे संपूर्ण खाद्य जाल प्रभावित हो सकता है।

निष्कर्ष:

महासागरीय थर्मोहेलिन परिसंचरण पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, **जो तापमान, कार्बन पृथक्करण और समुद्री उत्पादकता को प्रभावित करता है। चूँकि जलवायु परिवर्तन महासागर के तापमान और लवणता को बदलना जारी रखता है, इसलिये भविष्य की जलवायु प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करने तथा प्रभावी शमन रणनीतियों को विकसित करने** के लिये ओटीसी पर संभावित प्रभावों को समझना आवश्यक है।

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्रश्न : भक्ति और सूफी आंदोलनों को अक्सर आध्यात्मिक प्राप्ति के समानांतर मार्ग के रूप में देखा जाता है। इनके मूल सिद्धांतों के बीच तुलना एवं अंतर बताते हुए समाज पर इनके प्रभाव की चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भक्ति और सूफी आंदोलनों के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- उनके मूल सिद्धांतों की तुलना कीजिये।
- समाज पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालिये।
- संतुलित तरीके से निष्कर्ष निकालिये।

परिचय:

मध्यकालीन भारत में उभरे **भक्ति और सूफी आंदोलन** महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक तथा सामाजिक सुधार प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। जबकि **दोनों आंदोलनों ने ईश्वर के साथ सीधे संवाद की मांग की और मौजूदा धार्मिक रूढ़िवादिता को चुनौती दी,** उनकी हिंदू और इस्लामी परंपराओं में निहित अलग-अलग विशेषताएँ थीं।

मुख्य भाग:

मूल सिद्धांतों की तुलना:

- **ईश्वर की अवधारणा:**
  - **भक्ति आंदोलन:** चुने हुए देवता (इष्ट-देवता) के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर ज़ोर दिया जाता है, जिसे अक्सर मानव रूप में देखा जाता है।
  - **सूफी आंदोलन:** तौहीद (ईश्वर की एकता) की अवधारणा पर केंद्रित।
- **दिव्यता का मार्ग:**
  - **भक्ति: ईश्वर से मिलन के प्राथमिक साधन** के रूप में भक्ति की वकालत की।
  - **सूफीवाद:** मोक्ष के निकटता प्राप्त करने के तरीकों के रूप में इश्क (दिव्य प्रेम) और मारीफत (ज्ञान) पर ज़ोर दिया।
- **आध्यात्मिक अभ्यास:**
  - **भक्ति:** इसमें भक्ति **गायन (कीर्तन)**, भगवान के नाम का **जाप (नाम जप)** और भावनात्मक पूजा शामिल है।
  - **सूफीवाद:** धिक्कार (**ईश्वर का स्मरण**), **साम (भक्ति संगीत)** और **ध्यान का अभ्यास** किया।
- **सामाजिक रुख:**
  - **भक्ति:** जाति भेद को खारिज किया और ईश्वर के समक्ष समानता को बढ़ावा दिया।
  - **सूफीवाद:** सार्वभौमिक भाईचारे और सभी प्राणियों के प्रति करुणा का उपदेश दिया।

नोट :

- **संगठनात्मक संरचना:**
  - **भक्ति:** व्यक्तिगत संतों और उनके अनुयायियों के साथ बड़े पैमाने पर विकेंद्रित।
  - **सूफीवाद:** अधिक संगठित, स्थापित **सूफी आदेश (सिलसिला)** और पदानुक्रमिक संरचनाओं के साथ।
- **सांसारिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण:**
  - **भक्ति:** सामान्यत: स्वीकार्य सांसारिक जीवन तथा वैराग्य की वकालत।
  - **सूफीवाद:** प्राय: तप और सांसारिक मामलों से दूर रहने पर ज़ोर दिया जाता था।

समाज पर प्रभाव:

- **धार्मिक सुधार:** दोनों आंदोलनों ने **धार्मिक रूढ़िवादिता और कर्मकांड** को चुनौती दी तथा आध्यात्मिकता के अधिक व्यक्तिगत एवं सुलभ रूप को बढ़ावा दिया।
- **सामाजिक समानता:** भक्ति और सूफी आंदोलन दोनों ने सामाजिक पदानुक्रम की आलोचना की तथा **सभी जातियों एवं वर्गों के अनुयायियों** को आकर्षित किया।
- **सांस्कृतिक संश्लेषण:** उन्होंने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के तत्त्वों को मिलाकर एक समन्वित संस्कृति को बढ़ावा दिया, जो विशेष रूप से संगीत, साहित्य तथा कला में स्पष्ट है।
- **स्थानीय साहित्य:** दोनों आंदोलनों ने क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- **महिलाओं की भागीदारी:** दोनों ने महिलाओं की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति और नेतृत्व के लिये अलग-अलग स्तर पर अवसर प्रदान किये।
- **राजनीतिक प्रभाव:** मुख्य रूप से आध्यात्मिक होने के बावजूद **दोनों आंदोलनों** ने कभी-कभी राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित किया, जिसके कारण **कुछ नेताओं को शाही संरक्षण** प्राप्त हुआ।

निष्कर्ष:

भक्ति और सूफी आंदोलन, अपनी उत्पत्ति और विशिष्ट प्रथाओं में अलग-अलग होने के बावजूद अपने मूल आध्यात्मिक संदेशों तथा सामाजिक प्रभावों में उल्लेखनीय समानताएँ साझा करते हैं। व्यक्तिगत भक्ति और सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्य पर उनका ज़ोर भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक विचार तथा व्यवहार को प्रभावित करता है।

प्रश्न : गुप्तकालीन मुद्राशास्त्रीय कला की उत्कृष्टता उत्तरवर्ती कल में देखने को नहीं मिली। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में गुप्त साम्राज्य का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- गुप्तकालीन मुद्राशास्त्र कला में उत्कृष्टता के स्तर पर चर्चा कीजिये।
- बाद की अवधि में मुद्राशास्त्रीय कला का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

गुप्त साम्राज्य, जो लगभग 320 से 550 ई. तक फला-फूला, भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। यह युग कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के लिये जाना जाता है, इन सभी ने साम्राज्य की समृद्धि तथा स्थिरता में योगदान दिया। गुप्त काल की सबसे स्थायी विरासतों में से एक इसकी मुद्राशास्त्रीय कला है, जो साम्राज्य की कलात्मक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक परिष्कार को दर्शाती है।

मुख्य भाग:

गुप्तकालीन मुद्राशास्त्रीय कला में उत्कृष्टता :

- **कलात्मक गुणवत्ता और शिल्प कौशल:** गुप्तकालीन सिक्के अपनी उच्च उभार, जटिल विवरण और परिष्कृत शिल्प कौशल के लिये जाने जाते हैं। सिक्कों को सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया था, अक्सर शासकों, देवताओं एवं प्रतीकात्मक रूपांकनों के जीवंत चित्रण के साथ।
- गुप्त साम्राज्य के सबसे यशस्वी शासकों में से एक, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे जटिल विवरणों के साथ अश्वमेध यज्ञ (घोड़े की बलि) करते हुए दर्शाया गया है।
- **प्रतीक-विद्या:** सिक्कों पर अक्सर भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गंगा जैसे देवी-देवताओं के साथ-साथ शासकों की विभिन्न दैवीय या वीर मुद्राओं वाली तस्वीरें भी होती हैं। ये चित्र न केवल धार्मिक प्रतीकों के रूप में काम करते थे, बल्कि शासकों के शासन करने के दैवीय अधिकार को भी पुष्ट करते थे।

नोट :

- चंद्रगुप्त द्वितीय के सोने के सिक्के, जिन्हें "चक्रविक्रम" प्रकार के रूप में जाना जाता है, राजा को धनुष के साथ योद्धा के रूप में चित्रित करते हैं, जो उनके युद्ध कौशल को दर्शाता है। पीछे की ओर, देवी लक्ष्मी को कमल पर बैठे हुए दिखाया गया है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है।
- **शिलालेख और भाषा:** गुप्तकालीन सिक्कों पर संस्कृत में शिलालेख होते थे, जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। शास्त्रीय भाषा और लिपि के इस प्रयोग ने सिक्कों में सांस्कृतिक तथा भाषायी मूल्य जोड़ा, जो गुप्त शासकों द्वारा संस्कृत के संरक्षण एवं इसे संचार व साहित्य के माध्यम के रूप में बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को दर्शाता है।
  - कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में "श्री महेंद्रादित्य" लिखा हुआ है, जो उनकी एक उपाधि है। सिक्कों पर संस्कृत का प्रयोग पहले प्राकृत के प्रयोग से अलग था और इसने एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलाव को चिह्नित किया।
- **सिक्कों के विभिन्न प्रकार:** गुप्त राजवंश ने विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किये, जिनमें से प्रत्येक शासक की पहचान, उपलब्धियों या धार्मिक संबद्धता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता था। सिक्कों की यह विविधता अभूतपूर्व थी तथा इसने गुप्त मुद्राशास्त्रीय कला की विशिष्टता को और बढ़ा दिया।
  - चंद्रगुप्त प्रथम के "टाइगर-स्लेयर" प्रकार के सिक्के में राजा को तलवार से बाघ का वध करते हुए दिखाया गया है, जो उसकी वीरता और शिकार कौशल का प्रतीक है। इस प्रकार का विषयगत सिक्का गुप्त काल के लिये अद्वितीय था।
- **धातुकर्म उत्कृष्टता:** गुप्त सिक्के उच्च गुणवत्ता वाले सोने से बने होते थे, जिन्हें "दीनार" के रूप में जाना जाता था, साथ ही चाँदी और ताँबे से भी। इन सिक्कों की शुद्धता तथा वज़न का ध्यान रखा जाता था, जो गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता एवं समृद्धि को दर्शाता है।

बाद की अवधि में मुद्राशास्त्रीय कला का तुलनात्मक विश्लेषण

- **गुप्तोत्तर राजवंश:** इस प्रारंभिक मध्ययुगीन काल (लगभग 550-1200 ई.) के दौरान, सिक्कों की कलात्मक परिष्कृतता में गुप्त काल की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।
  - गुजरात के मैत्रकों और कलचुरियों के सिक्के गुप्त सिक्कों की तुलना में सरल डिज़ाइन प्रदर्शित करते हैं।
- **राजपूत सिक्के:** राजपूत सिक्कों में सूर्य, चंद्रमा और विभिन्न देवताओं जैसे शाही प्रतीक होते थे, लेकिन जटिल कलात्मक विवरण पर कम ध्यान दिया जाता था। सिक्के कलात्मक कृतियों के बजाय अधिक उपयोगितावादी और प्रतीकात्मक थे।
- **चोल सिक्के:** चोलों ने शिव जैसे देवताओं के प्रमुख चित्रण वाले सिक्के जारी किये, लेकिन इन सिक्कों में गुप्त सिक्कों में पाए जाने वाले सूक्ष्म विवरणों की कमी थी। इसके बजाय, उन्होंने धार्मिक प्रतीकों और शिलालेखों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया।
- **सल्तनत काल के सिक्के:** इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी जैसे सल्तनत काल के सिक्कों में अरबी शिलालेख तथा न्यूनतम डिज़ाइन प्रमुखता से अंकित थे। इस्लामी सुलेख एवं धार्मिक प्रतीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जबकि विस्तृत कलात्मक चित्रण पर कोई ज़ोर नहीं दिया गया था।
- **मुगल सिक्के:** अकबर और शाहजहाँ जैसे शासकों के अधीन मुगल सिक्कों में फारसी तथा अरबी में शिलालेखों की परंपरा जारी रही। हालाँकि मुगल सिक्कों में कभी-कभी विस्तृत रूपांकनों और उच्च गुणवत्ता वाली शिल्पकला का प्रदर्शन किया गया था, लेकिन जटिल कलात्मक विवरणों के बजाय शिलालेखों एवं प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व पर अधिक ज़ोर दिया गया था।

निष्कर्ष:

गुप्त काल से लेकर उसके बाद के काल तक भारतीय सिक्का कला की कलात्मक गुणवत्ता में गिरावट व्यापक सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलावों को दर्शाती है। जबकि गुप्त सिक्कों की पहचान जटिल कलात्मकता और धार्मिक प्रतिमा विज्ञान से थी, बाद के काल में अधिक प्रतीकात्मक, धार्मिक तथा उपयोगितावादी डिज़ाइनों की ओर झुकाव देखा गया। प्रत्येक काल के राजनीतिक विखंडन, आर्थिक बाधाओं एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों ने इन परिवर्तनों को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी सिक्का कला सामने आई जो अपने आप में समृद्ध होने के बावजूद गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा से काफी भिन्न थी।

प्रश्न : भारतीय शास्त्रीय नृत्य और मूर्तिकला में मुद्राओं की भूमिका पर चर्चा कीजिये। ये प्रतीकात्मक हस्त मुद्राएँ विभिन्न कला रूपों को किस प्रकार व्यक्त होती हैं? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- मुद्राओं को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- भारतीय शास्त्रीय नृत्य और भारतीय मूर्तिकला में मुद्राओं की भूमिका पर गहन विचार कीजिये।
- इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

नोट :

परिचय:

मुद्राएँ, प्रतीकात्मक हस्त मुद्राएँ, **भारतीय शास्त्रीय नृत्य और मूर्तिकला में एक मौलिक तत्त्व के रूप में कार्य करती हैं, जो भावनाओं, पात्रों एवं कथाओं** की एक विस्तृत शृंखला को व्यक्त करती हैं।

- **मुद्राओं की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे नाट्यशास्त्र** में देखी जा सकती है, जो **भरत मुनि** द्वारा लिखित प्रदर्शन कलाओं पर एक ग्रंथ है।

मुख्यभाग:

भारतीय शास्त्रीय नृत्य में मुद्राएँ:

मुद्राएँ भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों का अभिन्न अंग हैं । वे कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं:

- **चरित्र चित्रण:** भरतनाट्यम् में **कृष्ण मुद्रा (बाँसुरी बजाने की मुद्रा)** पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण के चरित्र को तुरंत पहचान देती है।
- **वस्तुओं का प्रतिनिधित्व:** पद्म **मुद्रा कमल का प्रतिनिधित्व करती है**, जिसका प्रयोग अक्सर प्रकृति या दिव्य प्राणियों को दर्शाने वाले नृत्यों में किया जाता है।
- **क्रियाएँ दर्शाना:** कथक में **तर्जनी मुद्रा (उँगली दिखाना) का** प्रयोग धमकी या आदेशात्मक क्रियाओं को दर्शाने के लिये किया जाता है।
- **भावनाओं को व्यक्त कीजिये: करुणा मुद्रा**, जो करुणा को दर्शाती है, का प्रयोग ओडिसी में माताओं या देवियों जैसे पालन-पोषण करने वाले पात्रों को चित्रित करने के लिये किया जाता है।
  - **त्रिभंग मुद्रा में तीन मोड़ वाली मुद्रा शामिल है, जो सुंदरता और लालित्य** की भावना उत्पन्न करती है।
- **भाषायी बाधाओं को पार करना:** मुद्राएँ भाषायी बाधाओं को पार करते हुए एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में कार्य करती हैं।
- नर्तक विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के दर्शकों के लिये कहानियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिये, **पताका मुद्रा,** जिसमें सभी उंगलियाँ फैली हुई होती हैं, **एक ध्वज या बैनर का प्रतिनिधित्व करती है,** जिसे अक्सर जीत या उत्सव का प्रतीक माना जाता है और **अंजलि मुद्रा,** जिसमें हथेलियाँ आपस में जुड़ी होती हैं, सम्मान तथा श्रद्धा का संदेश देती है।

भारतीय मूर्तिकला में मुद्राएँ:

मूर्तिकला मुद्राएँ देवताओं की पहचान करती हैं, विशेषताओं को व्यक्त करती हैं और कहानियाँ सुनाती हैं:

- **बुद्ध की मूर्तियाँ:** भूमिस्पर्श **मुद्रा (पृथ्वी को स्पर्श करना)** बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के क्षण की मूर्तियों में देखी जाती है, जैसे कि सारनाथ में।
- **हिंदू देवता:** नृत्य के देवता **शिव की** प्रसिद्ध नटराज कांस्य मूर्ति में कई मुद्राओं का संयोजन है, जिसमें सृजन का प्रतीक **डमरू मुद्रा (ड्रम धारण) भी शामिल है।**
- **कथात्मक दृश्य: खजुराहो** की तरह मंदिर की नक्काशी में शब्दों के बिना जटिल पौराणिक कहानियों को दर्शाने के लिये मुद्राओं का उपयोग किया गया है।

समकालीन प्रासंगिकता:

- **आधुनिक नृत्य:** कोरियोग्राफर चंद्रलेखा ने अपनी समकालीन कृति " **शरीर" में** शास्त्रीय और आधुनिक रूपों का सम्मिश्रण करते हुए पारंपरिक मुद्राओं को शामिल किया।
- **स्वास्थ्य अभ्यास:** ज्ञान **मुद्रा (अँगूठे तथा तर्जनी अँगुली को स्पर्श करना) का** प्रयोग योग और ध्यान में व्यापक रूप से किया जाता है, क्योंकि इसे एकाग्रता बढ़ाने वाला माना जाता है।

निष्कर्ष:

मुद्राएँ भारतीय शास्त्रीय नृत्य और मूर्तिकला का एक महत्त्वपूर्ण घटक हैं, जो **अर्थ तथा भावना को व्यक्त करने के लिये एक शक्तिशाली भाषा के रूप में कार्य करती हैं।** उनकी ऐतिहासिक उत्पत्ति, कहानी कहने में उनकी भूमिका और उनका पार-सांस्कृतिक प्रभाव कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में उनके स्थायी महत्त्व को प्रदर्शित करता है।

■■■

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजनीति और शासन

प्रश्न : सुशासन के प्रमुख संकेतकों पर चर्चा कीजिये और भारत में ज़मीनी स्तर पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिये रणनीति सुझाइये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- सुशासन को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- सुशासन के प्रमुख संकेतक बताएँ।
- भारत में ज़मीनी स्तर पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु रणनीतियाँ सुझाएँ।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सुशासन से तात्पर्य **सार्वजनिक मामलों और संसाधनों के प्रभावी, कुशल एवं ज़िम्मेदार प्रबंधन से है।**

- इसमें सिद्धांतों और प्रथाओं का एक समूह शामिल है जो सभी स्तरों पर पारदर्शी, जवाबदेह, भागीदारीपूर्ण तथा उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करता है।
- इसका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ सरकारी संस्थाएँ सभी नागरिकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करें, **सतत् विकास, सामाजिक न्याय और कानून के शासन** को बढ़ावा दें।

मुख्य भाग:

सुशासन के प्रमुख संकेतक:

- **भागीदारी:** नागरिक निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिसमें हाशिए पर पड़े समुदायों सहित विविध समूहों का प्रभावी प्रतिनिधित्व होता है। **(उदाहरण:** पंचायती राज प्रणाली के तहत **ग्राम सभाएँ**)।
- **जवाबदेही:** सार्वजनिक नीतियों और व्यय के विषय में पारदर्शी सूचना प्रसार के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिये उत्तरदायी ठहराया जाता है। **(उदाहरण: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013,** जिसके तहत भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की स्थापना की गई।)
- **पारदर्शिता:** निवासियों के साथ स्पष्ट और समझदारीपूर्ण संवाद के कारण सरकारी प्रक्रियाएँ व निर्णय पारदर्शी एवं सुलभ हैं। **(उदाहरण: भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** का कार्यान्वयन)।
- **जवाबदेही:** सरकार प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से नागरिकों की आवश्यकताओं और चिंताओं का तुरंत समाधान करती है। (**उदाहरण: CPGRAMS** त्वरित शिकायत निवारण प्रदान करता है)।
- **प्रभावशीलता और दक्षता: न्यूनतम संसाधनों और** सार्वजनिक निधि के **इष्टतम उपयोग** से वांछित परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। (**उदाहरण:** सब्सिडी वितरण में लीकेज को कम करने हेतु **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)** योजना)।
- **कानून का शासन:** कानून और विनियमन निष्पक्ष रूप से लागू किये जाते हैं, जिससे नागरिकों के अधिकार तथा स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। **(उदाहरण: स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति का पृथक्करण, लिखित संविधान की सर्वोच्चता)।**

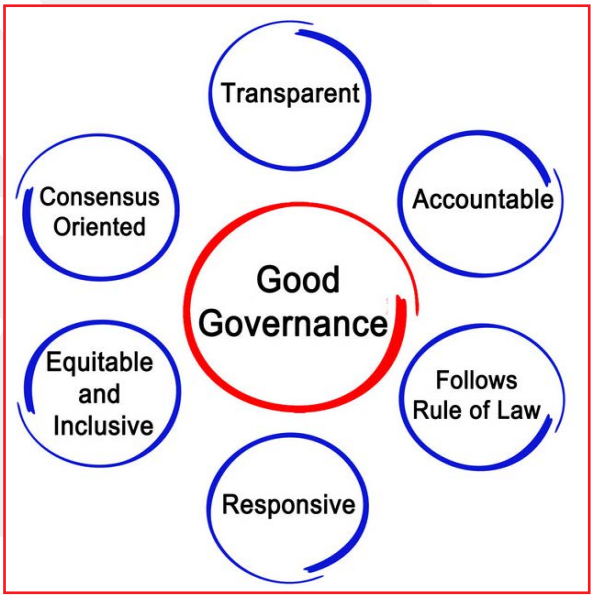

ज़मीनी स्तर पर सुशासन लागू करने की रणनीतियाँ:

- **पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को मज़बूत करना:** निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों की क्षमता निर्माण को बढ़ाना, वित्तीय संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना व **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग** की सिफारिश के अनुसार प्रभावी निर्णय लेने हेतु ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना।
- **प्रौद्योगिकी अपनाना:** पारदर्शिता और जवाबदेही के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना, सेवा वितरण के लिये ई-गवर्नेंस पहल को लागू करना तथा डिजिटल साक्षरता व सरकारी सेवाओं के लिये **कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)** का लाभ उठाना।

नोट :

- **नागरिक भागीदारी:** समुदाय आधारित संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, **मनरेगा जैसे कार्यक्रम की निगरानी के लिये सामाजिक लेखा परीक्षा** आयोजित करना तथा **जनभागीदारी पहल, मन की बात कार्यक्रम एवं सामुदायिक रेडियो** के माध्यम से सरकार-नागरिक संपर्क को बढ़ावा देना।
- **सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण:** सुशासन के सिद्धांतों और प्रथाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू करना व **मिशन कर्मयोगी** जैसे कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन करना तथा क्षमता निर्माण हेतु **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (NIRD)** जैसी संस्थाओं का लाभ उठाना।
- **प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन: ज़िला विकास शासन सूचकांक** की तर्ज पर **स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक** लागू किया जाए।
  - इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इसके लिये निष्पक्ष तथा व्यापक मूल्यांकन मानदंड विकसित करने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष:

भारत की प्रगति के लिये ज़मीनी स्तर पर प्रभावी शासन व्यवस्था बहुत आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं को मज़बूत करके, तकनीक का इस्तेमाल करके और नागरिक भागीदारी को प्राथमिकता देकर हम प्रभावी रूप से **'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'** की ओर बढ़ सकते हैं।

प्रश्न : निजता का अधिकार, न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित हुआ है। इस विकास क्रम पर प्रकाश डालते हुए डेटा संरक्षण एवं निगरानी जैसे समकालीन मुद्दों के संदर्भ में इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- निजता का अधिकार की संवैधानिकता का उल्लेख करते हुए परिचय दीजिये।
- निजता का अधिकार के विकास पर गहन विचार कीजिये।
- डेटा संरक्षण और निगरानी से संबंधित समकालीन मुद्दों पर इसके निहितार्थों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत में निजता का अधिकार न्यायिक व्याख्या के माध्यम से महत्त्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। शुरू में, **संविधान में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन अब इसे अनुच्छेद 21** के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इस विकास का डेटा संरक्षण और राज्य निगरानी जैसे समकालीन मुद्दों पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

मुख्य भाग:

निजता/गोपनीयता का अधिकार का विकास:

- **प्रारंभिक व्याख्याएँ (1950-1960):**
  - **एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्र (1954):** सर्वोच्च न्यायालय ने तलाशी और ज़ब्ती की प्रथा को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया है **कि गोपनीयता मौलिक अधिकार नहीं है।**
  - **खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962):** न्यायालय ने पुलिस निगरानी की जाँच की और निष्कर्ष निकाला कि **गोपनीयता एक गारंटीकृत संवैधानिक अधिकार नहीं है,** हालाँकि इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा को स्वीकार किया।
- **गोपनीयता अधिकारों का विस्तार (1970 का दशक):**
  - **गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1975):** सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी न्यायशास्त्र से उधार लेते हुए **"अनिवार्य राज्य हित"** परीक्षण पेश किया।
    - **इसने गोपनीयता को मौलिक अधिकार** माना, लेकिन व्यापक राज्य हितों के लिये इस पर उचित प्रतिबंध भी लगाए।
- **सूचनात्मक गोपनीयता की मान्यता (1990 का दशक):**
  - **पीयूसीएल बनाम भारत संघ (1997): टेलीफोन टैपिंग** के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने **अनुच्छेद 19(1)(ए)** के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के एक हिस्से के रूप में संचार की गोपनीयता को मान्यता दी।
- **ऐतिहासिक निर्णय (2010):**
  - **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017):** सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से **निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया।**
    - न्यायालय ने कहा कि **गोपनीयता जीवन और स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है** तथा इसमें व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा और सूचनात्मक आत्मनिर्णय शामिल है।

डेटा संरक्षण और निगरानी से संबंधित समकालीन मुद्दों पर निहितार्थ:

- **बढ़ी हुई कॉर्पोरेट ज़िम्मेदारी: निजता के अधिकार के विकास ने कंपनियों को सख्त डेटा सुरक्षा उपाय अपनाने के लिये मजबूर किया है। अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट**

नोट :

2023 के माध्यम से उन्हें अपने डेटा व्यवहारों के लिये जवाबदेह ठहराया जाता है, जिसमें उपयोगकर्त्ता और अदालतें गोपनीयता नीतियों की अधिक बारीकी से जाँच करती हैं।

- **सीमा पार डेटा प्रवाह:** गोपनीयता संबंधी विचार सीमा पार डेटा स्थानांतरण के नियमों को नया रूप दे रहे हैं।
- वर्ष 2022 में, **भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने** निर्देश जारी किये, जिसमें VPN प्रदाताओं को उपयोगकर्त्ता डेटा संग्रहीत करने की आवश्यकता थी।
- **सहमति और डेटा न्यूनीकरण:** हाल की गोपनीयता व्याख्याएँ सूचित सहमति और डेटा न्यूनीकरण पर ज़ोर देती हैं।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, इसे प्रतिबिंबित करता है तथा डेटा संग्रह के लिये सख्त सहमति आवश्यकताओं का प्रस्ताव करता है।
- यह बदलाव हाल की प्रथाओं में स्पष्ट है, जैसे कि **ऐप्स द्वारा अधिक विस्तृत गोपनीयता सेटिंग प्रदान करना** और **वेबसाइटों द्वारा कुकी नीतियों को अपडेट करना, जो** उपयोगकर्त्ता-केंद्रित डेटा प्रथाओं की ओर बढ़ने का संकेत देता है।
- **खुफिया जानकारी जुटाने पर निगरानी:** निजता का अधिकारों ने खुफिया जानकारी जुटाने पर निगरानी पर बहस को बढ़ावा दिया है।
- वर्ष 2021 के **पेगासस स्पाइवेयर विवाद** के कारण कथित अवैध निगरानी की जाँच के लिये सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक समिति नियुक्त की गई।
- यह घटना राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच बढ़ते तनाव को रेखांकित करती है तथा खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने पर ज़ोर देती है।

निष्कर्ष:

भारत में निजता के अधिकार की न्यायिक व्याख्या एक अपरिचित अवधारणा से विकसित होकर एक मज़बूत मौलिक अधिकार बन गई है। इस विकास ने डेटा संरक्षण, निगरानी और तकनीकी प्रगति जैसे समकालीन मुद्दों पर दूरगामी प्रभाव डाला है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि **डिजिटल युग में व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित रहे।**

प्रश्न : भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम गरीबी की चुनौतियों का समाधान करने में कितने प्रभावी रहे हैं? इन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में राजनीतिक भूमिका का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में गरीबी की स्थिति के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- भारत में गरीबी की चुनौती बताइये।
- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिये और इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालिये।
- इन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में राजनीतिक इच्छाशक्ति की भूमिका का परीक्षण कीजिये।
- इन कार्यक्रमों को मजबूत करने और गरीबी उन्मूलन के लिये आगे का रास्ता सुझाइये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत ने गरीबी उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रगति की है, 2022-2023 में गरीबी दर घटकर 4.5-5% रह गई है और एक दशक पहले की तुलना में ग्रामीण तथा शहरी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। इस सुधार का श्रेय विभिन्न सरकारी पहलों एवं योजनाओं को जाता है।

इन उपलब्धियों के बावजूद, भारत अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसा कि 2023 के वैश्विक भूख सूचकांक में 111वें स्थान और राज्यों में अलग-अलग गरीबी रेखाओं से पता चलता है। गरीबी को दूर करने पर उनके प्रभाव को समझने के लिये इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता तथा उनके कार्यान्वयन में राजनीतिक इच्छाशक्ति की भूमिका की जाँच करना महत्त्वपूर्ण है।

मुख्य भाग:

भारत में गरीबी के कारण

- **जनसंख्या वृद्धि और बेरोज़गारी:** जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, **जो औसतन 17 मिलियन प्रतिवर्ष है**, संसाधनों और नौकरियों की मांग को बढ़ाती है, जिससे बेरोज़गारी बढ़ती है तथा आर्थिक प्रणालियों पर दबाव पड़ता है।
- **कम कृषि उत्पादकता और जलवायु कारक:** खंडित भूमि जोत, पुरानी कृषि पद्धतियाँ तथा बाढ़ और चक्रवात जैसी बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएँ कृषि उत्पादन को कम करती हैं एवं कमज़ोर राज्यों में गरीबी को बढ़ाती हैं।
- **आर्थिक एवं संसाधन अकुशलताएँ:** 1991 से पहले धीमा आर्थिक विकास, अल्परोज़गार, छिपी हुई बेरोज़गारी और संसाधनों के अकुशल उपयोग के कारण आर्थिक अवसर एवं विकास सीमित हो गए।

नोट :

- **मूल्य वृद्धि और पूंजी की कमी:** लगातार मुद्रास्फीति से जीवन-यापन की लागत बढ़ जाती है, जिसका निम्न आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि अपर्याप्त पूंजी और उद्यमशीलता गतिविधि निवेश एवं रोज़गार सृजन को बाधित करती है।
- **सामाजिक और ऐतिहासिक कारक:** जाति-आधारित भेदभाव और उत्तराधिकार कानून जैसे सामाजिक मुद्दे, औपनिवेशिक शोषण की विरासत के साथ, असमानताओं को कायम रखते हैं और गरीबी उन्मूलन प्रयासों में बाधा उत्पन्न करते हैं।

भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

- **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) और अन्य कार्यक्रम:**
  - **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना: इस कार्यक्रम ने 80 करोड़** से अधिक परिवारों को मासिक आधार पर मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है।
  - **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी): इस योजना के अंतर्गत 4 करोड़** से अधिक पक्के मकान बनाए गए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबों के लिये आवास की स्थिति में सुधार हुआ है।
- **रोज़गार और आय सृजन:**
  - **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए):** यह प्रतिवर्ष 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आय स्थिरता में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
- **स्वास्थ्य एवं स्वच्छता:**
  - **आयुष्मान भारत- पीएम जन आरोग्य योजना:** स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को संबोधित करते हुए, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिये 55 करोड़ लाभार्थियों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज प्रदान करती है।
  - **स्वच्छ भारत मिशन:** लगभग **12 करोड़ शौचालयों के** निर्माण से स्वच्छता और सफाई में सुधार हुआ है, जो स्वास्थ्य तथा सम्मान के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **जल जीवन मिशन: 14.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों के** पास अब नल जल कनेक्शन है, जिससे स्वच्छ जल तक पहुँच बढ़ी है और स्वास्थ्य जोखिम कम हुआ है।
  - **सौभाग्य योजना:** 2.8 करोड़ घरों तक बिजली पहुँचाकर, इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाया है।
- **वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण:**
  - **प्रधानमंत्री जन धन योजना:** 52 करोड़ लोगों को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच प्रदान की गई, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला।
  - **पीएम स्वनिधि योजना:** 62 लाख से अधिक शहरी स्ट्रीट वेंडरों को बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान किया गया, जिससे उनके व्यवसाय और आर्थिक स्थिरता को समर्थन मिला।
  - **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम):** 10.04 करोड़ महिलाओं को 90.76 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया, जिससे आय के अवसरों में वृद्धि हुई और सामाजिक सशक्तिकरण हुआ।
- **परिणाम और प्रभाव:**
  - **बहुआयामी गरीबी न्यूनीकरण:** पिछले नौ वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, जो इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
  - **सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी):** सरकार के प्रयास 2030 से पहले बहुआयामी गरीबी को आधा करने के एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो इन हस्तक्षेपों की सफलता को दर्शाता है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन में राजनीतिक इच्छाशक्ति की भूमिका

- **नीति निर्माण और प्राथमिकता निर्धारण:**
  - राष्ट्रीय एजेंडे में गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता देने के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - सशक्त राजनीतिक नेतृत्व लक्षित नीतियों के निर्माण को आगे बढ़ाता है तथा गरीबी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये पर्याप्त संसाधन आवंटित करता है।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना:**
  - कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता लागू करने के लिये राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिये, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में सुधार और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा सेवा वितरण में सुधार लाने के राजनीतिक निर्णयों से प्रेरित थे।
- **क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान:**
  - गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

नोट :

- तमिलनाडु और केरल जैसे मज़बूत शासन वाले राज्यों में कमज़ोर राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले राज्यों की तुलना में कल्याणकारी योजनाओं का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन देखा गया है।

- **राजनीतिक लोकलुभावनवाद और अल्पकालिकता पर काबू पाना:**
  - गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सफलता अक्सर राजनीतिक लोकलुभावनवाद और दीर्घकालिक गरीबी उन्मूलन के बजाय चुनावी लाभ के लिये किये गए अल्पकालिक उपायों के कारण बाधित होती है।
  - एक प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व जो वोट बैंक की राजनीति की तुलना में सतत् विकास को प्राथमिकता देता है, महत्त्वपूर्ण है।

भारत में गरीबी उन्मूलन के लिये आगे का रास्ता

- **सतत् आर्थिक विकास और निवेश दक्षता**
  - प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिये अगले 25 वर्षों में 6-7% की निरंतर वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखें।
  - सकल स्थायी पूंजी निर्माण को सकल घरेलू उत्पाद के 30-32% तक बढ़ाना तथा तकनीकी प्रगति और दक्षता सुधार पर ध्यान केंद्रित करके वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) में सुधार करना।
- **घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना**
  - उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करते हुए, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे में पर्याप्त घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करना।
  - सुनिश्चित कीजिये कि निवेश घरेलू प्रयासों का पूरक हो तथा विकास और रोज़गार को बढ़ावा दे।
- **तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति अनुकूलन**
  - कौशल विकास के माध्यम से रोज़गार पर संभावित प्रभावों को संबोधित करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाना और एकीकृत करना।
  - प्रदूषण प्रबंधन और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये टिकाऊ प्रथाओं को लागू करना, पर्यावरणीय लक्ष्यों को समायोजित करने के लिये विकास लक्ष्यों को समायोजित करना।
- **सामाजिक सुरक्षा जाल और समावेशी विकास का विकास**
  - वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिये बुनियादी आय योजना के कार्यान्वयन पर विचार कीजिये तथा खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिये सब्सिडी को सुव्यवस्थित कीजिये।
  - जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने तथा गरीबी उन्मूलन में सहायता के लिये स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित सामाजिक बुनियादी ढाँचे में निवेश कीजिये।
- **नीतिगत ढाँचे और निवेश माहौल को मज़बूत बनाना**
  - नीतियों का विकास कीजिये जो अनुकूल निवेश वातावरण को सृजित करें और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के निवेश को प्रोत्साहित करें।
  - आर्थिक प्रदर्शन की निरंतर निगरानी कीजिये तथा विकास एवं गरीबी उन्मूलन लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिये रणनीतियों को समायोजित कीजिये।

निष्कर्ष:

भविष्य की ओर देखते हुए, गरीबी उन्मूलन के लिये भारत का मार्ग मज़बूत आर्थिक विकास को बनाए रखने और निवेश दक्षता को अनुकूलित करने पर स्थायी है। प्रौद्योगिकी को अपनाकर, पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करके और सामाजिक सुरक्षा जाल को मज़बूत करके, भारत समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है। दूरदर्शी दृष्टिकोण और रणनीतिक नीतियों के साथ, राष्ट्र जीवन स्तर को महत्त्वपूर्ण रूप से ऊपर उठाने तथा व्यापक गरीबी उन्मूलन को प्राप्त करने के लिये तैयार है।

प्रश्न : भारत के संघीय ढाँचे और विविध क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्यों के आलोक में एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा को रेखांकित करते हुए परिचय दीजिये।
- एक राष्ट्र, एक चुनाव के लाभ बताइये।
- इससे जुड़ी चुनौतियों पर गहराई से विचार कीजिये।
- आगे बढ़ने का एक संतुलित तरीका अपनाइये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" प्रस्ताव का उद्देश्य **लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है,** जिसका उद्देश्य लागत कम करना, व्यवधानों को न्यूनतम करना और शासन को सुव्यवस्थित करना है।

नोट :

- **ऐतिहासिक रूप से वर्ष 1967** तक एक साथ चुनाव कराना आदर्श था, लेकिन बाद में यह चक्र बाधित हो गया, **जिससे बार-बार चुनाव होने लगे।**
- विधि **आयोग की 170वीं रिपोर्ट** इस प्रणाली पर लौटने का समर्थन करती है तथा एकीकृत चुनाव व्यवस्था के लाभों पर प्रकाश डालती है।

मुख्यभाग:

एक राष्ट्र, एक चुनाव के लाभ:

- **लागत में कमी: एक साथ चुनाव कराने** से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर **अलग-अलग चुनाव कराने पर होने वाले खर्च में** काफी कमी आ सकती है।
- उदाहरण के लिये, 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए, इसे राज्य चुनावों के साथ जोड़ने पर कुल खर्च लगभग आधा हो सकता है।
- **शासन निरंतरता:** यह सरकारों को आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन के कारण होने वाले **लगातार व्यवधानों के बिना दीर्घकालिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे सकता है।**
- **सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा:** एक बार चुनाव कराने से **सुरक्षा कर्मियों पर दबाव कम होगा,** जिन्हें अक्सर कई चुनावों के दौरान लंबी अवधि के लिये तैनात किया जाता है।
  - यह विशेष रूप से सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे क्षेत्रों, जैसे **जम्मू और कश्मीर या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है।**
- **मतदाता मतदान में वृद्धि:** एक ही चुनाव आयोजन से **मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिल सकता है,** क्योंकि नागरिकों को राज्य और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों दोनों के लिये केवल एक बार ही मतदान करना होगा।
  - उदाहरण के लिये वर्ष **2024 के लोकसभा चुनावों में** मतदान **65.79% था,** जो वर्ष 2019 के चुनावों की तुलना में काफी कम था।
- **राजनीतिक ध्रुवीकरण में कमी:** चुनावों की आवृत्ति कम होने से **राजनीतिक प्रचार की निरंतर स्थिति में संभावित रूप से कमी आ सकती है।**
  - इससे अधिक केंद्रित शासन काल की अनुमति मिल सकती है, जिससे **सतत राजनीतिक बयानबाजी** के कारण उत्पन्न **सामाजिक विभाजन में कमी आ सकती है।**

एक राष्ट्र, एक चुनाव से संबंधित चुनौतियाँ:

- **लोकतांत्रिक जवाबदेही में कमी: यह प्रस्ताव चुनावी समय तय करने में राज्य की स्वायत्तता को कम** करके राजनीति की संघीय प्रकृति को कमज़ोर कर सकता है।
  - इसके अलावा, राष्ट्रीय मुद्दे राज्य-विशिष्ट चिंताओं पर हावी हो सकते हैं।
- ***यह चिंता एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)*** में निर्धारित सिद्धांतों को प्रतिध्वनित करती है, जिसमें **संविधान की मूल विशेषता के रूप में संघवाद के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया था।**
- **संवैधानिक संशोधन:** इसक लिये महत्त्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता है, विशेष रूप से **अनुच्छेद 83, 172, 85 और 174 में।**
- ***ऐसे किसी भी संशोधन को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)*** में निर्धारित **"मूल संरचना " परीक्षण** से गुजरना होगा ।
- **तार्किक जटिलता:** पूरे भारत में एक साथ चुनाव आयोजित करना भारी चुनौतियों से भरा होगा।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 2024 के आम चुनावों के लिये 1.048 मिलियन मतदान केंद्रों और 5.5 मिलियन **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की आवश्यकता होगी।**
  - इसे राज्य चुनावों के साथ जोड़ने से **इन संख्याओं में काफी वृद्धि होगी,** जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ेगा तथा व्यापक योजना और समन्वय की आवश्यकता होगी।
- **सरकार गिरने की स्थिति में अनिश्चितता: ऐसी** स्थिति से निपटने के लिये कोई स्पष्ट तंत्र नहीं है, जहाँ राज्य सरकार अपने कार्यकाल के बीच में ही गिर जाती है।
- **उदाहरण के लिये यदि** वर्ष **2019 में महाराष्ट्र** जैसी कोई राज्य सरकार गिर जाती है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमज़ोर किए बिना समन्वय कैसे बनाए रखा जाएगा।
- **विपक्ष की घटती भूमिका: लोकसभा चुनावों** से अलग समय पर आयोजित होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव, विपक्षी दलों को सरकार की नीतिगत विफलताओं को उजागर करने का लगातार मौका देते हैं।
  - नियमित जवाबदेही के दबाव के बिना पाँच वर्ष का विस्तारित कार्यकाल, सुधार और अनुकूलन के प्रति **सरकारों की प्रेरणा को कम कर सकता है।**

नोट :

आगे की राह

- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** कई चुनाव चक्रों में धीरे-धीरे चुनावों को समकालिक बनाने से संक्रमण आसान हो जाएगा। इसमें शामिल हो सकते हैं:
  - शुरुआत कुछ राज्यों से करते हैं जिनका **कार्यकाल लोकसभा चुनाव के करीब खत्म हो रहा है**
  - 5 वर्ष की अवधि में 2-3 चुनाव "क्लस्टर" बनाएँ।
  - **2-3 चुनाव चक्रों** में अधिकाधिक राज्यों को उत्तरोत्तर संरेखित करना।
  - संरेखण प्राप्त करने के लिये अवधि की लंबाई को थोड़ा समायोजित करना (जैसे कुछ महीनों तक बढ़ाना या कम करना)।
- **क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ बनाना:** राज्य-विशिष्ट मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान देने के लिये उपायों को लागू करना:
  - राजनीतिक दलों के लिये अलग-अलग राज्य और राष्ट्रीय घोषणा-पत्र जारी करना अनिवार्य करना।
  - राज्य स्तरीय मुद्दों के लिये **विशिष्ट अभियान समय और मीडिया कवरेज** आवंटित करना।
  - **राज्य चुनाव आयोगों की भूमिका को** मज़बूत बनाना।
- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय:** विभिन्न परिदृश्यों के लिये मज़बूत संवैधानिक तंत्र विकसित करना:
  - **यदि किसी एक स्तर (राज्य या केंद्र)** में बहुमत खत्म हो जाए तो सरकार गठन के लिये स्पष्ट प्रावधान।
  - **कार्यवाहक सरकारों और उनकी शक्तियों के लिये नियम** स्थापित करना।
  - मध्यावधि चुनावों के लिये शर्तें और प्रक्रियाएँ परिभाषित करना।
  - राज्य विधानसभाओं की स्वायत्तता बनाए रखने के लिये तंत्र सुनिश्चित करना।
- **चुनावी सुधार:** विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिये व्यापक सुधार लागू करना:
  - **अभियान के वित्तपोषण के लिये सख्त नियम** और पारदर्शिता उपाय लागू करना।
  - एक साथ चुनाव कराने के लिये **आदर्श आचार संहिता में** सुधार।

निष्कर्ष:

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" का विचार सार्थक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिये गहन **योजना, व्यापक सहमति और** भारत के लोकतंत्र पर दीर्घकालिक प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जैसे-जैसे चर्चाएँ जारी रहेंगी, **एक संतुलित दृष्टिकोण, संभवत: चरणबद्ध**, इसकी सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : "जलवायु परिवर्तन कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक महत्त्वपूर्ण पहलू के रूप में उभरी है।" वैश्विक जलवायु वार्ता के संदर्भ में भारत की स्थिति एवं योगदान का मूल्यांकन करते हुए इससे संबंधित चुनौतियों तथा अवसरों पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- जलवायु परिवर्तन कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आधारशिला बताते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- वैश्विक जलवायु वार्ता में भारत की स्थिति और योगदान बताइये।
- इससे संबंधित चुनौतियों और अवसरों पर गहराई से विचार कीजिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

जलवायु परिवर्तन कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आधारशिला बन गई है, जिसमें भारत **एक प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों की आवाज़ के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।**

- **विश्व में ग्रीनहाउस गैसों के तीसरे सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में,** भारत का रुख वैश्विक जलवायु कार्रवाई को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है तथा इसकी विकासात्मक आवश्यकताओं को पर्यावरणीय ज़िम्मेदारियों के साथ संतुलित करता है।

मुख्य भाग:

वैश्विक जलवायु वार्ता में भारत की स्थिति और योगदान:

- **समानता और जलवायु न्याय:**
  - भारत जलवायु कार्रवाई में समानता आधारित भार-साझाकरण की निरंतर वकालत करता रहा है।
    - COP26 (2021) में, भारतीय प्रधान मंत्री ने टिकाऊ जीवन शैली पर ज़ोर देते हुए "पर्यावरण के लिये जीवन शैली" (LiFE) की अवधारणा पेश की ।
  - भारत विकसित देशों पर दबाव डाल रहा है कि वे शुद्ध-शून्य लक्ष्य से आगे बढ़कर " **शुद्ध-नकारात्मक** " **उत्सर्जन** प्राप्त करें।

नोट :

- **महत्त्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य:**
- **ग्लासगो में आयोजित COP26 में** भारत की पाँच प्रतिबद्धताओं को **पेरिस समझौते** और दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीतियों के तहत **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** में एकीकृत किया गया है , जिसका उद्देश्य वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है।
- **वैश्विक पहल में नेतृत्व:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)**
  - **आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई)**
  - **प्रौद्योगिकी और नवाचार:**
  - ग्रीन ग्रिड पहल- एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड (GGI-OSOWOG): एक अंतर्राष्ट्रीय बिजली ग्रिड बनाने के लिये COP26 में लॉन्च किया गया
  - राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन: इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है
- **हानि एवं क्षति कोष: COP27** में भारत ने कमज़ोर देशों के लिये **"हानि एवं क्षति" कोष की स्थापना** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई
  - केवल कोयला ही नहीं, बल्कि सभी जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को **चरणबद्ध तरीके से कम करने की आवश्यकता को** बढ़ावा दिया
- **जी20 प्रेसीडेंसी (2023):** जलवायु कार्रवाई और सतत् विकास को प्राथमिकता दी जाएगी
- टिकाऊ जैव ईंधन को अपनाने को बढ़ावा देने के लिये **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की** शुरुआत की गई
- **वैश्विक दक्षिण की आवाज़:** भारत जलवायु वार्ता में विकासशील देशों के नेता के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है
- विकासशील देशों के परिवर्तनों का समर्थन करने के लिये **जलवायु वित्त (अनुकूलन उपायों के लिये) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की** वकालत करना

चुनौतियाँ:

- **वित्तीय बाधाएँ: जलवायु अनुकूलन और शमन उपायों को** लागू करने के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- भारत विकसित देशों से जलवायु वित्त पोषण बढ़ाने की मांग कर रहा है, जो **वार्ता में विवाद का विषय रहा है।**
- **तकनीकी सीमाएं:** हरित प्रौद्योगिकियों तक पहुंच और उनकी सामर्थ्य अभी भी महत्वपूर्ण बाधाएं बनी हुई हैं।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार के** मुद्दे अक्सर विकसित देशों से विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बाधा डालते हैं।
- **ऊर्जा परिवर्तन की जटिलताएं:** ऊर्जा के लिये कोयले पर भारत की भारी निर्भरता, स्वच्छ स्रोतों पर परिवर्तन में चुनौतियां उत्पन्न करती है।
- कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के सामाजिक -**आर्थिक प्रभाव,** जिसमें नौकरियां खत्म होना भी शामिल है, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं।
- **जलवायु प्रभावों के प्रति अनुकूलन:** भारत का विविध भूगोल इसे विभिन्न जलवायु परिवर्तन प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाता है, **जिसके लिये क्षेत्र-विशिष्ट अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता होती है।**
- सीमित संसाधनों के भीतर अनुकूलन और शमन प्रयासों में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है।

अवसर:

- **नवीकरणीय ऊर्जा नेतृत्व:** भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक नेता बनने का अवसर प्रस्तुत करते हैं।
- **एक मजबूत घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग** बनाने की क्षमता आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकती है।
- **हरित प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन: हरित प्रौद्योगिकियों के लिये अनुसंधान एवं विकास** में निवेश करके भारत को जलवायु समाधानों के नवप्रवर्तक और निर्यातक के रूप में स्थापित किया जा सकता है।
- स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स और उद्यमियों के लिये अवसर आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं।
- **जलवायु कूटनीति और सॉफ्ट पावर:** आईएसए जैसी पहलों में भारत का नेतृत्व इसकी सॉफ्ट पावर और कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाता है।
- **जलवायु वार्ता में उत्तर-दक्षिण विभाजन को** पाटने की क्षमता , जिससे भारत एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में स्थापित हो सकेगा।
- **जलवायु-अनुकूल कृषि:** जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों का विकास और कार्यान्वयन खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका को बढ़ा सकता है।
- उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिये उपयुक्त **टिकाऊ कृषि तकनीकों में वैश्विक नेता** बनने की क्षमता ।
- **कार्बन बाज़ार के अवसर:** उत्सर्जन में कमी लाने की भारत की बड़ी क्षमता वैश्विक कार्बन बाज़ारों में अवसर प्रस्तुत करती है।
- एक **मजबूत घरेलू कार्बन बाजार विकसित करने** से अंतर्राष्ट्रीय निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आकर्षित हो सकता है।

नोट :

निष्कर्ष:

जलवायु कूटनीति के प्रति भारत का दृष्टिकोण राष्ट्रीय विकास और वैश्विक पर्यावरण प्रबंधन के बीच जटिल संतुलन को दर्शाता है। कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हुए, भारत के पास **सतत विकास में नेतृत्व करने के लिये अद्वितीय अवसर भी हैं।** जैसे-जैसे जलवायु वार्ता विकसित होती है, एक न्यायसंगत और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था बनाने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है।

प्रश्न : पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत का ऊर्जा सहयोग देश की ऊर्जा सुरक्षा में क्या महत्त्व रखता है। प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और भारत उनका समाधान किस प्रकार कर सकता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की ऊर्जा सुरक्षा के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- पश्चिम एशिया के साथ भारत के ऊर्जा सहयोग के महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
- भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
- चुनौतियों से निपटने के लिये आगे का रास्ता बताइये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, जो अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों, खासकर तेल और गैस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये बाहरी स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। 2023 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत 39.02 एक्साजूल थी, जिसमें घरेलू उत्पादन इसकी ज़रूरतों का केवल 68% ही पूरा कर पाया। यह ऊर्जा सहयोग को, खासकर पश्चिम एशियाई देशों के साथ, देश की तेज़ आर्थिक वृद्धि के बीच ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण बनाता है।

मुख्य भाग:

पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा सहयोग का महत्त्व:

- **तेल और गैस के प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता:** खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) राज्यों सहित पश्चिम एशियाई देश **भारत के तेल और गैस आयात का लगभग 55-60% आपूर्ति करते हैं।** ये देश भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में विश्वसनीय भागीदार रहे हैं, विशेष रूप से परिवहन क्षेत्र के लिये, जो पेट्रोलियम आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
- **भौगोलिक निकटता और स्थापित नेटवर्क:** खाड़ी क्षेत्र की भारत से निकटता, साथ ही लंबे समय से चले आ रहे क्रेता-विक्रेता संबंधों के कारण कुशल और लागत प्रभावी ऊर्जा परिवहन सुनिश्चित होता है। यह निकटता पारगमन समय तथा रसद चुनौतियों को कम करती है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है।
- **मूल्य स्थिरता और विशेष मूल्य निर्धारण समझौते:** सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश विशेष कीमतों पर तेल तथा गैस की उपलब्ध करवाते हैं, जिससे वैश्विक बाज़ार में उतार-चढ़ाव के बावजूद ऊर्जा लागत में स्थिरता बनी रहती है। ये समझौते भारत की बजट योजना और आर्थिक स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **वैश्विक बाज़ार में उतार-चढ़ाव के बीच निर्भरता:** खाड़ी देशों ने भारत को लगातार ऊर्जा की आपूर्ति की है, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अस्थिरता के दौर में भी। स्थिर आपूर्ति बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता भारत की ऊर्जा ज़रूरतों की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण रही है।
- **रणनीतिक भू-राजनीतिक संबंध:** पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के मज़बूत राजनीतिक और आर्थिक संबंध अनुकूल ऊर्जा सौदे हासिल करने तथा निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में योगदान करते हैं। ये संबंध ऊर्जा बाज़ार की जटिल भू-राजनीति को समझने में महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये पश्चिम एशिया से जुड़ी चुनौतियाँ:

- **राजनीतिक अस्थिरता के कारण आपूर्ति में व्यवधान:** पश्चिम एशिया, जो भारत के कुल तेल और गैस आयात में लगभग 55-60% का योगदान देता है, एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता है।
  - इराक, सीरिया और यमन जैसे देशों में या होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे महत्त्वपूर्ण पारगमन बिंदुओं पर संघर्ष तथा तनाव के कारण तेल आपूर्ति में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
    - उदाहरण के लिये, होर्मुज़ जलडमरूमध्य में कोई भी नाकाबंदी या संघर्ष, भारत द्वारा 2023 में खपत किये जाने वाले लगभग 21.98 एक्साजूल तेल के परिवहन को तत्काल खतरे में डाल सकता है, जिससे ऊर्जा की कमी और कीमतों में उछाल आ सकता है।
- **कुछ प्रमुख आपूर्तिकर्त्ताओं पर भारी निर्भरता:** तेल आयात के लिये भारत की सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कुछ पश्चिम एशियाई देशों पर महत्त्वपूर्ण निर्भरता, इन देशों में किसी भी राजनीतिक या आर्थिक उथल-पुथल के कारण इसकी ऊर्जा सुरक्षा अत्यधिक असुरक्षित हो जाती है।

नोट :

- वर्ष 2023-24 में ये देश शीर्ष आपूर्तिकर्त्ताओं में शामिल थे, जिसमें इराक दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था। यह निर्भरता, खासकर तब जब घरेलू उत्पादन कुल ऊर्जा ज़रूरतों का केवल 32% ही पूरा करता है, इन प्रमुख आपूर्तिकर्त्ताओं के अस्थिर होने पर आपूर्ति में झटके लगने के जोखिम को रेखांकित करता है।

- **भू-राजनीतिक तनाव और प्रतिद्वंद्विता:** पश्चिम एशिया में जटिल भू-राजनीतिक वातावरण, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, साथ ही अमेरिका तथा रूस जैसी बाहरी शक्तियों की भागीदारी, भारत की निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की क्षमता को जटिल बनाती है।
  - गठबंधनों और संघर्षों से भरे इस क्षेत्र में संतुलित संबंध बनाए रखने की भारत की आवश्यकता एक कूटनीतिक चुनौती प्रस्तुत करती है, विशेषकर तब जब इसकी प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का 35% से अधिक, विशेष रूप से तेल एवं गैस, इन अस्थिर भूराजनीति से बँधा हुआ है।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का प्रभाव:** अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, विशेषकर अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।
  - उदाहरण के लिये, भारत को ईरान से अपने तेल आयात में भारी कटौती करने के लिये मजबूर होना पड़ा, जबकि ईरान एक प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता है और उसकी ऊर्जा मांग बहुत अधिक होने के बावजूद वह अनुकूल शर्तें प्रदान कर रहा था।
    - अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं की ओर ध्यान देना आवश्यक हो गया, जो अक्सर अधिक लागत और कम अनुकूल शर्तों के साथ आते हैं, जिससे ऊर्जा सुरक्षा के प्रबंधन की जटिलता बढ़ गई।
- **तेल मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण आर्थिक कमज़ोरियाँ:** पश्चिम एशियाई तेल बाज़ार मूल्य अस्थिरता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जो क्षेत्रीय संघर्षों, ओपेक देशों द्वारा उत्पादन में कटौती या वैश्विक आर्थिक बदलावों के कारण होता है।
  - यह देखते हुए कि वर्ष 2023 में भारत की तेल खपत 5.44 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी, कोई भी महत्त्वपूर्ण मूल्य वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकती है, आयात बिल बढ़ा सकती है और भुगतान संतुलन को प्रभावित कर सकती है।
    - यह आर्थिक कमज़ोरी भारत के परिवहन क्षेत्र के लिये तेल आयात पर निर्भरता के कारण और बढ़ जाती है, जो समग्र आर्थिक स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण है।

पश्चिम एशियाई चुनौतियों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के उपाय:

- **पश्चिम एशिया से परे ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण:** भारत को अफ्रीका, मध्य एशिया और अमेरिका जैसे वैकल्पिक क्षेत्रों का उपयोग करके ऊर्जा आयात में विविधता लाने के अपने प्रयासों में तेज़ी लानी चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2023-24 में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्त्ता बन गया, जो विविधीकरण रणनीतियों की सफलता को दर्शाता है। ऐसे प्रयासों का विस्तार पश्चिम एशिया पर निर्भरता को कम कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता से जुड़े जोखिम कम हो सकते हैं।
- **रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करना और जोखिमों से बचाव करना:** ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ मज़बूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देकर, विशेष रूप से उनके हालिया राजनयिक मेल-मिलाप के मद्देनजर, भारत संभावित आपूर्ति व्यवधानों से बचाव कर सकता है।
  - यह दृष्टिकोण भारत को बेहतर सौदे करने और स्थिर, दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक तेल बाज़ार की अस्थिरता से सुरक्षित रहती है।
- **घरेलू उत्पादन और रणनीतिक भंडार में वृद्धि:** शोधन क्षमताओं के विस्तार के साथ-साथ घरेलू तेल और गैस अन्वेषण में निवेश करना भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - 2023 में भारत का घरेलू उत्पादन उसकी कुल ऊर्जा खपत की ज़रूरतों का सिर्फ 32% ही पूरा कर पाएगा। इसके अलावा, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में वृद्धि- जो वर्तमान में आयात के लगभग 9.5 दिनों की पूर्ति करने में सक्षम है - पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनावों के कारण होने वाले अल्पकालिक व्यवधानों के विरुद्ध एक बफर प्रदान कर सकती है।
- **सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति के लिये क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना:** भारत पश्चिम एशिया में शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान की वकालत करने के लिये अपने बढ़ते राजनयिक प्रभाव का लाभ उठा सकता है।
  - एक अधिक स्थिर क्षेत्र सीधे तौर पर अधिक विश्वसनीय और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति शृंखला से संबंधित है, जो भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो 2023 में 35.16 एक्साजूल थी।

नोट :

- **नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में निवेश को बढ़ावा देना:** सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित करके, भारत पश्चिम एशिया से आयातित जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है।
  - प्रतिवर्ष 2500 गीगावाट तक सौर ऊर्जा का दोहन करने की क्षमता के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करना ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने और भारत के शुद्ध-शून्य कार्बन लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने की कुंजी है।

निष्कर्ष:

निष्कर्ष के तौर पर, जबकि पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण बना हुआ है, इस क्षेत्र की राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अस्थिरता महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती है। इन जोखिमों को कम करने के लिये, भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लानी चाहिये, रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करना चाहिये और घरेलू उत्पादन को बढ़ाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा में निवेश करना और क्षेत्रीय स्थिरता की वकालत करना दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता तथा आर्थिक लचीलापन हासिल करने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

प्रश्न : हाल ही में मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध और भारत के सामरिक हितों के लिये उनके महत्त्व का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- हाल के वर्षों में मध्य एशिया पर भारत के नए फोकस पर प्रकाश डालते हुए परिचय दीजिये।
- मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के हालिया जुड़ाव पर गहन विचार कीजिये।
- भारत के सामरिक हितों के लिये मध्य एशिया के महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वर्ष 2012 में शुरू की गई "कनेक्ट सेंट्रल एशिया" नीति, कूटनीतिक , आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा आयामों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में विकसित हुई है।

- भारत की मध्य एशियाई कूटनीति में महत्त्वपूर्ण क्षण जनवरी 2022 में प्रथम भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के साथ आया।

मध्य एशियाई देशों के साथ भारत की हालिया भागीदारी:

- **संपर्क: भारत द्वारा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर** के निवेश से **ईरान में चाबहार बंदरगाह** का विकास , मध्य एशिया के लिये प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा तथा **पाकिस्तान** द्वारा उत्पन्न भू-राजनीतिक चुनौतियों से छुटकारा दिलाएगा ।
- अंतर्राष्ट्रीय **उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी),** 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी-मॉडल नेटवर्क है, जो **भारत और मध्य एशिया के बीच पारगमन समय को 40% तक कम करने का वादा करता है।**
- **ऊर्जा सुरक्षा:** मध्य एशिया के विशाल हाइड्रोकार्बन भंडार भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, जिससे प्राकृतिक तालमेल को बढ़ावा मिलता है। प्रमुख विकासों में शामिल हैं:
- भू-राजनीतिक बाधाओं के बावजूद, तुर्कमेनिस्तान **-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) पाइपलाइन** भारत की ऊर्जा विविधीकरण रणनीति की आधारशिला बनी हुई है।
- परमाणु ईंधन निगम ने उल्लेखनीय प्रगति की है, कजाकिस्तान ने वर्ष **2015-2019 के बीच भारत को 5,000 टन यूरेनियम की आपूर्ति की है।**
  - यह साझेदारी भारत के महत्त्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिये महत्त्वपूर्ण है, जिसका लक्ष्य **2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाना है।**
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** आतंकवाद, उग्रवाद और क्षेत्रीय स्थिरता पर साझा चिंताओं के कारण मध्य एशिया के साथ भारत का सुरक्षा संबंध एवं गहरा हुआ है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
- **भारत-कज़ाखस्तान "काजिन्द" अभ्यास** और **किर्गिजस्तान के साथ आतंकवाद-रोधी अभ्यास** जैसे नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास, अंतर-संचालन एवं रणनीतिक विश्वास को बढ़ाते हैं।
- **वर्ष 2020 में अफगानिस्तान पर भारत-मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह** की स्थापना क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के प्रति समन्वित दृष्टिकोण को दर्शाती है, विशेष रूप से वर्ष **2021 के बाद अफगानिस्तान** में उभरती स्थिति के आलोक में।
- **वर्ष 2017 से शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** में भारत की पूर्ण सदस्यता ने मध्य एशियाई भागीदारों के साथ सुरक्षा सहयोग और रणनीतिक वार्ता के लिये एक अतिरिक्त बहुपक्षीय मंच प्रदान किया है।
- **सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंध:** सांस्कृतिक समानताओं की सॉफ्ट पावर क्षमता को पहचानते हुए, भारत ने अपनी सांस्कृतिक कूटनीति को तीव्र किया है।

नोट :

- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम **मध्य एशियाई देशों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करता है**, जिससे शैक्षिक और व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष:

हाल के वर्षों में मध्य एशिया पर भारत का नया फोकस इसकी विदेश नीति प्रतिमान में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में अपने **भू-राजनीतिक प्रभाव** और **आर्थिक पदचिह्न को** बढ़ाने के लिये एक **रणनीतिक पुनर्संयोजन को दर्शाता है।**

सामाजिक न्याय

प्रश्न : भारत में बाल श्रम के मूल कारणों का विश्लेषण कीजिये। साथ ही, बाल श्रम उन्मूलन में सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में बाल श्रम की सीमा पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- भारत में बाल श्रम के मूल कारण बताएँ।
- बाल श्रम उन्मूलन में सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर गहनता से विचार कीजिये।
- आगे का रास्ता बताएँ।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

भारत में बाल श्रम एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जहाँ **लाखों बच्चे शिक्षा प्राप्त करने और अपने बचपन का आनंद लेने के बजाय** कार्य में लगे हुए हैं।

- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24** सहित अन्य सुरक्षा उपायों के बावजूद जटिल सामाजिक-आर्थिक कारकों के कारण यह प्रथा जारी है।

मुख्य भाग:

भारत में बाल श्रम के मूल कारण:

- **गरीबी और आर्थिक आवश्यकता:** भारत में बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी बनी हुई है।
  - भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2022-23 में **11.28%** थी।
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के एक अध्ययन में पाया गया कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रमिक **परिवार की आय में 25-40%** तक का योगदान करते हैं।
  - यह आर्थिक निर्भरता एक ऐसा चक्र बनाती है **जहाँ बच्चे स्कूल जाने के बजाय कार्य करने के लिये मजबूर होते हैं,** जिससे पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी बनी रहती है और सामाजिक गतिशीलता के भविष्य के अवसर सीमित हो जाते हैं।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच का अभाव:** भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच कई बच्चों के लिये एक चुनौती बनी हुई है।
  - **वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2023** के अनुसार, ग्रामीण भारत में 14 से 18 आयु वर्ग के 42% बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है।
  - **UDISE+ वर्ष 2021-22** के आँकड़ों से पता चलता है कि माध्यमिक स्तर (9-10) पर स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक **12.6%** है।
- **अपर्याप्त कानून प्रवर्तन:** यद्यपि भारत में बाल श्रम के विरुद्ध व्यापक कानून हैं, फिर भी इनका प्रवर्तन एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।
  - **बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016** कुछ अपवादों को छोड़कर सभी व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है।
  - तथापि, **श्रम निरीक्षकों की कमी और अनौपचारिक क्षेत्र में रोज़गार की व्यापकता** के कारण उल्लंघनों की प्रभावी निगरानी एवं मुकदमा चलाना कठिन हो जाता है।
- **सस्ते श्रम की मांग:** विभिन्न उद्योगों में सस्ते, अकुशल श्रम की मांग बाल श्रम को बढ़ावा देती है।
  - **कृषि, विनिर्माण और घरेलू कार्य** जैसे क्षेत्र अक्सर लागत कम करने के लिये बाल श्रमिकों पर निर्भर रहते हैं।

बाल श्रम उन्मूलन में सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता:

- **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP):** वर्ष 1988 में शुरू की गई NCLP का उद्देश्य शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से बाल श्रमिकों का पुनर्वास करना है।
  - हालाँकि अपर्याप्त फंडिंग और अपर्याप्त निगरानी के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित रही है।
  - गरीबी और गुणवत्तापूर्ण मुख्यधारा शिक्षा की कमी जैसी अंतर्निहित समस्याओं का समाधान करने में विफलता के कारण कार्यक्रम का प्रभाव और भी कम हो गया है।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE):** वर्ष 2010 में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।

नोट :

- यद्यपि शिक्षा के अधिकार ने शिक्षा तक पहुँच में सुधार किया है, परंतु **इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाई है,** जो बाल श्रम से होने वाले तात्कालिक आर्थिक लाभों से प्रभावी रूप से मुकाबला कर सके।

- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:** बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। हालाँकि इसका क्रियान्वयन राज्यों में अलग-अलग है।
- **सर्व शिक्षा अभियान (SSA):** प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है तथा विकल्प प्रदान करके अप्रत्यक्ष रूप से बाल श्रम की समस्या को हल करता है। हालाँकि **प्रतिधारण के मामले में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।**
- **पेंसिल (बाल श्रम निषेध हेतु प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच): बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986** के प्रावधानों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल।
  - इसके प्राथमिक कार्यों में बाल श्रम डेटा को केंद्रीकृत करना, शिकायत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना और सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों व जनता के बीच प्रतिक्रिया प्रयासों का समन्वय करना शामिल है। हालाँकि इसका कार्यान्वयन कमज़ोर रहा है।

आगे की राह

- **शिक्षा को उन्नत करना: राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020** का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ ही **शिक्षक प्रशिक्षण और अवसंरचना को उन्नत कर** सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है।
  - शिक्षा को अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बनाने के लिये **प्राथमिक स्तर से ही कौशल-आधारित शिक्षा** शुरू की जानी चाहिये।
- **परिवारों को सशक्त बनाकर बच्चों को सशक्त बनाना:** परिवारों को बच्चों को स्कूल में नामांकन व शिक्षा दिलाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये **सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों का विस्तार** और **सुधार** करने की आवश्यकता है।
  - घरेलू आय बढ़ाने के लिये माता-पिता को **व्यावसायिक प्रशिक्षण और माइक्रोफाइनेंस के अवसर** प्रदान किये जाने चाहिये।
- **सामुदायिक चैंपियन:** ज़मीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिये स्थानीय नेताओं को **बाल श्रम रोकथाम अधिवक्ताओं के रूप में प्रशिक्षित करने** की नितांत आवश्यकता है।
  - बाल श्रम मामलों की निगरानी और मामलों की रिपोर्ट करने के लिये **सामुदायिक सतर्कता समितियों** की स्थापना की जानी चाहिये।
  - कमज़ोर क्षेत्रों में बच्चों और अभिभावकों के लिये जागरूकता अभियान आयोजित कर समुदाय द्वारा संचालित बदलाव को बढ़ावा देने की दिशा में सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है।
- **सख्त कानून:** बाल श्रम कानूनों के प्रवर्तन में सुधार के लिये **श्रम निरीक्षकों की संख्या और क्षमता** बढ़ाई जानी चाहिये।
  - **बाल श्रम के नियोक्ताओं के लिये सख्त दंड** लागू की जानी चाहिये तथा मामलों के त्वरित समाधान के लिये **फास्ट-ट्रैक अदालतें** स्थापित की जानी चाहिये।
- **अंतर को पाटना:** बचाए गए बाल मज़दूरों को समाज में पुन: सम्मिलित/एकीकृत करने हेतु उनके लिये लक्षित कार्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता है।
  - बच्चों को अकादमिक स्तर पर आगे बढ़ने में मदद करने के लिये **त्वरित शिक्षण कार्यक्रम** शुरू करने के साथ ही परामर्श एवं पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने की आवश्यकता है।
  - बचाए गए बच्चों का सफल वयस्कों के साथ समन्वय कर उन्हें प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिये मेंटरशिप कार्यक्रम बनाए जाने चाहिये।
- **कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व:** सभी व्यवसायों के लिये बाल श्रम ऑडिट अनिवार्य कर **बाल श्रम-मुक्त कंपनियों** के लिये अधिमान्य सरकारी अनुबंध लागू किये जाने चाहिये।
  - कमज़ोर समुदायों में शिक्षा और कौशल विकास पर केंद्रित **कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी पहलों** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

बाल श्रम को खत्म करने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो बाल अधिकारों की रक्षा और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में तत्काल कारणों एवं अंतर्निहित संरचनात्मक मुद्दों दोनों का समाधान करता है जैसा कि ***एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य मामले*** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उजागर किया गया है। सरकारी कार्यक्रमों ने कुछ प्रगति तो की है, फिर भी **बाल-श्रम-मुक्त भारत** के निर्माण के लिये ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

■■■

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : डिजिटल भुगतान वित्तीय सशक्तीकरण और समावेशन में किस प्रकार योगदान करते हैं, इस पर चर्चा कीजिये। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं से संबंधित चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- डिजिटल इंडिया और UPI पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- वित्तीय समावेशन और सशक्तीकरण में डिजिटल भुगतान की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
- ग्रामीण भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार से संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- ग्रामीण भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार से संबंधित अवसर बताइये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

डिजिटल भुगतान प्रणाली, जिसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के रूप में भी जाना जाता है, मोबाइल फोन, POS टर्मिनल या कंप्यूटर जैसे डिजिटल उपकरणों के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में धन के हस्तांतरण को संदर्भित करता है।

मुख्य भाग:

वित्तीय समावेशन और सशक्तीकरण में डिजिटल भुगतान की भूमिका:

- **पहुँच:** डिजिटल भुगतान बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाओं वाली आबादी के लिये वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुँच मिलती है।
  - **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के कारण वर्ष 2021 तक 430 मिलियन** से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें से कई अब डिजिटल भुगतान प्रणालियों से संबंधित हैं।
- **लागत-प्रभावशीलता:** डिजिटल लेन-देन प्रदाताओं एवं उपयोगकर्त्ताओं के लिये वित्तीय सेवाओं की लागत में कमी आती है।
  - डिजिटल लेन-देन की लागत **भौतिक लेन-देन के 1/10वें हिस्से** जितनी कम हो सकती है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेहिता:** डिजिटल भुगतान से सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और लीकेज कम होता है।
  - सरकार **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से ₹2.5 लाख करोड़ बचाने** में सक्षम रही है।
- **महिला सशक्तीकरण:** डिजिटल भुगतान महिलाओं को अपने वित्त पर अधिक नियंत्रण एवं गोपनीयता प्रदान करता है।
  - **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** के तहत महिलाओं के खातों में मातृत्व लाभ को सीधे स्थानांतरित करने के लिये डिजिटल भुगतान का उपयोग होता है।

ग्रामीण भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार से संबंधित चुनौतियाँ:

- **सीमित डिजिटल अवसंरचना:** ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी और अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति से डिजिटल भुगतान को अपनाने में बाधा आती है।
  - **ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 24% घरों में इंटरनेट की सुविधा है**, जबकि शहरों में यह 66% है।
- **डिजिटल निरक्षरता:** ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर (25%), इसे अपनाने में महत्त्वपूर्ण बाधा है।
- **विश्वास और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** धोखाधड़ी का डर और डिजिटल प्रणाली में विश्वास की कमी (खासकर ग्रामीण लोगों के बीच) बनी हुई है।
  - **वित्त वर्ष 2020-21 में डिजिटल लेन-देन धोखाधड़ी के 2,545 मामले सामने आए, जिससे इसमें लोगों का विश्वास कम** हुआ।
- **भाषा संबंधी बाधाएँ:** अधिकांश डिजिटल भुगतान इंटरफेस अंग्रेज़ी में हैं, जिससे ग्रामीण उपयोगकर्त्ताओं को कठिनाई होती है।
  - UPI कई भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है लेकिन **कई अन्य डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म अभी भी मुख्य रूप से अंग्रेज़ी में हैं।**

ग्रामीण भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार से संबंधित अवसर:

- **तकनीकी नवाचार:** ऑफलाइन UPI, वॉयस-आधारित भुगतान और फीचर फोन-आधारित सेवाओं जैसे नवाचार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं को अपनाने में वृद्धि हो सकती है।

नोट :

- NPCI द्वारा UPI123Pay का लॉन्च इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- **वित्तीय साक्षरता अभियान:** लक्षित अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं।
  - RBI का वित्तीय साक्षरता केंद्र (FLC), इस दिशा में एक अच्छा कदम है।
- **कृषि-तकनीक वित्तीय एकीकरण:** कृषि-तकनीक प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल वित्तीय सेवाओं को एकीकृत करने से ग्रामीण किसानों के लिये एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सकता है।
  - इसमें मौसम-आधारित फसल बीमा, आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण और एकीकृत भुगतान समाधानों के साथ बाज़ार लिंकेज प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएँ शामिल हो सकती हैं।
  - इस तरह के एकीकरण से किसानों की ऋण, जोखिम प्रबंधन उपकरण और बाज़ार के अवसरों तक पहुँच में सुधार हो सकता है।
- **सहयोगी बैंकिंग मॉडल:** पारंपरिक बैंकों, फिनटेक कंपनियों और डाकघरों या सहकारी समितियों जैसे स्थानीय संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करके डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुँच को बढ़ाया जा सकता है।
  - इस सहयोग से नए डिजिटल उत्पादों को प्रस्तुत करने के क्रम में मौजूदा ग्रामीण नेटवर्क और विश्वास संबंधों का लाभ उठाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

डिजिटल विभाजन को कम करके, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाकर और डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाकर, भारत डिजिटल भुगतान की पूरी क्षमता का दोहन कर सकता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, गरीबी कम होगी तथा **लाखों लोगों को नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था एवं उसके बाद नकदी रहित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने में सहायता मिलेगी।**

प्रश्न : भारत की जीडीपी वृद्धि दर ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के समक्ष अनुकूलता दिखाई है। इस वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिये और उन संभावित जोखिमों पर चर्चा कीजिये, जो निकट भविष्य में भारत के आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की जीडीपी विकास दर से संबंधित आँकड़े का हवाला देते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों पर गहराई से विचार कीजिये
- भारत की आर्थिक प्रगति के लिये संभावित जोखिमों पर प्रकाश डालिये
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया है, 2024-25 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि होने की उम्मीद है। **भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और सख्त वित्तीय स्थितियों के बावजूद,** भारत की वृद्धि मजबूत बनी हुई है।

मुख्यभाग:

भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले कारक

- **घरेलू बाजार - वैश्विक उथल-पुथल से सुरक्षा:** भारत के विशाल घरेलू बाजार ने वैश्विक आर्थिक प्रतिकूलताओं के विरुद्ध एक बफर के रूप में कार्य किया है।
- 1.4 अरब की आबादी और बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ, आंतरिक उपभोग ने आर्थिक गति को बनाए रखने में मदद की है।
- **2022 में, जब कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही थीं, भारत का निजी उपभोग व्यय वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में साल-दर-साल 3.5%** बढ़ा।
- **सेवा-आधारित विकास-डिजिटल लहर पर सवार:** वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का आईटी और डिजिटल सेवा क्षेत्र लगातार फल-फूल रहा है।
- जहां विकसित देश लागत प्रभावी डिजिटल समाधान चाहते हैं, वहीं **भारतीय आईटी कंपनियों में निरंतर मांग देखी जा रही है** ।
  - वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र में साल-दर-साल 7% की वृद्धि हुई।
- **विविध निर्यात पोर्टफोलियो - जोखिम का प्रसार:** कुछ निर्यात वस्तुओं पर निर्भर रहने वाले कई विकासशील देशों के विपरीत, भारत के पास विविध निर्यात पोर्टफोलियो है।
- जब कुछ वस्तुओं की वैश्विक मांग में गिरावट आई तो **अन्य वस्तुओं ने भी अपनी मांग बढ़ा ली**

नोट :

- उदाहरण के लिये, जबकि कपड़ा निर्यात को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात **में 2023-24 में 2.13% की वृद्धि हुई,** जिससे समग्र निर्यात स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली।
- **रणनीतिक नीतिगत उपाय:** भारत सरकार की सक्रिय नीतियों से वैश्विक झटकों को कम करने में मदद मिली है।
  - 14 प्रमुख क्षेत्रों में शुरू की गई उत्पादन -**लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने** निवेश आकर्षित किया है और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया है।
  - विनिर्माण क्षेत्र ने प्रभावशाली वृद्धि प्रदर्शित की है, जो **वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में साल-दर-साल 11.6% की दर से विस्तारित हुई है।**
- **डिजिटल परिवर्तन: भारत डिजिटल इंडिया और एकीकृत भुगतान इंटरफेस** के लोकतंत्रीकरण जैसी पहलों के माध्यम से एक डिजिटल क्रांति देख रहा है , जिसमें **2023 में** इंटरनेट की पहुंच साल-दर-साल 8% बढ़ रही है।
  - यह डिजिटल प्रयास उद्योगों में बदलाव ला रहा है, विकास के नए अवसर पैदा कर रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ा रहा है।

भारत की आर्थिक प्रगति के लिये संभावित जोखिम

- **रोजगार सृजन में कमी** : यद्यपि भारत प्रभावशाली आर्थिक विकास का दावा करता है, लेकिन इससे पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं हुआ है।
  - **अप्रैल 2024 में** भारत में बेरोजगारी दर 8.1% होगी । (**सीएमआईई का उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण)।**
- **निरंतर असमानता: भारत में अमीर और गरीब के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है, 2022-23 में** गिनी गुणांक 0.4197 पर है।
  - भारत में धन असमानता छह दशक के उच्चतम स्तर पर है, जहां **शीर्ष 1% लोगों के पास 40.1% धन है। (विश्व असमानता प्रयोगशाला)**
- **निर्यात संघर्ष: नीतिगत प्रोत्साहनों के बावजूद, वित्त वर्ष 24 में** भारत का निर्यात 3% घट गया ।
  - अप्रैल 2024 के दौरान वस्तु **व्यापार घाटा 19.1 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा** , जो अप्रैल 2023 के दौरान 14.44 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है, जो वैश्विक बाजार में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में चुनौतियों का संकेत देता है।
- **जलवायु परिवर्तन जोखिम:** भारत का तीव्र औद्योगीकरण और शहरीकरण पर्यावरणीय क्षरण की कीमत पर हुआ है।
  - भारतीय रिजर्व बैंक का सुझाव है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण **2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5%** तक जोखिम में पड़ सकता है।
- **संभावित राजकोषीय फिसलन जोखिम : एसएंडपी ग्लोबल के अनुसार,** सामान्य सरकारी राजकोषीय घाटा, घटते हुए भी, वित्त वर्ष 28 तक सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% रहने का अनुमान है।
  - राजकोषीय समेकन पथ से कोई भी विचलन भारत की क्रेडिट रेटिंग और उधार लागत को प्रभावित कर सकता है, जिससे समग्र आर्थिक स्थिरता पर संभावित रूप से असर पड़ सकता है।

निष्कर्ष:

भारत की आर्थिक वृद्धि प्रभावशाली रही है, जो घरेलू मांग, विनिर्माण पुनरुत्थान और डिजिटल उछाल से प्रेरित है। रोजगार सृजन, राजकोषीय दबाव, असमानता और जलवायु परिवर्तन जोखिम जैसी चुनौतियों से निपटने में भारत की सफलता **2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की अपनी आकांक्षा को प्राप्त करने की उसकी क्षमता निर्धारित करेगी।**

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये साइबर आतंकवाद के बढ़ते खतरे का परीक्षण कीजिये। इस खतरे से निपटने के क्रम में सरकार द्वारा किये गए उपायों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- साइबर आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के बारे में संक्षिप्त परिचय दें
- भारत में साइबर आतंकवाद के खतरों का उल्लेख करें
- इस खतरे से निपटने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालें
- इस खतरे और भारत की आंतरिक सुरक्षा में सुधार के उपाय सुझाएँ
- उचित निष्कर्ष निकालें

नोट :

परिचय:

साइबर आतंकवाद साइबरस्पेस को आतंकवाद के साथ मिला देता है, जिसमें राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिये सरकारों या लोगों को डराने या मजबूर करने के लिये कंप्यूटर और नेटवर्क पर गैरकानूनी हमले शामिल हैं। ऐसे हमले, जिनका परिणाम हिंसा या महत्त्वपूर्ण नुकसान होना चाहिए, महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को निशाना बना सकते हैं, जिससे गंभीर आर्थिक नुकसान या भय पैदा हो सकता है। भारत में, यह उभरता हुआ खतरा आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देता है, जिससे सरकार को संभावित व्यवधानों से बचाने और राष्ट्रीय स्थिरता की रक्षा के लिये मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिये प्रेरित किया जाता है।

शरीर:

भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये साइबर आतंकवाद का बढ़ता खतरा

- **डिजिटल फुटप्रिंट में वृद्धि:**
  - भारत, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है, को बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी विशाल डिजिटल आबादी साइबर आतंकवाद का लक्ष्य बन रही है।
  - विशाल डिजिटल अवसंरचना आतंकवादियों को दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिये प्रौद्योगिकी का दोहन करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।
- **उल्लेखनीय आतंकवादी घटनाएँ:**
  - उरी हमला, पुलवामा हमला और 26/11 मुंबई घटना जैसे बड़े हमलों ने आतंकवादी कार्रवाइयों को क्रियान्वित करने और समन्वय करने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की महत्त्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित किया है।
  - उदाहरण के लिये, मुंबई हमलावरों ने योजना बनाने और वास्तविक समय संचार के लिये गूगल अर्थ, मोबाइल नेटवर्क और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जिससे महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणालियों की कमजोरी उजागर हुई।
- **बढ़ते साइबर खतरे:**
  - 2020 में, CERT-In ने 1.1 मिलियन से अधिक साइबर आतंकवाद-संबंधी खतरों से निपटने की सूचना दी, जिसमें मैलवेयर प्रसार, फ़िशिंग और रैनसमवेयर जैसे विभिन्न हमले शामिल थे।
  - साइबर खतरों में यह वृद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये बढ़ती चुनौती और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को इंगित करती है।
- **डिजिटल उपकरणों का दोहन:**
  - आतंकवादी सूचना एकत्र करने और परिचालन समन्वय के लिये डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाते हैं, जैसा कि पिछले हमलों में दूरसंचार और इंटरनेट संसाधनों के व्यापक उपयोग से स्पष्ट है।
  - प्रौद्योगिकी का यह दुरुपयोग भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये उन्नत डिजिटल सुरक्षा की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव:**
  - साइबर आतंकवाद बड़े पैमाने पर व्यवधान, आर्थिक नुकसान और जनता में भय पैदा करके आंतरिक सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा पैदा करता है।
  - साइबर आतंकवादियों की महत्त्वपूर्ण बुनियादी संरचना और संवेदनशील जानकारी से समझौता करने की क्षमता देश की स्थिरता और सुरक्षा के लिये खतरा है।

साइबर आतंकवाद से निपटने के लिये भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना:** भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में साइबर अपराधों को कम करने के लिये रक्षा मंत्रालय के तहत बनाई गई।
- **साइबर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी) का गठन:** साइबर सुरक्षा घटनाओं और खतरों का जवाब देने और प्रबंधन करने के लिये स्थापित किया गया।
- **राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) का निर्माण:** साइबर खतरों और आतंकवाद से निपटने के लिये केंद्रीय केंद्र, सुव्यवस्थित सूचना प्रवाह के लिये सभी सीईआरटी और आईएसएसी को एकीकृत करना।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) का शुभारंभ:** **यह केंद्र** साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद से व्यापक रूप से निपटने के लिये गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधीन कार्य करता है।
- **साइबर ऑडिट और नीति दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन:** सशस्त्र बलों के लिये मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करता है, जिसमें भौतिक जांच और नीति प्रवर्तन भी शामिल है।
- **नियमित साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन:** साइबर खतरों के प्रति तैयारी और प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिये मॉक अभ्यास।

नोट :

- **भारत के भीतर इंटरनेट ट्रैफ़िक को रूट करना:** सरकारी मंत्रालयों, आईएसपी (इंटरनेट सेवा प्रदाताओं) और एनएक्सआई (भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज) के सहयोग से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत में उत्पन्न और समाप्त होने वाला इंटरनेट ट्रैफ़िक राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही रहे।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना:** दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिये बॉटनेट सफाई और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र, मैलवेयर हटाने के लिये मुफ्त उपकरण प्रदान करना।

साइबर सुरक्षा में सुधार और भारत की आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने के सुझाव

- **कानूनी ढाँचे को मजबूत करना:**
  - अंतरालों और सीमाओं को दूर करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम 2000 को अद्यतन और विस्तारित करना।
  - साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध, जासूसी और धोखाधड़ी को कवर करने वाले व्यापक कानून स्पष्ट परिभाषाओं, प्रक्रियाओं और दंड के साथ बनाएं।
- **साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना:**
  - तकनीकी स्टाफ, साइबर फोरेंसिक सुविधाओं और साइबर सुरक्षा मानकों के विकास में निवेश करें।
  - साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना तथा हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना।
- **साइबर सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करें:**
  - महत्त्वपूर्ण साइबर घटनाओं का विश्लेषण करने, सुधार की सिफारिश करने, तथा शून्य-विश्वास संरचना और मानकीकृत प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल अपनाने के लिये सरकारी और निजी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों वाला एक बोर्ड बनाएं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार:**
  - सर्वोत्तम प्रथाओं, खतरे की खुफिया जानकारी को साझा करने और साइबर कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये वैश्विक और क्षेत्रीय संगठनों के साथ जुड़ना।
  - आम साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिये आसियान क्षेत्रीय मंच और भारत-अमेरिका साइबर सुरक्षा मंच जैसे संवादों और पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेना।

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे भारत अपने डिजिटल परिदृश्य का विस्तार करना जारी रखता है, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिये साइबर सुरक्षा को मजबूत करना सर्वोपरि है। भविष्य के प्रयासों को कानूनी ढाँचों को मजबूत करने, तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने और उभरते साइबर खतरों से आगे रहने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक सक्रिय और सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, भारत अपने महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की बेहतर सुरक्षा कर सकता है और अपने नागरिकों के लिये एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित कर सकता है।

आपदा प्रबंधन

प्रश्न : भारत की शहरी बाढ़ हेतु उत्तरदायी कारणों पर चर्चा कीजिये। सतत् शहरी नियोजन बाढ़ के प्रति अनुकूलन में किस प्रकार योगदान दे सकता है? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- शहरी बाढ़ को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत में शहरी बाढ़ के कारण बताइये।
- बाढ़ के प्रति अनुकूलता हेतु धारणीय शहरी नियोजन पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

शहरी बाढ़ एक निर्मित परिवेश में, विशेष रूप से शहरों जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, भूमि या संपत्ति के जलमग्न होने की स्थिति है जो प्राय: तब उत्पन्न होती है जब वर्षा के कारण जलजमाव वहाँ की जल निकासी प्रणालियों की क्षमता पर भारी पड़ता है।

मुख्य भाग:

भारत में शहरी बाढ़ के कारण:

- **जल निकासी प्रणालियों पर दबाव:** भूमि की बढ़ती कीमतों और कम उपलब्धता के कारण निचले शहरी इलाकों में झीलों, आर्द्रभूमि तथा नदी तलों के दबाव के परिणामस्वरूप इस समस्या में वृद्धि हुई है।
- **जलवायु परिवर्तन:** इसके कारण निम्न अवधि में **भारी वर्षा की आवृत्ति में वृद्धि हुई है,** जिसके परिणामस्वरूप उच्च जल अपवाह की स्थिति बनती है।

नोट :

- जब भी वर्षा-युक्त बादल अर्बन हीट आइलैंड के ऊपर से गुज़रते हैं तो वहाँ की गर्म हवा उन्हें ऊपर धकेल देती है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक स्थानीयकृत वर्षा होती है जो कभी-कभी उच्च तीव्रता के साथ भी हो सकती है।

- **अनियोजित पर्यटन गतिविधियाँ:** पर्यटन विकास के लिये आकर्षण के रूप में जल निकायों का उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के दौरान नदियों तथा झीलों में गैर-जैव अपघटनीय पदार्थ फेंके जाने से जल की गुणवत्ता कम हो जाती है।
  - बाढ़ की स्थिति में ये निलंबित कण और प्रदूषक शहरों में स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **केरल के कोल्लम में अष्टमुडी झील नावों से होने वाले तेल रिसाव से प्रदूषित हो गई है।**
- **बिना पूर्व चेतावनी बाँधों से जल छोड़ना:** बाँधों और झीलों से अनियोजित तरीके से और अचानक जल छोड़े जाने से भी शहरी क्षेत्र में बाढ़ आती है, जहाँ लोगों को बचाव उपाय के लिये पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाता है।
  - **उदाहरण के लिये, चेंबरमबक्कम झील से जल छोड़े जाने के कारण वर्ष 2015 में चेन्नई में बाढ़** आई थी।
  - हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़े गए 2 लाख क्यूसेक जल के कारण **जुलाई 2023 में दिल्ली में बाढ़** की स्थिति पैदा हो गई थी।
- **अवैध खनन:** भवन निर्माण में उपयोग के लिये नदी की रेत और क्वार्टजाइट के अवैध खनन के कारण नदियों एवं झीलों का प्राकृतिक तल नष्ट हो जाता है।
  - इस कारण मृदा अपरदन होता है और यह जल प्रवाह की गति एवं पैमाने में वृद्धि करते हुए जलाशय की जलधारण क्षमता को कम करता है।
  - उदाहरणत: **जयसमंद झील- जोधपुर, कावेरी नदी- तमिलनाडु।**

बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता हेतु धारणीय नियोजन:

- **नील-हरित अवसंरचना का विकास करना:** नील-हरित अवसंरचना (Blue Green Infrastructure) शहरी और जलवायु संबंधी चुनौतियों के लिये एक संवहनीय प्राकृतिक समाधान प्रदान करने का एक प्रभावी तरीका है।
  - अधिक सुखद, कम तनावपूर्ण परिवेश के सृजन के लिये जल प्रबंधन और सुदृढ़ बुनियादी ढाँचे के विकास पर एकसमान रूप से बल दिया जाना चाहिये।
- **बाढ़ संवेदनशीलता मानचित्रण (Flood vulnerability Mapping):** शहरी स्तर पर स्थलाकृति और बाढ़ के ऐतिहासिक आँकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है।
  - शहर और ग्राम के स्तर पर सभी जल निकायों तथा आर्द्रभूमि का रिकॉर्ड बनाए रखना बाढ़ से बचने, उसका सामना कर सकने एवं लचीलापन पाने के लिये समान रूप से महत्त्वपूर्ण होगा।
- **प्रभावी वाटर-शेड प्रबंधन:** फ्लड-वाल का निर्माण, बाढ़ प्रवण नदी घाटियों के किनारे ऊँचे प्लेटफॉर्म बनाना, जल निकासी चैनलों की समय-समय पर सफाई और उन्हें गहरा करना आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें केवल शहरी क्षेत्रों के बजाय समग्र नदी बेसिन में अपनाया जाना चाहिये।
  - सड़कों के किनारे बायोस्वेल (Bioswales) बनाए जा सकते हैं ताकि सड़कों से बारिश का जल उनकी ओर बहे और नीचे चला जाए।
- **आपदा प्रत्यास्थी सार्वजनिक प्रतिष्ठान (Disaster Resilient Public Utility):** अस्पतालों और स्कूलों जैसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों तथा भोजन, जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं को आपदा प्रत्यास्थी बनाया जाना चाहिये।
  - उन्हें इस तरह स्थापित या पुनर्स्थापित किया जाना चाहिये कि वे बाढ़ के दौरान बिना किसी बाधा के कार्य करने में सक्षम बने रहें।
- **संवेदीकरण और पुनर्वास:** प्रतिक्रिया अभ्यासों (Response Drills) के साथ ही बाढ़ हेतु पूर्व-तैयारी और शमन उपायों के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिये।
  - अपवाहिकाओं और जल निकायों के किनारे अवैध निर्माण से संलग्न जोखिमों के बारे में निवासियों को जागरूक किया जाना आवश्यक है। सरकार को गरीबों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने पर भी विचार करना चाहिये।
- **संस्थागत व्यवस्थाएँ:** शहर स्तर पर एक एकीकृत बाढ़ नियंत्रण कार्यान्वयन एजेंसी का निर्माण करना आवश्यक है, जिसमें शहर के प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक, पुलिस, अग्निशामक, गैर-सरकारी संगठन और अन्य आपातकालीन सेवा प्रदाता शामिल हों।

निष्कर्ष:

भारत में शहरी बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए सतत्, प्रकृति-आधारित शहरी नियोजन की आवश्यकता है, जो **सतत् विकास लक्ष्य संख्या 6, 11 और 13** के अनुरूप हो। अनुकूली बुनियादी ढाँचे को अपनाने तथा सामुदायिक अनुकूलन को बढ़ावा देने के माध्यम से भारतीय शहर, बाढ़ अनुकूलन और सतत् विकास के मॉडल बन सकते हैं।

नोट :

जैवविविधता और पर्यावरण

प्रश्न : भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परिदृश्य पर चर्चा कीजिये। एक स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों एवं अवसरों पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारत में अपशिष्ट परिदृश्य का संक्षेप में विवरण दीजिये।
- भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के समक्ष आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
- सतत् अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली प्राप्त करने के अवसरों पर प्रकाश डालिये।
- भारत में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाएँ।
- उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) के अनुसार, भारत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) उत्पन्न करने वाले विश्व के शीर्ष 10 देशों में से एक है, जो सालाना **62 मिलियन टन से अधिक उत्पादन करता है। इसमें से केवल 43 मिलियन टन एकत्र किया जाता है, केवल 12 मिलियन टन का उपचार किया जाता है, जिससे 31 मिलियन टन अनुचित तरीके से त्याग दिया जाता है।** ***जर्नल ऑफ अर्बन मैनेजमेंट के*** 2021 के एक अध्ययन में बताया गया है कि इस **कचरे में 7.9 मिलियन टन खतरनाक अपशिष्ट और 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट शामिल हैं। चूँकि वर्ष 2030 तक** अपशिष्ट उत्पादन बढ़कर 165 मिलियन टन होने का अनुमान है, इसलिये देश को स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है

मुख्य भाग:

सतत् अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली प्राप्त करने में चुनौतियाँ

- **बुनियादी ढाँचा और वित्तीय बाधाएँ**
  - भारत को अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिये पुराने या अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण विकास की गति से अधिक है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर बुनियादी अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की कमी होती है, जिसके कारण खुले में जलाने या डंपिंग जैसे पारंपरिक तरीकों पर निर्भरता बनी रहती है।
  - नगर पालिकाओं में वित्तीय बाधाओं के कारण आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों में निवेश नहीं हो पाता, जिसके कारण अपशिष्ट संग्रहण और प्रसंस्करण अकुशल हो जाता है।
- **जन जागरूकता और भागीदारी**
  - स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण के महत्त्व के बारे में सीमित सार्वजनिक समझ के परिणामस्वरूप मिश्रित अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसका प्रसंस्करण चुनौतीपूर्ण होता है।
  - उचित अपशिष्ट निपटान प्रथाओं पर अपर्याप्त शिक्षा, पुनर्चक्रण सुविधाओं तक सीमित पहुँच और प्रोत्साहन की कमी के कारण अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में व्यापक उदासीनता या ज्ञान की कमी होती है।
- **तकनीकी सीमाएँ और विविध अपशिष्ट धाराएँ**
  - खुले में कूड़ा फेंकना और उचित उत्सर्जन नियंत्रण के बिना जला देना जैसी पुरानी अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता, प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को बढ़ाती है।
  - भारत विविध प्रकार के अपशिष्टों से जूझ रहा है, जिनमें घरेलू, औद्योगिक, ई-कचरा और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक के प्रभावी प्रबंधन के लिये विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- **अनौपचारिक अपशिष्ट क्षेत्र और भूमि की कमी से जुड़ी चुनौतियाँ**
  - भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण अनौपचारिक अपशिष्ट क्षेत्र, सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों का सामना कर रहा है तथा इसे औपचारिक मान्यता और समर्थन का अभाव है।
  - शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट निपटान के लिये भूमि की कमी अपशिष्ट के प्रबंधन और सतत् उपचार को और अधिक जटिल बना देती है, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया में भूमि एक महत्त्वपूर्ण संसाधन बन जाती है।

सतत् अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली प्राप्त करने के अवसर

- **चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं के माध्यम से संसाधनों के रूप में अपशिष्ट का उपयोग**
  - पुनर्चक्रण, पुन:उपयोग और संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देकर अपशिष्ट को एक संसाधन के रूप में महत्त्व देने से अपशिष्ट के भार को काफी सीमा तक घटाया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिये, बंगलुरु के शुष्क अपशिष्ट संग्रहण केंद्र (डीडब्ल्यूसीसी) गैर-जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करते हैं, स्रोत पर पृथक्करण में सुधार करते हैं और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देते हैं।

नोट :

- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होता है कि निर्माता अपने उत्पादों के संपूर्ण जीवनचक्र की ज़िम्मेदारी लें, जिससे सतत् अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा मिले।
- **विनियामक ढाँचे और नीतिगत पहलों को मज़बूत करना**
  - एक मज़बूत नियामक प्राधिकरण की स्थापना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी नीतियों को बढ़ावा देने से नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है, प्रदर्शन मानकों को लागू किया जा सकता है और अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढाँचे में सुधार किया जा सकता है।
    - इंदौर के स्वच्छतम शहर अभियान की सफलता, जिसमें 100% डोर-टू-डोर संग्रहण और अपशिष्ट पृथक्करण का सख्त प्रवर्तन शामिल है, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के उच्च मानकों को प्राप्त करने में मज़बूत नीतिगत ढाँचे की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करती है।
- **सतत् वित्तपोषण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)**
  - धन जुटाने के लिये अपशिष्ट कर लागू करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करने से कुशल अपशिष्ट प्रबंधन के लिये आवश्यक विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और निवेश लाया जा सकता है।
    - पुणे की स्वच्छ सहकारी संस्था, जो कचरा बीनने वालों की भागीदारी वाली एक संस्था है, यह दर्शाती है कि किस प्रकार वित्तीय सहायता के साथ समुदाय-संचालित मॉडल के माध्यम से लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे में महत्त्वपूर्ण कमी लाई जा सकती है तथा पुनर्चक्रण दर में सुधार लाया जा सकता है।
- **अपशिष्ट से ऊर्जा में तकनीकी प्रगति**
  - अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाली प्रौद्योगिकियों में निवेश करने से गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को मूल्यवान ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे लैंडफिल का उपयोग कम हो सकता है और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है।
    - अलप्पुझा की शून्य अपशिष्ट पहल, जिसका फोकस कम्पोस्ट बनाने और विकेंद्रित अपशिष्ट प्रबंधन पर है, इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस प्रकार प्रौद्योगिकी और स्थानीय पद्धतियाँ पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए लैंडफिल पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकती हैं।
      - उदाहरण के लिये, बायो-बीन, एक यूके-आधारित स्टार्टअप है जो कॉफी के अवशेषों को जैव-ईंधन में परिवर्तित करता है। उन्होंने सफलतापूर्वक एक अपशिष्ट उत्पाद को एक मूल्यवान ऊर्जा स्रोत में बदल दिया है, जो अपशिष्ट को धन में बदलने की क्षमता को दर्शाता है।
- **सामुदायिक सहभागिता, शिक्षा और क्षमता निर्माण**
  - जागरूकता अभियानों और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने से अपशिष्ट का बेहतर पृथक्करण हो सकता है और अपशिष्ट उत्पादन में कमी आ सकती है।
    - दीर्घकालिक स्थिरता के लिये अलप्पुझा के विकेन्द्रीकृत कम्पोस्ट कार्यक्रम जैसी जमीनी पहलों सहित सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण आवश्यक है।
    - जैसा कि इंदौर में देखा गया, जन जागरूकता अभियान भी स्वच्छता बनाए रखने और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में अपशिष्ट प्रणाली में सुधार के लिये सुझाव

- **जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करें** निरंतर संवेदीकरण कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जनता को शामिल करें। स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण को प्रोत्साहित करना और कूड़ा-कचरा कम करना अपशिष्ट प्रबंधन में काफी सुधार कर सकता है।
  - पश्चिम बंगाल के एक विरासत शहर में यह आंदोलन इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार जन भागीदारी से अपशिष्ट प्रबंधन में बदलाव लाया जा सकता है तथा स्वच्छ शहरों का निर्माण किया जा सकता है।
- **क्षेत्र-विशिष्ट और निचले स्तर की योजना अपनाएँ** भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करें। स्थानीय समुदायों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमियों को शामिल करके जमीनी स्तर की योजना बनाकर सतत् समाधान तैयार किए जा सकते हैं।
  - केरल का विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल प्रभावी रूप से क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, तथा लैंडफिल पर निर्भरता को कम करता है।
- **विनियामक ढाँचे और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना** अपशिष्ट प्रबंधन विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये कानून और प्रवर्तन को मजबूत करना, तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

नोट :

- मध्य प्रदेश के इंदौर में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार मजबूत विनियमन और निजी क्षेत्र के सहयोग से कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सतत स्वच्छता को बढ़ावा मिल सकता है।

- **सतत् वित्तपोषण और विकेन्द्रीकृत योजनाओं को बढ़ावा देना** , स्थानीय आर्थिक स्थितियों के आधार पर अपशिष्ट संग्रहण शुल्क जैसे राजस्व सृजन तंत्र विकसित करना।
  - बैंगलोर की "स्वच्छ बैंगलोर" जैसी विकेन्द्रीकृत योजनाएं अपशिष्ट प्रबंधन के लिये वित्तीय संसाधनों को बढ़ाती हैं, केंद्रीकृत प्रणालियों पर बोझ कम करती हैं और समग्र सेवा वितरण में सुधार करती हैं।

निष्कर्ष:

प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिये भारत का मार्ग चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अभिनव समाधानों और दृढ़ प्रयासों से समृद्ध है। उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना एक स्वच्छ और अधिक सतत् भविष्य बनाने की कुंजी है। सफलता अपशिष्ट प्रबंधन संकट से निपटने और भविष्य की पीढ़ियों के लिये एक स्वस्थ वातावरण सुरक्षित करने के लिये सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिकों के सहयोगी प्रयासों पर निर्भर करती है।

प्रश्न : 'प्रकृति-आधारित समाधान' की अवधारणा वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रही है। चर्चा कीजिये कि भारत अपनी पर्यावरण नीति और जैवविविधता संरक्षण के प्रयासों में इस दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से किस प्रकार शामिल कर सकता है। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रकृति आधारित समाधानों को परिभाषित करके परिचय दीजिये।
- प्रकृति-आधारित समाधानों में बढ़ती वैश्विक रुचि के समर्थन में तर्क दीजिये।
- भारत की पर्यावरण नीति में एनबीएस को शामिल करने के तरीके सुझाइये।
- भारत के जैव विविधता संरक्षण में एनबीएस को शामिल करने के तरीके सुझाइये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) प्राकृतिक या संशोधित पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा, स्थायी प्रबंधन और पुनर्स्थापना के लिये किए जाने वाले कार्य हैं , जो सामाजिक चुनौतियों का प्रभावी और अनुकूल तरीके से समाधान करते हैं, साथ ही मानव कल्याण और जैव विविधता को लाभ भी प्रदान करते हैं।

- यह अवधारणा वैश्विक महत्त्व प्राप्त कर रही है क्योंकि देश **जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जैव विविधता हानि से निपटने के लिये स्थायी तरीके खोज रहे हैं।**
- भारत में, अपनी विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों और समृद्ध जैव विविधता के कारण, एनबीएस को क्रियान्वित करने की महत्त्वपूर्ण क्षमता मौजूद है।

मुख्य भाग:

प्रकृति-आधारित समाधानों में बढ़ती वैश्विक रुचि:

- वर्ष 2022 में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने** औपचारिक रूप से प्रकृति-आधारित समाधानों को मान्यता दे दी।
- **जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD) ने** एनबीएस को 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढाँचे में शामिल कर लिया है।
- पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त **राष्ट्र दशक (2021-2030)** अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक प्रमुख दृष्टिकोण के रूप में एनबीएस पर जोर देता है।

भारत की पर्यावरण नीति में एनबीएस को शामिल करना:

- **नीतिगत ढाँचा:** भारत एनबीएस को अपनी मौजूदा पर्यावरण नीतियों में एकीकृत कर सकता है और नई, समर्पित नीतियाँ बना सकता है। उदाहरण के लिये:
  - **राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना को** अद्यतन करना ताकि उसमें एनबीएस रणनीतियों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सके।
  - **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना** में एनबीएस को शामिल करना ।
  - विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिये मार्गदर्शन हेतु एक विशिष्ट **प्रकृति-आधारित समाधान नीति विकसित करना।**
- **क्रॉस-सेक्टरल एकीकरण:** एनबीएस को कृषि, शहरी विकास, जल प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिये:

नोट :

- शहरी नियोजन नीतियों में **हरित बुनियादी ढाँचे और शहरी वनों को अनिवार्य बनाया जा सकता है।**

- **वित्तीय तंत्र** : एनबीएस परियोजनाओं के लिये समर्पित वित्तपोषण तंत्र स्थापित करना:
  - **मौजूदा राष्ट्रीय अनुकूलन कोष** के समान एक **प्रकृति-आधारित समाधान कोष** बनाइये ।
  - कर लाभ और हरित बांड के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित कीजिये।

भारत के जैव विविधता संरक्षण में एनबीएस को शामिल करना:

- **पारिस्थितिकी तंत्र बहाली:** एनबीएस सिद्धांतों का उपयोग करके पारिस्थितिकी तंत्र बहाली प्रयासों को बढ़ाना:
  - तटीय संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के लिये **तटीय रेखाओं के किनारे मैंग्रोव पुनरुद्धार का** विस्तार करना ।
  - सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन और सामुदायिक वानिकी के माध्यम से **क्षीण वनों को पुनर्स्थापित करना ।**
  - **उदाहरण : पश्चिम बंगाल में सुंदरवन मैंग्रोव पुनरुद्धार परियोजना** , जो न केवल जैव विविधता को बढ़ाती है, बल्कि तूफान से सुरक्षा और आजीविका के अवसर भी प्रदान करती है।
- **संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन:** एनबीएस दृष्टिकोण का उपयोग करके संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन को बढ़ाएं:
  - **बफर जोन प्रबंधन रणनीतियों को** लागू कीजिये जिससे वन्यजीवों और स्थानीय समुदायों दोनों को लाभ हो।
  - खंडित आवासों को जोड़ने के लिये पारिस्थितिक गलियारों का उपयोग कीजिये।
  - **उदाहरण : काजीरंगा-कार्बी आंगलोंग लैंडस्केप** संरक्षण पहल, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को आसपास के जंगलों से जोड़ने के लिये गलियारों का उपयोग करती है।
- **शहरी जैव विविधता:** एनबीएस के माध्यम से शहरी जैव विविधता को बढ़ावा देना:
  - तूफानी जल प्रबंधन और जैव विविधता के लिये शहरी आर्द्रभूमि का विकास करना।
  - **उदाहरण : दिल्ली में यमुना जैव विविधता पार्क,** जिसने शहर को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हुए देशी वनस्पतियों और जीवों को पुनर्स्थापित किया है।
- **कृषि-जैव विविधता संरक्षण:** कृषि परिदृश्य में एनबीएस को एकीकृत कीजिये:
  - **स्पेन में 'देहेसा' या राजस्थान में 'खेजड़ी'** जैसी पारंपरिक कृषि वानिकी प्रणालियों को बढ़ावा देना।
  - **उदाहरण : जनजातीय क्षेत्रों में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित वाडी परियोजना** , जो वानिकी और कृषि के साथ फल वृक्षों की खेती को जोड़ती है।
- **समुदाय-आधारित संरक्षण:** एनबीएस कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना:
  - **वन अधिकार अधिनियम** के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को बढ़ावा देना ।
  - **उदाहरण : नगालैंड में खोनोमा प्रकृति संरक्षण** और ट्रोगोपैन अभयारण्य, जिसका प्रबंधन स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है।

निष्कर्ष:

अपनी समृद्ध प्राकृतिक पूंजी और पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाकर भारत एनबीएस कार्यान्वयन में वैश्विक नेता बन सकता है। यह दृष्टिकोण न **केवल जैव विविधता संरक्षण को बढ़ाता है बल्कि जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सतत विकास में भी योगदान देता है।**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रश्न : साइबर हमलों, विशेष रूप से डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस (DDoS) हमलों, के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की परिचालन दक्षता पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हुए सार्वजनिक विमर्श और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये उनके व्यापक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- DDoS हमले के प्रभाव के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की परिचालन दक्षता पर DDoS हमले के प्रभाव का उल्लेख कीजिये।
- सार्वजनिक संवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये व्यापक निहितार्थों पर प्रकाश डालिये।
- DDoS हमले से निपटने के लिये आगे का रास्ता बताइये।
- उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

साइबर हमले, खास तौर पर डिस्ट्रिब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस (DDoS) हमले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की परिचालन दक्षता के लिये महत्त्वपूर्ण खतरे बनकर उभरे हैं। अत्यधिक ट्रैफिक के साथ सिस्टम को अभिभूत करके, ये हमले सेवाओं को बाधित करते हैं, वित्तीय नुकसान पहुँचाते हैं, उपयोगकर्त्ता अनुभव से समझौता करते हैं और सार्वजनिक चर्चा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये व्यापक जोखिम उत्पन्न करते हैं।

नोट :

परिचालन दक्षता पर प्रभाव:

- **सेवा में व्यवधान और डाउनटाइम:** DDoS हमलों के कारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, जिससे सेवाएँ पहुँच से बाहर हो जाती हैं। इससे लंबे समय तक डाउनटाइम होता है, जिससे उपयोगकर्त्ताओं के लिये प्लेटफॉर्म की उपलब्धता प्रभावित होती है।
  - उदाहरण के लिये, 2020 में अमेज़न वेब सर्विसेज़ (AWS) ने एक महत्त्वपूर्ण DDoS हमले का अनुभव किया, जिसने घंटों तक इसकी सेवाओं को बाधित किया, यहाँ तक कि सबसे बड़े प्लेटफार्मों की भेद्यता को भी उजागर किया।
- **वित्तीय घाटा:** DDoS हमलों के कारण होने वाले डाउनटाइम के परिणामस्वरूप व्यापार के अवसरों की हानि, कानूनी देनदारियों और हमले को कम करने से जुड़ी लागतों के कारण प्रत्यक्ष वित्तीय घाटा होता है।
  - शोध का अनुमान है कि व्यवसाय के चरम घंटों के दौरान एक मिनट की भी रुकावट से बड़ी कंपनियों को 5,600 डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, जो इसके गंभीर आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है।
- **उपयोगकर्त्ता के विश्वास में कमी और प्रतिष्ठा को नुकसान:** निरंतर या गंभीर DDoS हमले उपयोगकर्त्ता के विश्वास को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ग्राहक प्लेटफॉर्म को अविश्वसनीय या असुरक्षित मान सकते हैं।
  - इससे ग्राहक आधार में कमी आ सकती है तथा दीर्घकालिक प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, जिससे उबरना कठिन हो सकता है।
- **परिचालन लागत में वृद्धि:** कंपनियों को DDoS हमलों से बचाव के लिये मज़बूत साइबर सुरक्षा उपायों में निवेश करना चाहिये, जिससे परिचालन लागत बढ़ जाती है।
  - इसमें उन्नत फायरवॉल, DDoS शमन सेवाओं को लागू करना तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल की निरंतर निगरानी और अद्यतन करने के लिये साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को नियुक्त करना शामिल है।

सार्वजनिक संवाद के लिये व्यापक निहितार्थ:

- **सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** DDoS हमलों का उपयोग असहमतिपूर्ण राय या विवादास्पद सामग्री होस्ट करने वाली वेबसाइटों, ब्लॉगों या प्लेटफॉर्मों को लक्षित करके आवाज़ को दबाने के लिये किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, राजनीतिक ब्लॉग, स्वतंत्र समाचार आउटलेट और कार्यकर्त्ता वेबसाइटों को DDoS हमलों का लक्ष्य बनाया गया है, जिससे सार्वजनिक संवाद में बाधा उत्पन्न हुई है तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है।
- **जनमत को प्रभावित करना:** विशिष्ट प्लेटफॉर्मों को लक्षित करके, हमलावर सूचना की उपलब्धता को नियंत्रित करके जनमत में हेर-फेर कर सकते हैं।
  - यह चयनात्मक व्यवधान राजनीतिक परिणामों, सामाजिक आंदोलनों और जन भावनाओं को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से चुनाव या विरोध प्रदर्शन जैसे महत्त्वपूर्ण समय के दौरान।
- **ई-गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवाओं पर प्रभाव:** सरकारी वेबसाइट और ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म अक्सर DDoS हमलों का लक्ष्य बनते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सेवा में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है।
  - इससे डिजिटल शासन में विश्वास कम होता है और नागरिकों की महत्त्वपूर्ण सूचना एवं सेवाओं तक पहुँच की क्षमता बाधित होती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ:

- **महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की भेद्यता:** DDoS हमले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना, जैसे कि विद्युत ग्रिड, वित्तीय प्रणालियाँ और संचार नेटवर्क को लक्ष्य बना सकते हैं, जिससे व्यापक व्यवधान तथा संभावित आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
  - वर्ष 2016 के डायन साइबर हमले ने, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख इंटरनेट प्लेटफॉर्मों को बाधित कर दिया था, यह प्रदर्शित किया कि इस तरह के हमलों के प्रति महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे कितने कमज़ोर हो सकते हैं।
- **साइबर युद्ध और जासूसी:** राज्य प्रायोजित DDoS हमलों का उपयोग साइबर युद्ध के उपकरण के रूप में तेज़ी से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रों के ऑनलाइन बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचाकर उन्हें अस्थिर करना है।
  - ये हमले अधिक परिष्कृत साइबर जासूसी गतिविधियों के अग्रदूत हो सकते हैं, जो संवेदनशील डेटा चुराकर या सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करके राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं।

नोट :

- **राष्ट्रीय रक्षा और प्रतिक्रिया क्षमताएँ:** DDoS हमलों की बढ़ती आवृत्ति और परिष्कार के कारण एक मज़बूत राष्ट्रीय रक्षा रणनीति की आवश्यकता है। इसमें तेज़ी से प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिये क्षमताओं का विकास, साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ाना तथा साइबर खतरों से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

DDoS हमलों से निपटने के लिये आगे का रास्ता:

- **नेटवर्क अनुकूल:**
  - ट्रैफिक को विशिष्ट स्थानों तक सीमित करके, पुराने या अप्रयुक्त पोर्ट को ब्लॉक करके और लोड बैलेंसर्स को लागू करके DDoS हमलों के जोखिम को कम कीजिये।
    - एनीकास्ट नेटवर्क का उपयोग करके ट्रैफिक को कई सर्वरों में वितरित किया जा सकता है, जिससे सेवा में व्यवधान उत्पन्न किये बिना बड़े पैमाने पर हमलों को झेलने की सिस्टम की क्षमता बढ़ जाती है।
- **वास्तविक समय खतरे की निगरानी और अनुकूल प्रतिक्रिया:**
  - असामान्य ट्रैफिक पैटर्न की पहचान करने के लिये निरंतर लॉग मॉनिटरिंग और खतरे का पता लगाने का उपयोग कीजिये, जिससे उभरते खतरों के लिये त्वरित अनुकूलन संभव हो सके।
    - इसमें वास्तविक समय में संदिग्ध आईपी और प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना शामिल है, जिससे सफल DDoS हमलों की संभावना कम हो जाती है।
- **दर सीमित करने और कैशिंग रणनीतियाँ:**
  - आने वाले अनुरोधों की मात्रा को नियंत्रित करने के लिये दर सीमित करने का कार्यान्वयन कीजिये, जिससे सर्वरों पर अत्यधिक दबाव न पड़े।
    - इसके अतिरिक्त, बार-बार अनुरोध किये जाने वाले संसाधनों को कैश करने के लिये सामग्री वितरण नेटवर्क (CDN) का उपयोग कीजिये, जिससे मूल सर्वर पर लोड कम हो जाता है और DDoS हमलों के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है।
- **व्यापक DDoS शमन उपकरण:**
  - अनुकूलन योग्य नियमों के आधार पर दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक को फिल्टर और ब्लॉक करने के लिये वेब ऐप्लिकेशन फासयरवॉल (WAF) तैनात कीजिये।
    - हमेशा चालू रहने वाली DDoS शमन सेवाओं का चयन कीजिये जो अनुकूली और स्केलेबल सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा विकसित हो रहे आक्रमण पैटर्नों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिये निरंतर ट्रैफिक का विश्लेषण करती हैं।

निष्कर्ष:

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर DDoS हमलों का प्रभाव बहुत गहरा है, जो परिचालन दक्षता, सार्वजनिक चर्चा और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। इन जोखिमों को कम करने के लिये, साइबर सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना, लचीले बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना और व्यापक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना आवश्यक है जो साइबर खतरों के उभरते परिदृश्य को संबोधित करते हैं।

प्रश्न : विज्ञान-आधारित वैश्विक खाद्य मानकों के विकास में परमाणु तकनीकों की भूमिका का परीक्षण कीजिये। ये तकनीकें खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ इसमें किस प्रकार योगदान करती हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- परमाणु तकनीक के बारे में परिचय दीजिये।
- वैश्विक खाद्य मानकों के विकास में परमाणु तकनीकों की भूमिका बताइये।
- खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में इन तकनीकों की भूमिका का उल्लेख कीजिये।
- बताइये कि ये तकनीकें खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार योगदान देती हैं।
- उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

परमाणु प्रौद्योगिकी संदूषण नियंत्रण, खाद्य संरक्षण और कृषि संवर्द्धन के लिये अभिनव समाधान प्रदान करके वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। **खाद्य विकिरण और स्थिर आइसोटोप विश्लेषण जैसी तकनीकें खाद्य सुरक्षा तथा प्रामाणिकता में सुधार करती हैं, जबकि बाँझ कीट तकनीक एवं फसल प्रजनन में आनुवंशिक प्रगति** जैसी विधियाँ कीट नियंत्रण एवं लचीलेपन में योगदान करती हैं। ये अनुप्रयोग न केवल खाद्य सुरक्षा को बढ़ाते हैं बल्कि व्यापक निगरानी और प्रबंधन रणनीतियों के माध्यम से पर्यावरण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी समर्थन करते हैं।

मुख्य भाग:

विज्ञान आधारित वैश्विक खाद्य मानकों के विकास में परमाणु तकनीकों की भूमिका

- **विकिरण-आधारित रोगाणुनाशन: गामा विकिरण** और **इलेक्ट्रॉन बीम प्रसंस्करण** जैसी परमाणु तकनीकों का उपयोग भोजन को रोगाणुनाशन करने के लिये किया जाता है, जिससे भोजन की गुणवत्ता से समझौता किये बिना रोगाणुओं को नष्ट किया जा सकता है।

नोट :

- यह प्रक्रिया खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाती है और खाद्य सुरक्षा के लिये वैश्विक मानक निर्धारित करने में मदद करती है।

- **पता लगाने की क्षमता और पता लगाना: न्यूट्रॉन सक्रियण विश्लेषण** जैसी परमाणु विधियाँ, दूषित पदार्थों का पता लगाने और खाद्य उत्पादों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में महत्त्वपूर्ण हैं।
  - ये तकनीकें कीटनाशक अवशेषों, भारी धातुओं और अन्य हानिकारक पदार्थों की पहचान करने में मदद करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा मानक विश्वसनीय हैं।
- **आइसोटोपिक लेबलिंग और ट्रैकिंग: भोजन में स्थिर आइसोटोप** का उपयोग खाद्य स्रोतों का पता लगाने और प्रमाणित करने, अवयवों की उत्पत्ति का पता लगाने तथा खाद्य आपूर्ति शृंखला की निगरानी करने में मदद करता है।
  - यह पारदर्शिता वैश्विक खाद्य मानकों की अखंडता को बनाए रखने के लिये आवश्यक है, क्योंकि यह खाद्य उत्पत्ति और गुणवत्ता के संबंध में दावों के सत्यापन की अनुमति देता है।
- **खाद्य प्रसंस्करण में गुणवत्ता नियंत्रण:** खाद्य उत्पादों की संरचना और गुणवत्ता का आकलन करने के लिये **परमाणु चुंबकीय अनुनाद (एनएमआर)** जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
  - नमी की मात्रा, वसा के स्तर और अन्य महत्त्वपूर्ण मापदंडों का विश्लेषण करके, एनएमआर यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य उत्पाद स्थापित गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं, जिससे सुसंगत वैश्विक खाद्य मानकों के विकास को समर्थन मिलता है।

परमाणु तकनीक के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा में योगदान देना

खाद्य सुरक्षा बढ़ाना

- **रोगाणुओं का पता लगाना:** रेडियोइम्यूनोएसे (आरआईए) और पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (पीसीआर) जैसी परमाणु तकनीकें, भोजन में बैक्टीरिया, वायरस तथा परजीवियों जैसे हानिकारक रोगाणुओं का पता लगाने के लिये तेज़ एवं संवेदनशील तरीके प्रदान करती हैं। यह प्रारंभिक पहचान खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिये समय पर हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है।
- **अवशेष विश्लेषण:** न्यूट्रॉन सक्रियण विश्लेषण (एनएए) और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज़्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री (आईसीपी-एमएस) जैसी तकनीकें खाद्य उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों, पशु चिकित्सा दवा अवशेषों तथा अन्य संदूषकों का सटीक पता लगाने एवं मात्रा का निर्धारण करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे कड़े सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं।
- **खाद्य विकिरण:** भोजन को संरक्षित करने और रोगजनकों को खत्म करने के लिये आयनकारी विकिरण का उपयोग एक सुरक्षित तथा प्रभावी तरीका है। विकिरण प्रक्रिया की निगरानी और यह सुनिश्चित करने के लिये कि विकिरणित भोजन सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है, परमाणु तकनीक महत्त्वपूर्ण हैं।

खाद्य सुरक्षा में योगदान

- **कीट नियंत्रण:**
  - **बाँझ कीट तकनीक (SIT):** यह परमाणु-आधारित विधि विकिरण का उपयोग करके नर कीटों को बाँझ बनाती है और उन्हें पर्यावरण में छोड़ देती है। बाँझ किये गए नर जंगली मादाओं के साथ संभोग करते हैं, जिससे कोई संतान नहीं होती और धीरे-धीरे कीटों की आबादी कम होती जाती है।
    - यह तकनीक कृषि फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीटों के खिलाफ प्रभावी है और रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करती है।
  - **फसल की पैदावार की सुरक्षा:** कीट आबादी को नियंत्रित करके, एसआईटी फसलों की सुरक्षा करने, कृषि उत्पादकता में सुधार करने और स्थिर तथा सुरक्षित खाद्य आपूर्ति में योगदान करने में मदद करती है।
- **मृदा एवं जल प्रबंधन :**
  - **आइसोटोपिक जल विज्ञान:** यह तकनीक जल की गति और वितरण का अध्ययन करने, **सिंचाई पद्धतियों को अनुकूलित करने तथा जल** संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिये **आइसोटोपिक ट्रेसर का उपयोग करती है।**
    - यह कृषि प्रणालियों की स्थिरता सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से जल की कमी वाले क्षेत्रों में।
  - **मृदा उर्वरता में वृद्धि:** परमाणु तकनीकें **मृदा में पोषक चक्रण को समझने में मदद करती हैं**, जिससे बेहतर उर्वरक प्रबंधन और मृदा उर्वरता में सुधार होता है।
    - इसके परिणामस्वरूप फसल की पैदावार में वृद्धि होती है तथा कृषि भूमि की उत्पादकता को अधिकतम करके खाद्य सुरक्षा में योगदान मिलता है।

नोट :

- **फसल और पशुधन उत्पादन में सुधार:**
  - **उत्परिवर्तन प्रजनन:** परमाणु तकनीक **फसलों और पशुधन में उत्परिवर्तन उत्पन्न करती है**, जिसके परिणामस्वरूप उच्च उपज, कीट प्रतिरोधी तथा जलवायु-लचीली किस्में उत्पन्न होती हैं।
    - ये उन्नत किस्में कृषि उत्पादकता को बढ़ाती हैं और खाद्य उपलब्धता बढ़ाती हैं।
  - **संधारणीय कृषि:** परमाणु तकनीक **उर्वरक के उपयोग को अनुकूलित करती है** और मृदा स्वास्थ्य में सुधार करती है। **न्यूट्रॉन जाँच तथा आइसोटोपिक ट्रेसर जैसे उपकरण** पोषक तत्त्वों के अवशोषण की सटीक निगरानी करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे अधिक कुशल एवं पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलता है।
  - **पोषण और वृद्धि निगरानी:** आइसोटोपिक तकनीकें पौधों और पशुओं में **पोषक तत्त्वों के अवशोषण पर नज़र रखती हैं**, जिससे उर्वरकों तथा चारे का अधिक कुशल उपयोग होता है, **जिससे उत्पादकता बढ़ती है एवं भोजन की गुणवत्ता बेहतर होती है।**

निष्कर्ष:

परमाणु तकनीक विज्ञान आधारित वैश्विक खाद्य मानकों को विकसित करने और खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन तथा कृषि सुधार के लिये उन्नत तरीकों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भविष्य की ओर देखते हुए, जैव प्रौद्योगिकी तथा डेटा विश्लेषण में उभरती प्रगति के साथ परमाणु प्रौद्योगिकी के निरंतर एकीकरण से वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों में और वृद्धि होने तथा लचीली खाद्य प्रणालियों को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे खाद्य सुरक्षा एवं स्थिरता में भविष्य की चुनौतियों का समाधान हो सकेगा।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहे शहर में पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में आपको बुनियादी ढाँचे से जुड़ी चुनौतियों से निपटना होगा। शहर की जल निकासी व्यवस्था भीषण मानसून के कारण प्रभावित हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जलभराव हो गया है। राहत प्रयासों का समन्वय करते समय, आपको एक पॉश इलाके में एक ऊँची भवन के बेसमेंट में एक जिम के बारे में एक आपातकालीन संकट कॉल प्राप्त होती है।

भारी बारिश और अपर्याप्त जल प्रबंधन के कारण जिम के दरवाज़े से पानी घुस गया तथा बेसमेंट में पानी भर गया है। रिपोर्ट के अनुसार कई लोग अंदर फँसे हुए हैं। भवन के निवासियों में दहशत तथा बाहर बढ़ती भीड़ के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। बचाव अभियान चलाने, संपत्ति को अधिक नुकसान से बचाने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। SP के रूप में आपको बचाव प्रयासों का कुशलतापूर्वक समन्वय, स्थिति का आकलन करना तथा जलभराव के प्रभाव को कम करने के उपायों को लागू करना चाहिये।

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. बचाव कार्यों को प्रबंधित करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी?
3. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये कौन-से दीर्घकालिक उपाय लागू किये जा सकते हैं?

उत्तर :

परिचय:

तेज़ी से शहरीकरण हो रहे शहर में पुलिस अधीक्षक (SP) को तीव्र मानसूनी बारिश के कारण गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिससे शहर की जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो गई है और जलभराव हो गया है।

- एक आपातकालीन कॉल द्वारा सूचित किया गया है कि एक भवन का बेसमेंट, जिसमें जिम स्थित है, पानी जिसके कारण कई लोग अंदर फँस गए हैं।
- पुलिस अधीक्षक को बचाव कार्यों का शीघ्रता से समन्वय करना चाहिये, भयभीत भीड़ को प्रबंधित तथा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये जलभराव के प्रभाव को कम करने के उपायों को लागू करना चाहिये।

मुख्य बिंदु:

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?

हितधारक	भूमिका और ज़िम्मेदारी
पुलिस अधीक्षक (SP)	बचाव कार्यों का समग्र समन्वय, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा कानून एवं व्यवस्था का प्रबंधन करना।
स्थानीय पुलिस बल	बचाव कार्यों में सहायता, भीड़ पर नियंत्रण तथा निवासियों और आस-पास खड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
अग्नि एवं बचाव सेवाएँ	बाढ़ग्रस्त जिम और भवन में फँसे व्यक्तियों को निकालने के लिये बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
नगर निगम	जल निकासी प्रणाली की विफलता का समाधान करना, जल निकासी के लिये उपकरण और कार्मिक उपलब्ध कराना तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
स्वास्थ्य और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ	बचाए गए व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता तथा स्थिति से उत्पन्न होने वाली किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति के लिये तैयारी सुनिश्चित करना।
भवन के निवासी	बचाव कार्यों में सहयोग करना, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा फँसे हुए व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करना।
जिम स्टाफ और सदस्य	जिम में फँसे हुए व्यक्तियों की संख्या और उनके स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करना।
लोक निर्माण विभाग	भवन की संरचनात्मक अखंडता का आकलन करना, विशेष रूप से बेसमेंट का, तथा आगे की क्षति को रोकने के लिये मरम्मत और सुदृढ़ीकरण प्रयासों में सहायता करना।

नोट :

स्थानीय सरकारी अधिकारी	प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, संसाधन जुटाना तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावी संचार सुनिश्चित करना।
मीडिया	जनता तक सटीक जानकारी पहुँचाना, भय से रोकने में मदद करना तथा बचाव कार्यों और सुरक्षा उपायों के बारे में जनता को अद्यतन जानकारी प्रदान करना।
नागरिक सुरक्षा और स्वयंसेवी संगठन	बचाव कार्यों में सहायता करना, अतिरिक्त जनशक्ति और संसाधन उपलब्ध कराना तथा राहत प्रयासों में सहयोग करना।
भवन प्रबंधन और सुरक्षा	निकासी प्रक्रियाओं में सहायता करना, यह सुनिश्चित करना कि निवासी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें तथा भवन लेआउट और प्रवेश बिंदुओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।

2. बचाव कार्यों के प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आपकी त्वरित कार्रवाई क्या होगी?

- **स्थिति का आकलन और संसाधनों को जुटाना**
  - **त्वरित मूल्यांकन:** स्थिति का सटीक मूल्यांकन करने के लिये त्वरित प्रतिक्रिया टीम को स्थान पर ले जाना।
    - टीम को फँसे हुए व्यक्तियों की संख्या, पानी की गहराई, भवन की संरचनात्मक स्थिरता और बेसमेंट तक समग्र पहुँच की पहचान करनी चाहिये।
  - **संसाधन आवंटन:** इसके साथ ही, ज़िला मजिस्ट्रेट के समन्वय से ज़िला आपदा प्रबंधन योजना को सक्रिय बनाना
    - अग्निशमन दल, आपदा प्रतिक्रिया बल और डाइविंग गियर तथा जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित विशेष बचाव दल को तैनात करना।
    - साइट पर उच्च क्षमता वाले सबमर्सिबल पंप, आपातकालीन लाइट और अन्य जल निकासी उपकरण तैनात करने के लिये नगर निगम के अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
  - **समन्वय:** बचाव प्रयासों, संचार और संसाधन प्रबंधन में समन्वय के लिये घटना स्थल के निकट एक एकीकृत कमांड सेंटर स्थापित करना।
  - **संचार:** अग्निशमन विभाग, आपदा प्रतिक्रिया बल, चिकित्सा दल और भवन प्रबंधन सहित सभी संबंधित एजेंसियों के साथ स्पष्ट संचार चैनल स्थापित करना।
  - **सार्वजनिक सूचना:** घबराहट और भ्रमित सूचना को रोकने के लिये जनता को सटीक एवं समय पर जानकारी प्रसारित करना।
    - प्रभावी संचार के लिये सोशल मीडिया, स्थानीय मीडिया और सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों का उपयोग करना।
- **बचाव कार्य और भीड़ प्रबंधन**
  - **बचाव को प्राथमिकता देना:** प्राथमिक उद्देश्य फँसे हुए व्यक्तियों को बचाना है। बचाव दलों द्वारा तत्काल खतरे में पड़े लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिये और सभी को निकालने के लिये व्यवस्थित रूप से कार्य करना चाहिये।
    - विद्युत के जोखिम को रोकने के लिये बाढ़ वाले क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति में कटौती करने के लिये विद्युत प्रदाताओं के साथ संपर्क करना।
    - यदि सुरक्षित हो, तो बेसमेंट से सीधे पानी बाहर निकालने का प्रयास करना और साथ ही प्रवेश बिंदुओं को तोड़ने का कार्य करना।
    - यदि मुख्य द्वार तक पहुँचना संभव न हो तो खिड़कियों या दीवारों में छेद बनाने जैसे वैकल्पिक प्रवेश बिंदुओं पर विचार करें।
      - ❖ संभावित पतन को रोकने के लिये भवन की संरचनात्मक अखंडता का मूल्यांकन करना।
  - **भीड़ नियंत्रण:** भवन के बाहर भीड़ को प्रबंधित करने के लिये पर्याप्त पुलिस कर्मियों की तैनाती करना।
    - सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बचाव कार्यों में व्यवधान को रोकने के लिये बैरिकेड्स स्थापित करना।
  - **चिकित्सा सहायता:** बचाए गए व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिये चिकित्सा टीमों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
    - संभावित भर्ती की तैयारी के लिये निकटवर्ती अस्पतालों के साथ समन्वय करना।
- **बचाव-पश्चात कार्य:**
  - **परिसर की गहन तलाशी:** जब बचाव कार्य पूरा हो जाए, तो यह सुनिश्चित करने के लिये परिसर की गहन तलाशी शुरू करना कि कोई भी व्यक्ति छूट न गया हो।
    - परिसर को सुरक्षित करने तथा लूटपाट या अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिये भवन प्रबंधन और संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें।
  - **कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई:** घटना का विस्तृत दस्तावेज़ीकरण करना, जिसमें फोटोग्राफ, गवाहों के बयान और क्षति का आकलन शामिल हो।
    - भवन प्रबंधन और स्थानीय प्राधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू करना।

नोट :

3. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये कौन-से दीर्घकालिक उपाय लागू किये जा सकते हैं?

- **विनियामक ढाँचे में वृद्धि:** ज़िला विकास प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करना या भवन उपनियमों को संशोधित करना जैसे:
  - बेसमेंट प्रवेश द्वारों के लिये स्वचालित बाढ़ अवरोधक प्रणालियाँ।
  - बेसमेंट में उन्नत विद्युत प्रणालियाँ (बाढ़ स्तर से कम-से-कम 1 मीटर)
  - जल निकासी प्रणालियों में नॉन-रिटर्न वाल्व की अनिवार्य स्थापना
- **NOC और अनुपालन तंत्र:** भवन अनुपालन की वास्तविक समय निगरानी के लिये एकल खिड़की डिजिटल NOC ट्रैकिंग प्रणाली को लागू करने के लिये संबंधित अधिकारियों को सुझाव देना।
  - जोखिम क्षेत्रों के आधार पर स्तरीकृत NOC प्रणाली लागू करना:
    - **टियर 1 (उच्च जोखिम):** त्रैमासिक निरीक्षण के साथ वार्षिक नवीनीकरण
    - **टियर 2 (मध्यम जोखिम):** अर्द्ध-वार्षिक निरीक्षण के साथ द्वि-वार्षिक नवीनीकरण
    - **टियर 3 (कम जोखिम):** वार्षिक निरीक्षण के साथ त्रैवार्षिक नवीनीकरण
- **निकास अवसंरचना उन्नयन:** बेसमेंट में बाढ़ प्रतिरोधी निकास द्वारों की स्थापना अनिवार्य करना।
  - भवनों में बेसमेंट से कम-से-कम दो स्वतंत्र निकास मार्ग होना अनिवार्य करना।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल: बाढ़ की आपात स्थितियों के लिये शहर-व्यापी घटना कमांड प्रणाली (आई.सी.एस.) विकसित करना।
  - विभिन्न विभागों से वास्तविक समय डेटा एकीकरण के साथ एक केंद्रीकृत आपातकालीन परिचालन केंद्र बनाएँ।
- **बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग (BIM):** बाढ़ प्रतिरोधक विशेषताओं को एकीकृत करते हुए, एक निश्चित आकार से ऊपर के सभी नए निर्माणों के लिये BIM को अनिवार्य करना।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** विभिन्न बाढ़ परिदृश्यों के लिये नियमित टेबलटॉप अभ्यास और मॉक ड्रिल आयोजित करना।
  - त्वरित जल बचाव तकनीकों पर पहले उत्तरदाताओं के लिये विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **नियमित ऑडिट और रखरखाव:** मौजूदा जल निकासी बुनियादी ढाँचे का आवधिक ऑडिट करना।
  - विशेष रूप से मानसून के मौसम से पहले, तूफानी नालों की सफाई और रखरखाव के लिये एक कठोर कार्यक्रम लागू करना।

निष्कर्ष:

इस महत्त्वपूर्ण घटना से प्राप्त ज्ञान के आधार पर, शहर को भविष्य में बाढ़ के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। यह रणनीति समुदाय की भागीदारी को शहरी नियोजन के साथ जोड़ेगी ताकि वर्तमान कमज़ोरियों को नवाचार के अवसरों में बदला जा सके। शहरी बाढ़ प्रबंधन में नए मानक स्थापित करते हुए, शहर बेहतर तत्परता की संस्कृति को बढ़ावा देकर ऐसा कर सकता है।

प्रश्न : आप एक ग्रामीण ज़िला, जहाँ महिला निरक्षरता और बाल विवाह की दर बहुत अधिक है, के ज़िला कलेक्टर हैं। 18 वर्ष की आयु तक अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ाने वाले परिवारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये एक नई सरकारी योजना शुरू की गई है। हालाँकि सांस्कृतिक परंपराओं के कारण इसे लागू करना मुश्किल है।

हाल ही में आपको रिपोर्ट मिली है कि कुछ परिवार प्रोत्साहन का झूठा दावा कर रहे हैं, जबकि अभी भी अपनी बेटियों का बाल विवाह कर रहे हैं। आपको स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिये, प्रतिस्पर्द्धी हितों को संतुलित करना चाहिये और इस मुद्दे को हल करने के लिये पर्याप्त कदम उठाने चाहिये।

1. इस स्थिति में कौन-से हितधारक शामिल हैं?
2. योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और अन्य तात्कालिक सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिये आप क्या कार्रवाई करेंगे?
3. योजना के प्रभाव को बनाए रखने और महिला शिक्षा एवं बाल विवाह के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिये किस प्रकार की दीर्घकालिक रणनीतियाँ लागू की जा सकती हैं?

उत्तर :

परिचय:

एक सरकारी योजना ग्रामीण ज़िले में उच्च महिला निरक्षरता और बाल विवाह दरों से निपटने के लिये परिवारों को 18 वर्ष की आयु तक बेटियों को स्कूल में रखने के लिये प्रोत्साहित करती है। हालाँकि चुनौतियों में **झूठे दावे और गहरी सांस्कृतिक बाधाएँ शामिल हैं।**

नोट :

- ज़िला **कलेक्टर को** इन मुद्दों में संतुलन बनाना होगा, योजना को लागू करना होगा तथा दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना होगा।

मुख्य भाग:

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?

हितधारक	भूमिका/रुचि
ज़िला कलेक्टर	सरकारी योजना के सफल कार्यान्वयन और ज़िले के समग्र शासन के लिये ज़िम्मेदार।
लड़कियों के परिवार	इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थियों को वित्तीय प्रोत्साहन के बदले में अपनी बेटियों को 18 वर्ष की आयु तक स्कूल में रखना होगा।
लड़कियाँ (संभावित लाभार्थी)	इस योजना के प्राथमिक लाभार्थी वे हैं जो शिक्षा प्राप्त करेंगे और बाल विवाह से बचेंगे।
स्थानीय समुदाय/ प्रभावशाली व्यक्ति	महिला शिक्षा और विवाह के प्रति दृष्टिकोण सहित सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव रखें।
शिक्षण संस्थानों	स्कूल और शिक्षक लड़कियों को शिक्षित करने तथा उनकी उपस्थिति एवं प्रगति की निगरानी करने में शामिल हैं।
गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज समूह	ज़िले में महिला शिक्षा, बाल अधिकार और सामाजिक परिवर्तन पर काम करने वाले संगठन।
राज्य सरकार	उच्च स्तरीय प्राधिकारी ज़िलों में योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ	पुलिस और अन्य एजेंसियां कानून को बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार हैं, जिनमें बाल विवाह के खिलाफ कानून भी शामिल हैं।

2. योजना के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अन्य तात्कालिक सामाजिक चुनौतियों के समाधान के लिये आप क्या कदम उठाएंगे?

- **त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन करें:** ज़िला अधिकारियों, स्थानीय पुलिस और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की एक टीम का तुरंत गठन करें।
- **झूठे दावों की रिपोर्ट करने के लिये 24/7 हॉटलाइन** स्थापित करें।
- **तत्काल मामलों का 24 घंटे के अंदर** जवाब दें।
- **आपातकालीन सत्यापन का संचालन करें:** लाभार्थी परिवारों के नमूने पर तत्काल **जाँच शुरू करें।**
- **योजना में नामांकित लड़कियों के स्कूल उपस्थिति रिकार्ड को सत्यापित करने** का कार्य एस.डी.एम. को सौंपें।
- फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ मामला दर्ज करें और दोषी पाए जाने पर स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।
- **संदिग्ध भुगतान पर रोक:** जाँच लंबित रहने तक झूठे दावे करने वाले संदिग्ध परिवारों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन भुगतान पर तत्काल रोक लगाएँ।
- सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिये **सत्यापित वास्तविक लाभार्थियों** को भुगतान में तेज़ी लाएँ।
- **आपातकालीन सामुदायिक बैठकें:** गाँव के नेताओं और प्रभावशाली लोगों के साथ तत्काल बैठकें बुलाएँ।
- **झूठे दावों के प्रति शून्य सहनशीलता की** बात स्पष्ट रूप से कहें।
- समस्याओं की पहचान करने और उनके निदान करने में उनका सहयोग लें।
- **जागरूकता अभियान:** योजना के लाभों और झूठे दावों के कानूनी परिणामों के बारे में जानकारी फैलाने के लिये **रेडियो तथा मोबाइल घोषणाओं** सहित स्थानीय मीडिया का उपयोग करें।
- बाल विवाह की अवैधता और हानि पर ज़ोर दें।

3. इस योजना के प्रभाव को बनाए रखने तथा महिला शिक्षा और बाल विवाह के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिये कौन-सी दीर्घकालिक रणनीतियाँ लागू की जा सकती हैं?

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित:**
  - **स्कूल के बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाएँ:** अधिक आकर्षक शिक्षण वातावरण बनाने के लिये **स्कूल भवन, स्वच्छता सुविधाओं और शिक्षण सहायक सामग्री में सुधार करने** में निवेश करें।
  - **शिक्षक प्रशिक्षण:** कक्षाओं में लड़कियों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिये **लिंग-संवेदनशील शिक्षाशास्त्र और बाल मनोविज्ञान** में शिक्षकों को प्रशिक्षित करना।
  - **व्यावसायिक प्रशिक्षण:** शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों को एकीकृत करना ताकि **लड़कियों के लिये कॅरियर के बेहतर रास्ते उपलब्ध कराए जा सकें और उनकी रोज़गार क्षमता बढ़ाई जा सके।**

नोट :

- **व्यवहार परिवर्तन संचार:**
  - **सामुदायिक जागरूकता अभियान:** पारंपरिक मान्यताओं को संबोधित करने और लड़कियों की शिक्षा के लाभों को बढ़ावा देने के लिये **स्थानीय प्रभावशाली लोगों, धार्मिक नेताओं तथा मीडिया को** शामिल करते हुए नियमित अभियान आयोजित करें।
  - **सामुदायिक संवाद:** मौजूदा मानदंडों को चुनौती देने और लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिये परिवारों को सशक्त बनाने के लिये समुदायों के भीतर संवाद तथा चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना।
  - **मोबाइल परामर्श इकाइयाँ: प्रभावित गाँवों का दौरा करने के लिये परामर्शदाताओं को** तैनात करें तथा दबाव का सामना कर रहे परिवारों को मौके पर सहायता प्रदान करें।
  - शीघ्र विवाह के जोखिम वाली लड़कियों को तत्काल मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करें।
- **सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मज़बूत बनाना:**
  - **सशर्त नकद हस्तांतरण:** वास्तविक नामांकन और शिक्षण सुनिश्चित करने के लिये **वित्तीय प्रोत्साहन को स्कूल में उपस्थिति के साथ-साथ प्रगति रिपोर्ट से** जोड़ें।
  - **छात्रवृत्ति कार्यक्रम: योग्यता और आवश्यकता** के आधार पर लड़कियों की शिक्षा को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिये छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक अनुदान प्रदान करना।
  - **सुरक्षित आवास और सहायता सेवाएँ: लड़कियों के लिये** सुरक्षित **छात्रावास या बोर्डिंग सुविधाएँ प्रदान करें।**
- **निगरानी और फीडबैक:**
  - **डेटा-संचालित दृष्टिकोण: ब्लॉक विकास अधिकारियों के** माध्यम से नामांकन, उपस्थिति, सीखने के परिणाम और हितधारक प्रतिक्रिया पर नियमित रूप से डेटा एकत्र करें तथा उसका विश्लेषण करें।
  - **प्रदर्शन समीक्षा:** सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिये डेटा का उपयोग करें और समुदाय की आवश्यकताओं तथा प्रभावशीलता के आधार पर नीतियों को समायोजित करें।
  - **पारदर्शिता और जवाबदेही:** योजना का पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें और दुरुपयोग या अनियमितताओं के लिये अधिकारियों को जवाबदेह ठहराएँ।
- **सहयोग और साझेदारी:**
  - **कॉर्पोरेट क्षेत्र को शामिल करें:** लड़कियों की शिक्षा और कौशल विकास पर केंद्रित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों को प्रोत्साहित करें।
  - **एनजीओ के माध्यम से रोल मॉडल और मेंटरशिप कार्यक्रम: स्थानीय एनजीओ** के माध्यम से लड़कियों को उस क्षेत्र की शिक्षित महिलाओं से जोड़ें, जो रोल मॉडल और मेंटर के रूप में काम कर सकती हैं तथा उन्हें शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रेरित कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

महिला निरक्षरता और बाल विवाह को सफलतापूर्वक संबोधित करने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। **सख्त प्रवर्तन, सामुदायिक सहभागिता और सहायता प्रणालियाँ** महत्त्वपूर्ण हैं। शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने वाली दीर्घकालिक रणनीतियाँ आवश्यक हैं। स्थायी परिवर्तन प्राप्त करने के लिये निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति और संसाधन आवंटन महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रश्न : हाल ही में सरकारी कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार तथा हत्या की दुखद घटना ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने इस घटना और उसके बाद अस्पताल में हुई बर्बरता के विरोध में 24 घंटे के लिये गैर-आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बंद रखने की घोषणा की है। इस घटना ने चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न कर दी हैं।

जिस क्षेत्र में यह घटना घटी, वहाँ के नवनियुक्त ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में आपके सामने जन आक्रोश, कानून और व्यवस्था तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान से संबंधित परिस्थितियाँ है।

1. घटना के जवाब में गैर-आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को वापस लेने के आईएमए के फैसले से उत्पन्न नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिये।
2. एक संतुलित दृष्टिकोण का प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिये, जो स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की चिंताओं को संबोधित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों के दौरान रोगी की देखभाल से समझौता न हो।

नोट :

3. संकट प्रबंधन, जवाबदेही सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में जनता के विश्वास को बहाल करने में नेतृत्व का मूल्यांकन कीजिये।

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- इस मामले के बारे में संक्षेप में परिचय दीजिये।
- इस मामले में नैतिक दुविधाओं का उल्लेख कीजिये।
- संकट के प्रबंधन में नेतृत्व की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सरकारी अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की दुखद घटना ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ उजागर हुई हैं। विरोध में गैर-आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को वापस लेने के भारतीय चिकित्सा संघ के फैसले से गंभीर नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न होती हैं, जो विरोध के अधिकार और देखभाल के कर्त्तव्य के बीच संतुलन बनाती हैं। एक ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में, चुनौती सार्वजनिक आक्रोश को प्रबंधित करने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा संकट के बीच निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने की है।

मामले में शामिल नैतिक दुविधाएँ

- **विरोध करने का अधिकार बनाम देखभाल करने का कर्त्तव्य:** प्राथमिक नैतिक दुविधा स्वास्थ्य कर्मियों के हिंसा के खिलाफ विरोध करने के अधिकार और रोगियों को निर्बाध देखभाल प्रदान करने के उनके पेशेवर कर्त्तव्य के बीच संतुलन बनाना है। गैर-आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को वापस लेने से उन रोगियों को खतरा हो सकता है जो समय पर उपचार पर निर्भर हैं, जिससे गंभीर नैतिक चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **न्याय बनाम सार्वजनिक सुरक्षा:** पीड़ित के लिये न्याय की मांग और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच तनाव है। विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य जवाबदेही तथा न्याय की मांग करना है, लेकिन इससे सार्वजनिक व्यवस्था एवं रोगी सुरक्षा से समझौता करने का भी जोखिम है।
- **स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा बनाम सार्वजनिक स्वास्थ्य:** स्वास्थ्य कर्मियों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसे जनता के लिये आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी के साथ तौला जाना चाहिये।

1. कानूनी दायित्व बनाम नैतिक अनिवार्यताएँ: कानून को बनाए रखने का कर्त्तव्य, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि जनता को आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जाएँ। घटना के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का समर्थन करना और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करना नैतिक ज़िम्मेदारी है।

संतुलित दृष्टिकोण

- **आईएमए के साथ वार्ता: रोगी की देखभाल बनाए रखने के नैतिक कर्त्तव्य पर बल देते हुए,** इस **मुद्दे के प्रति एकजुटता व्यक्त करने** के लिये आईएमए के साथ तत्काल वार्ता आरंभ करें।
  - सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने के विकल्प तलाशें, जैसे कि **प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन** , जिससे मरीज़ों की सुरक्षा से समझौता न हो।
- **आपातकालीन सेवा आश्वासन:** सुनिश्चित करें कि आपातकालीन सेवाएँ चालू रहें। अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर एक आकस्मिक योजना बनाएँ जिसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान आवश्यक सेवाओं का प्रबंधन करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों या स्वयंसेवकों को लाना शामिल हो।
- **सुरक्षा उपाय:** स्वास्थ्य कर्मियों, विशेषकर महिलाओं की चिंताओं को दूर करने के लिये स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में सुरक्षा को मज़बूत किया जाना चाहिये।
  - **नोट** : हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य सचिव को एक राष्ट्रीय पोर्टल शुरू करने का निर्देश दिया है, जहाँ हितधारक डॉक्टरों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स को सुझाव दे सकें।
  - इसमें पुलिस की उपस्थिति बढ़ाना, निगरानी प्रणालियाँ स्थापित करना और आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- **सार्वजनिक संचार:** स्थिति और न्याय एवं निरंतर स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिये उठाए जा रहे उपायों के बारे में जनता को बताने के लिये उनसे संवाद करें।
  - पारदर्शिता संकट के दौरान जनता का विश्वास बनाए रखने में मदद करेगी।
- **पीड़ितों के लिये सहायता:** पीड़ित के परिवार और प्रभावित सहकर्मियों के लिये **मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा कानूनी सहायता सहित सहायता प्रणाली स्थापित करना**।
  - न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने से विरोध प्रदर्शनों को उत्प्रेरित करने वाले क्रोध और निराशा को कम करने में सहायता मिल सकती है।

नोट :

नेतृत्व की भूमिका

- **संकट प्रबंधन:** ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में, न्याय की आवश्यकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बनाकर संकट का प्रबंधन करने के लिये **त्वरित कार्रवाई करना महत्त्वपूर्ण है।**
  - इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करना शामिल है, साथ ही **घटना के कानूनी और जाँच संबंधी पहलुओं पर भी ध्यान देना शामिल है।**
- **जनता का भरोसा बहाल करना:** नेतृत्व को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में **जनता का भरोसा बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घटना की जाँच गहन और पारदर्शी हो। इसमें अपराध के लिये ज़िम्मेदार लोगों के साथ-साथ अस्पताल में बाद में हुई बर्बरता के लिये भी** जवाबदेह ठहराया जाना शामिल है ।
- **मध्यस्थता और संघर्ष समाधान:** स्थिति को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिये आईएमए, अस्पताल प्रशासन और जनता के बीच मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करना।
  - इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय मिले और साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की अखंडता भी बनी रहे।
- **दीर्घकालिक उपाय:** स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिये दीर्घकालिक उपायों का प्रस्ताव तथा कार्यान्वयन करना, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।
  - इसमें नीतिगत परिवर्तन, अस्पताल सुरक्षा के लिये अधिक धनराशि तथा हिंसक स्थितियों से निपटने के लिये कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण देना शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

राज्य द्वारा संचालित कॉलेज और अस्पताल में हुई दुखद घटना ने स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा तथा चिकित्सा सेवाओं के निरंतर प्रावधान के बीच संतुलन बनाने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। प्रभावी नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों से उत्पन्न नैतिक दुविधाओं को संबोधित करना, पीड़ित के लिये न्याय सुनिश्चित करना और पारदर्शी संचार तथा त्वरित संकट प्रबंधन के माध्यम से जनता का विश्वास बनाए रखना शामिल है। संवाद को बढ़ावा देने, सुरक्षा बढ़ाने और दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों के लिये प्रतिबद्ध होने से, रोगी देखभाल एवं स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के कल्याण दोनों की रक्षा करना संभव है।

प्रश्न : नई दिल्ली में आगामी वैश्विक सतत् विकास शिखर सम्मेलन के आयोजन के समन्वयक के रूप में आप एक जटिल चुनौती का सामना कर रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन विश्व भर के देशों से बड़ी संख्या में आने वाले राजनेताओं एवं प्रतिनिधियों की मेज़बानी करने का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन एवं तकनीकी नवाचार से संबंधित प्रमुख मुद्दों को हल करना है। हालाँकि आयोजन से ठीक दो सप्ताह पहले अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के प्रस्तावित उप-वर्गीकरण को लेकर पूरे शहर में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस क्रम में हज़ारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और अपनी चिंताओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने के अवसर के रूप में इस शिखर सम्मेलन को बाधित करने की चेतावनी दी। आपकी टीम को खुफिया रिपोर्ट मिली है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि कुछ विरोधी समूह इस शिखर सम्मेलन के स्थल पर घुसपैठ करने या प्रतिनिधियों के आवास को निशाना बनाने का प्रयास कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त इसमें निहित स्वार्थ वाले समूहों की संभावित भागीदारी के बारे में चिंताएँ हैं, जो संबंधित बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा सकते हैं। प्रभारी अधिकारी के रूप में आप पर इस शिखर सम्मेलन की अखंडता एवं शुचिता को बनाए रखते हुए सभी उपस्थित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है। इस शिखर सम्मेलन की सफलता भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा एवं वैश्विक सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु महत्त्वपूर्ण है।

1. इस स्थिति में कौन-कौन से प्रमुख हितधारक शामिल हैं?
2. इस शिखर सम्मेलन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ इसके सुचारू क्रियान्वयन हेतु तात्कालिक रूप से आप कौन से कदम उठाएंगे?
3. यदि यह विरोध प्रदर्शन बढ़ता है तो आपके पास कौन से आकस्मिक विकल्प उपलब्ध हैं?

उत्तर :

परिचय:

दिल्ली में आयोजित होने वाले वैश्विक सतत् विकास शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम समन्वयक के सामने एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि **अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के** प्रस्तावित उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर व्यापक विरोध के कारण कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होने का खतरा है।

नोट :

- हज़ारों प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध करने तथा शिखर सम्मेलन स्थल में घुसपैठ के संभावित प्रयासों के मद्देनज़र, समन्वयक को विश्व नेताओं और प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, **बुनियादी ढाँचे को नुकसान से बचाना होगा तथा शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम एवं अखंडता को बनाए रखना होगा।**

मुख्य भाग:

1. इस स्थिति में प्रमुख हितधारक कौन हैं?

हितधारक	भूमिका और जिम्मेदारियाँ
सरकारी प्राधिकरण (केंद्रीय एवं राज्य)	समग्र सुरक्षा की देखरेख करना, विरोध प्रदर्शनों का प्रबंधन करना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय करना तथा कार्यक्रम की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ	भीड़ पर नियंत्रण लागू कीजिये, शिखर सम्मेलन स्थल और प्रतिनिधियों के आवास को सुरक्षित कीजिये तथा अनधिकृत प्रवेश को रोकें।
खुफिया एजेंसियाँ	संभावित खतरों के बारे में खुफिया जानकारी प्रदान करना, विरोध गतिविधियों की निगरानी करना तथा सुरक्षा जोखिमों पर वास्तविक समय पर अद्यतन जानकारी प्रदान करना।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ	शिखर सम्मेलन के डिजिटल बुनियादी ढाँचे को साइबर हमलों से बचाना, सुरक्षित संचार सुनिश्चित करना और ऑनलाइन प्रणालियों को बनाए रखना।
इवेंट मैनेजमेंट टीम	रसद का समन्वय करना, शिखर सम्मेलन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना, स्थल की व्यवस्था का प्रबंधन करना तथा हितधारकों के बीच संचार को संभालना।
राजनयिक दल और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि	अपने देशों का प्रतिनिधित्व करना, अपने प्रतिनिधिमंडलों की भलाई सुनिश्चित करना तथा अपनी घरेलू सरकारों के साथ संवाद करना।
विरोध प्रदर्शन के नेता और सामुदायिक प्रतिनिधि	विरोध प्रदर्शनों का आयोजन और नेतृत्व करना, मांगों को संप्रेषित करना तथा शिकायतों के प्रबंधन एवं समाधान के लिये प्राधिकारियों के साथ बातचीत करना।
स्थानीय सरकार और नगर निकाय	सुनिश्चित कीजिये कि शहरी बुनियादी ढाँचा शिखर सम्मेलन को समर्थन प्रदान करे, जिसमें परिवहन और स्वच्छता शामिल है तथा व्यवधानों का समाधान किया जाए।
मीडिया और संचार टीमें	पारदर्शिता बनाए रखने के लिये जनसंपर्क का प्रबंधन कीजिये, अद्यतन जानकारी प्रदान कीजिये और मीडिया पूछताछ का समाधान कीजिये।
नागरिक समाज संगठन	प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों के बीच संवाद को सुगम बनाना, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को बढ़ावा देना एवं सामुदायिक हितों का समर्थन करना।
स्वास्थ्य एवं आपातकालीन सेवाएँ	चिकित्सा सहायता प्रदान कीजिये, आपात स्थिति के लिये तैयार रहें तथा सभी उपस्थित लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिये।
शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी एवं प्रतिनिधि	शिखर सम्मेलन की गतिविधियों में भाग लें, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कीजिये और सतत् विकास पर चर्चा में योगदान दें।
आतिथ्य एवं परिवहन प्रदाता	प्रतिनिधियों के लिये आवास, परिवहन और अन्य व्यवस्था संबंधी पहलुओं का प्रबंधन करना, उनकी सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना।
तकनीकी और आईटी सहायता टीमें	लाइव-स्ट्रीमिंग और वास्तविक समय अनुवाद सहित तकनीकी प्रणालियों के संचालन को सुनिश्चित करना तथा किसी भी आईटी मुद्दे का समाधान करना।

2. शिखर सम्मेलन की सुरक्षा और सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये आप तत्काल क्या कदम उठाएंगे?

- **सुरक्षा संवर्धन:**
  - **स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ समन्वय:**
    - **पुलिस**, खुफिया एजेंसियों और निजी सुरक्षा फर्मों के साथ एक संयुक्त कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा।
    - **शिखर सम्मेलन स्थल**, प्रतिनिधियों के आवास और प्रमुख परिवहन मार्गों के आस-पास पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई जाएगी।
    - आयोजन स्थल के चारों ओर सख्त प्रवेश नियंत्रण के साथ **बहु-स्तरीय सुरक्षा परिधि** लागू करेंगे।

नोट :

- **खुफिया जानकारी एकत्रीकरण और विश्लेषण:**
  - **संभावित खतरों और विरोध नेताओं की** पहचान करने के लिये खुफिया प्रयासों को तेज़ करेंगे।
  - विरोध योजनाओं की वास्तविक जानकारी के लिये **सोशल मीडिया और अन्य संचार चैनलों पर** नज़र रखेंगे।
  - **सभी शिखर सम्मेलन कर्मचारियों** और सेवा प्रदाताओं की पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जाँच करेंगे।
- **तकनीकी उपाय:**
  - **प्रवेश बिंदुओं पर एआई-संचालित चेहरे की पहचान** सहित उन्नत निगरानी प्रणालियाँ तैनात करेंगे।
  - **आस-पास के क्षेत्रों की हवाई निगरानी** के लिये ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे।
  - सुरक्षित क्षेत्रों में अनधिकृत संचार को रोकने के लिये **जैमिंग उपकरणों का** क्रियान्वयन करेंगे।
- **प्रतिनिधि संरक्षण:**
  - उच्च-प्रोफाइल उपस्थित लोगों को **व्यक्तिगत सुरक्षा विवरण** सौंपेंगे।
  - हवाई अड्डों, होटलों और शिखर सम्मेलन स्थल के बीच **सुरक्षित परिवहन गलियारे** स्थापित करना।
  - आपातकालीन स्थिति के लिये **अनेक आकस्मिक मार्ग और सुरक्षित आवास** तैयार रखेंगे।
- **कूटनीतिक और राजनीतिक उपाय:**
  - **उच्च स्तरीय सरकारी सहभागिता:** गृह मंत्री, संबंधित मुख्यमंत्री और प्रमुख मंत्रियों को स्थिति से अवगत कराना तथा प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना।
  - **अंतर्राष्ट्रीय संचार:** भाग लेने वाले देशों के दूतावासों और सुरक्षा टीमों को नियमित अद्यतन जानकारी प्रदान करना।
- **विरोध प्रबंधन और तनाव कम करना:**
- **विरोध प्रदर्शन के नेताओं के साथ संपर्क स्थापित करना:** **प्रमुख विरोध प्रदर्शन आयोजकों** के साथ बातचीत शुरू करने के लिये स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करना और उनके प्रतिनिधियों को प्रासंगिक अधिकारियों के समक्ष अपने मुद्दे प्रस्तुत करने के लिये एक मंच प्रदान करने पर विचार करना।
- **निर्दिष्ट विरोध क्षेत्र बनाना:** शिखर सम्मेलन स्थल से दूर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिये सुरक्षित, दृश्यमान क्षेत्र स्थापित करना।
  - सुनिश्चित करना कि इन क्षेत्रों में **स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिये पर्याप्त सुविधाएँ और सुरक्षा उपलब्ध हो।**
- **सार्वजनिक संचार रणनीति:** एक स्पष्ट, सहानुभूतिपूर्ण संदेश रणनीति विकसित करना, जो **शिखर सम्मेलन के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को स्वीकार करे।**
  - सटीक जानकारी प्रसारित करने और गलत सूचनाओं का सामना करने के लिये स्थानीय मीडिया और सामाजिक प्लेटफार्मों का उपयोग करना।
- **शिखर सम्मेलन रसद और निरंतरता योजना:**
  - **स्थल की किलेबंदी:** शिखर स्थल के चारों ओर भौतिक अवरोधों और जाँचचौकियों को मजबूत करना।
    - अतिरिक्त विद्युत प्रणालियाँ और सुरक्षित संचार नेटवर्क लागू करना।
- **वैकल्पिक स्थान और आभासी आकस्मिकताएँ:** महत्त्वपूर्ण सत्रों के लिये बैकअप स्थानों की पहचान करना और उन्हें तैयार करना।
  - प्रमुख चर्चाओं के लिये एक **प्रभावी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली विकसित** करना।
- **बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा:**
  - **महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे का आकलन:** प्रमुख बुनियादी ढाँचे (बिजली संयंत्र, जल आपूर्ति, दूरसंचार) की तीव्र भेद्यता का आकलन कीजिये।
    - पहचाने गए संवेदनशील बिंदुओं पर उन्नत सुरक्षा उपाय लागू कीजिये।
  - **साइबर सुरक्षा:** शिखर सम्मेलन से संबंधित डिजिटल बुनियादी ढाँचे के लिये फायरवॉल और साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करना।
    - संभावित खतरों की निगरानी और उनका जवाब देने के लिये एक समर्पित साइबर सुरक्षा टीम स्थापित करना।
- **आपूर्ति शृंखला सुरक्षा:** शिखर सम्मेलन से संबंधित सभी आपूर्ति शृंखलाओं की जाँच और सुरक्षा करना, जिसमें भोजन, उपकरण और सेवाएँ शामिल हैं।
  - संभावित तोड़फोड़ को रोकने के लिये कड़े गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू करना।
- **घटना के बाद की रणनीति:**
  - **त्वरित वियोजन योजना:** शिखर सम्मेलन के बाद प्रतिनिधियों के त्वरित और सुरक्षित निष्कासन के लिये रणनीति विकसित करना।
    - यदि आवश्यक हो तो संभावित चार्टर उड़ानों के लिये एयरलाइनों के साथ समन्वय करना।

नोट :

- **स्थानीय सामुदायिक सहभागिता:** स्थानीय चिंताओं को दूर करने और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिये शिखर सम्मेलन के बाद सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों की योजना बनाना।

1. यदि विरोध प्रदर्शन बढ़ता है तो आपके पास क्या आकस्मिक योजनाएँ होंगी ?

- **लॉकडाउन प्रोटोकॉल:** शिखर सम्मेलन स्थल और प्रतिनिधि आवास को पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया जाए।
  - सभी प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिये सुरक्षित संचार चैनल सक्रिय कीजिये।
- **निकासी योजनाएँ:** हवाई निकासी विकल्पों सहित कार्यक्रम स्थल और होटलों से कई निकासी मार्ग तैयार कीजिये।
  - वीआईपी को शीघ्र निकालने के लिये वाहन और हेलीकॉप्टर तैयार रखें।
- **शिखर सम्मेलन की सुरक्षा का उल्लंघन:** प्रत्येक स्तर के लिये पूर्वनिर्धारित कार्रवाई के साथ एक **रंग-कोडित चेतावनी प्रणाली लागू कीजिये।**
  - सुरक्षाकर्मियों को **गैर-घातक भीड़ नियंत्रण तकनीकों में प्रशिक्षित कीजिये।**
- **साइबर हमलों से निपटना:** सभी महत्त्वपूर्ण डेटा और सिस्टम का ऑफ़लाइन बैकअप बनाए रखें। **यदि आवश्यक हो तो एयर-गैप्ड सिस्टम पर स्विच करने के लिये तैयार रहें।**
  - साइबर खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिये एक साइबर सुरक्षा टीम तैयार रखें।
  - समझौता किये गए सिस्टम को **बंद करने के लिये पूर्व-अनुमोदित प्रोटोकॉल** तैयार कीजिये।
- **परिशोधन सुविधाएँ:** प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर त्वरित परिशोधन इकाइयाँ स्थापित कीजिये।
  - **सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु) घटनाओं** से निपटने में प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात कीजिये।
- **चिकित्सा सहायता:** बड़े पैमाने पर हताहतों की संख्या से निपटने में सक्षम अस्थायी चिकित्सा सुविधाएँ स्थापित कीजिये।
  - महत्त्वपूर्ण देखभाल उपकरणों और विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित कीजिये।
- **कानूनी और कूटनीतिक आकस्मिकताएँ:** आपातकालीन कार्रवाइयों से उत्पन्न होने वाले संभावित कानूनी मुद्दों से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय वकीलों की एक टीम तैयार रखें।
  - **अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं और प्रतिक्रियाओं को** प्रबंधित करने के लिये त्वरित कूटनीतिक संलग्नता हेतु प्रोटोकॉल तैयार करना।
- **संकट के बाद पुनर्प्राप्ति:** किसी भी संकट के मद्देनज़र शिखर सम्मेलन के परिणामों को संबोधित करने के लिये एक व्यापक पीआर रणनीति विकसित करना।
  - **संकट की घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली संभावित क्षति या चोटों से निपटने** के लिये रूपरेखा तैयार करना।

निष्कर्ष:

व्यापक विरोध के बीच वैश्विक सतत् विकास शिखर सम्मेलन के सफल प्रबंधन के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करके, **प्रभावी सुरक्षा उपायों को लागू करके, प्रदर्शनकारियों से जुड़कर और आकस्मिक योजनाओं को लागू करके**, कार्यक्रम समन्वयक **प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, शिखर सम्मेलन की अखंडता की रक्षा कर सकता** है एवं वैश्विक सतत् विकास लक्ष्यों की उन्नति में योगदान दे सकता है।

प्रश्न : आप एक ऐसे क्षेत्र के ज़िला कलेक्टर हैं, जो अपनी समृद्ध जैवविविधता और जनजातीय समुदायों के लिये जाना जाता है। एक प्रमुख दवा कंपनी ने आपके ज़िले में एक शोध सुविधा स्थापित करने के प्रस्ताव के साथ सरकार से संपर्क किया है। कंपनी का दावा है कि उन्होंने स्थानीय जंगल में एक दुर्लभ पौधे की प्रजाति की खोज की है जो संभावित रूप से कैंसर के उपचार को एक सफलता की ओर ले जा सकती है। वे रोज़गार सृजन और बुनियादी ढाँचे के विकास सहित महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान कर रहे हैं। हालाँकि सुविधा के लिये प्रस्तावित स्थान के लिये जंगल के एक हिस्से में वनों को काटना होगा, इस क्षेत्र को स्थानीय जनजातीय समुदाय द्वारा पवित्र माना जाता है साथ ही यहाँ कई लुप्तप्राय प्रजातियों का आवास है।

जनजातीय नेताओं ने अपने पैतृक अधिकारों और भूमि के सांस्कृतिक महत्त्व का हवाला देते हुए परियोजना के प्रति विरोध व्यक्त किया है। पर्यावरण कार्यकर्त्ता भी संभावित पारिस्थितिक क्षति के बारे में चेतावनी देते हुए विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर, कई स्थानीय लोग इसे आर्थिक रूप से

नोट :

पिछड़े क्षेत्र में रोज़गार और विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। ज़िला कलेक्टर के रूप में आपको यह तय करना होगा कि परियोजना के लिये अनुमोदन की सिफारिश करनी है या इसे अस्वीकार करना है। आपके निर्णय का स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक विरासत पर दूरगामी परिणाम होंगे।

1. इस स्थिति में कौन-से हितधारक शामिल हैं?
2. ज़िला कलेक्टर के रूप में दवा कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय लेने में आपको किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है?
3. आर्थिक विकास, पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रतिस्पर्द्धात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए, आप इस संघर्ष के समाधान हेतु क्या दृष्टिकोण अपनाएंगे?

उत्तर :

परिचय:

जैव विविधता और जनजातीय विरासत के लिये प्रसिद्ध एक क्षेत्र के **जिला कलेक्टर** के रूप में , एक दवा कंपनी के अनुसंधान सुविधा स्थापित करने के प्रस्ताव के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया जाना चाहिये।

- यह परियोजना **रोजगार सृजन सहित महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान करती है,** लेकिन इसके लिये पवित्र वन को साफ करना आवश्यक है, जो लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है।
- पैतृक अधिकारों और पारिस्थितिकी क्षति की चिंताओं के कारण जनजातीय नेताओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है, जबकि कई स्थानीय लोग इसे क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हैं।

मुख्य भाग:

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?

हितधारक	रुचि/चिंता
दवा निर्माता कंपनी	कैंसर के उपचार, आर्थिक लाभ और रोजगार सृजन के लिये एक अनुसंधान सुविधा की स्थापना, दुर्लभ पौधों की प्रजातियों की खोज और उनका व्यावसायीकरण करना।
जनजातीय समुदाय	पैतृक अधिकारों की सुरक्षा, पवित्र भूमि का संरक्षण, सांस्कृतिक महत्त्व, तथा उनकी जीवन-शैली में व्यवधान का प्रतिरोध।
जिला कलेक्टर	सभी हितधारकों के हितों में संतुलन बनाए रखना, सतत विकास सुनिश्चित करना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना तथा आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक प्रभावों पर विचार करते हुए सिफारिश करना।
पर्यावरण कार्यकर्ता	जैव विविधता का संरक्षण, लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा, पारिस्थितिक क्षति की रोकथाम और वनों की कटाई का विरोध।
स्थानीय निवासी (विकास समर्थक)	आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में संभावित रोजगार के अवसरों, बुनियादी ढाँचे के विकास और आर्थिक उत्थान के कारण परियोजना के लिये समर्थन।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय	यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण नियमों का पालन किया जाए, परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाए, तथा आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जाए।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय	जनजातीय अधिकारों का संरक्षण, स्वदेशी समुदायों की रक्षा करने वाले कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा सरकार और जनजातीय समुदाय के बीच मध्यस्थता करना।
स्थानीय सरकार	क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाना, जनभावनाओं का प्रबंधन करना, तथा पर्यावरणीय और सांस्कृतिक विचारों के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना।
मीडिया	मुद्दे पर रिपोर्टिंग करना, जनमत को प्रभावित करना, तथा हितधारकों को जवाबदेह बनाना।
कानूनी प्राधिकारी	पर्यावरण संरक्षण, जनजातीय अधिकार और भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

नोट :

2. जिला कलेक्टर के रूप में दवा कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय लेने में आपको किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है?

- **आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण:** यह प्रस्ताव आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में रोजगार सृजन और बुनियादी ढाँचे के विकास सहित पर्याप्त आर्थिक लाभ प्रदान करता है।
  - हालाँकि, इसके लिये **जैव विविधता वाले वन के एक हिस्से को साफ करना होगा** , जिससे संभावित रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को नुकसान पहुँचेगा और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न होगा।
- **वैज्ञानिक प्रगति बनाम स्वदेशी अधिकार: दवा कंपनी के अनुसंधान से कैंसर के उपचार** में सफलता मिल सकती है , जिससे विश्व स्तर पर अनगिनत लोगों की जान बच सकती है।
  - **हालाँकि, यह प्रगति जनजातीय समुदाय के पैतृक अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत की अवहेलना** की कीमत पर होगी।
- **आधुनिकीकरण बनाम सांस्कृतिक संरक्षण** : परियोजना को मंजूरी देने से क्षेत्र में आधुनिकीकरण में तेजी आ सकती है, जिससे **कई स्थानीय लोगों के जीवन स्तर और सेवाओं तक पहुँच में सुधार हो सकता है।**
  - हालाँकि, इससे पारंपरिक जनजातीय संस्कृति और जीवन शैली का क्षरण भी हो सकता है।
- **प्रक्रियात्मक न्याय बनाम परिणाम-आधारित निर्णय लेना: उचित नौकरशाही प्रक्रियाओं का पालन करने, जो निष्पक्ष मूल्यांकन** और **हितधारक परामर्श का पक्षधर हो सकता है** , और कथित परिणामों के आधार पर त्वरित निर्णय लेने के बीच तनाव है।
  - प्रक्रियागत मानदंडों का सख्ती से पालन करने से **संभावित रूप से जीवनरक्षक अनुसंधान में देरी हो सकती है,** जबकि सुविधा के लिये उन्हें नजरअंदाज करने से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमज़ोर करने और एक खतरनाक मिसाल कायम करने का जोखिम हो सकता है।
- **स्थानीय स्वायत्तता बनाम राष्ट्रीय हित:** इस परियोजना को चिकित्सा उन्नति और आर्थिक विकास में व्यापक राष्ट्रीय हित की पूर्ति के रूप में तैयार किया जा सकता है।
  - हालाँकि, स्थानीय लोगों की इच्छा के विरुद्ध इसे मंजूरी देने से **स्थानीय स्वशासन और स्वायत्तता के सिद्धांत कमज़ोर होंगे।**

3. आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रतिस्पर्धी हितों को ध्यान में रखते हुए, इस संघर्ष को हल करने के लिये आप क्या दृष्टिकोण अपनाएंगे?

- **हितधारक परामर्श और सहभागिता**
  - **समावेशी परामर्श का संचालन कीजिये: जनजातीय नेताओं, पर्यावरण कार्यकर्ताओं, स्थानीय समुदायों, दवा कंपनी** और सरकारी एजेंसियों सहित सभी प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला शुरू कीजिये ।
    - इन परामर्शों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी की आवाज सुनी जाए, चिंताओं का समाधान किया जाए तथा स्थिति की व्यापक समझ विकसित की जाए।
  - **बहु-हितधारक समिति की स्थापना कीजिये:** एक समिति बनाएं जिसमें जनजातीय समुदाय, पर्यावरण समूहों, स्थानीय सरकार और स्वतंत्र विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हों।
    - यह समिति **निर्णय लेने की प्रक्रिया की देखरेख करेगी** तथा पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी।
- **आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक प्रभाव का आकलन:**
- **आर्थिक प्रभाव विश्लेषण:**
  - **रोजगार और विकास: रोजगार सृजन, बुनियादी ढाँचे के विकास और दीर्घकालिक आर्थिक विकास** सहित संभावित आर्थिक लाभों का आकलन कीजिये ।
    - इस विश्लेषण में उस आर्थिक उत्थान के अनुमानों को शामिल किया जाना चाहिये जो अनुसंधान सुविधा जिले में ला सकती है, विशेष रूप से हाशिये पर पड़े समुदायों के लिये।
  - **राजस्व सृजन:** सुविधा द्वारा प्रेरित करों और अन्य आर्थिक गतिविधियों से स्थानीय सरकार के लिये संभावित राजस्व पर विचार कीजिये।
- **पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए):**
  - **पारिस्थितिक प्रभाव: वनों की कटाई, आवास की क्षति और लुप्तप्राय प्रजातियों पर प्रभाव** सहित संभावित पारिस्थितिक क्षति का मूल्यांकन करने के लिये एक स्वतंत्र पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का गठन करना।
    - इस मूल्यांकन में जैव विविधता को खोने के दीर्घकालिक परिणामों तथा फार्मास्यूटिकल अनुसंधान के संभावित लाभों पर विचार किया जाना चाहिये।

नोट :

- **स्थायित्व के उपाय:** पता लगाएं कि क्या कंपनी टिकाऊ प्रथाओं को अपना सकती है, जैसे कि वनों की कटाई को न्यूनतम करना, लुप्तप्राय प्रजातियों को स्थानांतरित करना, तथा पर्यावरणीय प्रभाव को संतुलित करने के लिये पुन: वनरोपण या संरक्षण प्रयासों में निवेश करना।

- **सांस्कृतिक प्रभाव आकलन:**
  - **पवित्र भूमि और पैतृक अधिकार:** जनजातीय समुदाय के लिये भूमि के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व को पहचानें और उसका सम्मान कीजिये।
    - **इस महत्त्व की गहराई** और इसे बाधित करने के संभावित परिणामों को समझने के लिये एक स्वतंत्र सांस्कृतिक प्रभाव मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
  - **कानूनी और नैतिक विचार:** जनजातीय अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रासंगिक कानूनों और विनियमों की समीक्षा कीजिये। स्वदेशी अधिकारों और जैव विविधता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर विचार कीजिये जिनका भारत हिस्सा है।

- **वैकल्पिक समाधानों की खोज:**
  - **वैकल्पिक स्थान:** जांच कीजिये कि क्या दवा कंपनी वैकल्पिक स्थान पर सुविधा स्थापित कर सकती है, **जो पवित्र भूमि या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अतिक्रमण न करे।**
    - कंपनी वन मंजूरी की आवश्यकता के बिना अनुसंधान करने के लिये स्थानीय विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी की संभावना भी तलाश सकती है।
  - **लाभ-साझाकरण तंत्र:** यदि परियोजना आगे बढ़ती है, तो लाभ-साझाकरण तंत्र का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, जहां स्थानीय जनजातीय समुदाय को रॉयल्टी, परियोजना में इक्विटी और गारंटीकृत नौकरियों सहित **आर्थिक लाभ से सीधे लाभ मिले ।**
    - इसे कानूनी समझौतों के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जा सकता है जो समुदाय के हितों की रक्षा करते हैं।

- **अंतिम निर्णय लेना:**
  - **लाभ-हानि का मूल्यांकन:** सभी आवश्यक जानकारी और राय एकत्र करने के बाद, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक लागतों के विरुद्ध आर्थिक लाभ का मूल्यांकन कीजिये।
    - निर्णय में **दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, तथा यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि यद्यपि आर्थिक विकास महत्त्वपूर्ण है** , लेकिन यह अपूरणीय पर्यावरणीय और सांस्कृतिक संसाधनों की कीमत पर नहीं होना चाहिये।
  - **सशर्त अनुमोदन पर विचार कीजिये:** यदि परियोजना के लाभ जोखिमों से काफी अधिक हैं, तो सख्त पर्यावरणीय और सांस्कृतिक सुरक्षा उपायों के अधीन सशर्त अनुमोदन देने पर विचार कीजिये।
    - शर्तों **में वन मंजूरी पर सीमाएं, अनिवार्य पर्यावरण बहाली गतिविधियां** और एक स्वतंत्र निकाय द्वारा निरंतर निगरानी शामिल हो सकती है।

- **निगरानी और अनुकूली प्रबंधन:**
  - **सतत निगरानी:** यदि परियोजना को मंजूरी मिल जाती है, तो इसके पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर नज़र रखने के लिये एक मज़बूत निगरानी ढाँचा स्थापित कीजिये।
    - इस ढाँचे में स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा नियमित रिपोर्टिंग और ऑडिट शामिल होना चाहिये।

निष्कर्ष:

हितधारकों को शामिल करके, गहन प्रभाव आकलन करके, वैकल्पिक समाधानों की खोज करके, और सख्त सुरक्षा उपायों के साथ सशर्त स्वीकृति पर विचार करके, एक ऐसा निर्णय लिया जा सकता है जो सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप हो। यह दृष्टिकोण न केवल तत्काल संघर्ष को संबोधित करता है बल्कि **भविष्य में इसी तरह के मुद्दों से निपटने के लिये एक मिसाल भी स्थापित करता है।**

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : नैतिक निर्णय लेने में भावनाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिये। क्या भावनाएँ नैतिक तर्क में बाधा या सहायता हैं? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- तर्क और भावना के बीच अन्योन्य क्रिया पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- नैतिक तर्क में सहायता के रूप में भावनाओं के लिये तर्क दीजिये।
- नैतिक तर्क में बाधा के रूप में भावनाओं के लिये तर्क दीजिये।
- तर्क और भावना को संतुलित करने के तरीके बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

नोट :

परिचय:

तर्क और भावना के बीच जटिल अन्योन्य क्रिया ने लंबे समय से दार्शनिकों एवं मनोवैज्ञानिकों को आकर्षित किया है।

- नैतिक निर्णय लेने के क्षेत्र में यह अन्योन्य क्रिया और भी जटिल हो जाती है। जबकि तर्क को प्राय: नैतिक निर्णय की आधारशिला के रूप में देखा जाता है, भावनाओं को नैतिक मार्गदर्शक के महत्त्वपूर्ण घटक के व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।

मुख्य भाग:

नैतिक तर्क में सहायक के रूप में भावनाएँ

- **नैतिक अंतर्ज्ञान:** भावनाएँ प्राय: **नैतिक दुविधाओं के लिये त्वरित, सहज प्रतिक्रियाएँ** प्रदान करती हैं।
  - यह आंतरिक भावना नैतिक निर्णय लेने में एक मूल्यवान पहला कदम हो सकती है, जो आगे विचार-विमर्श को प्रेरित करती है।
  - उदाहरण के लिये **दूसरों की पीड़ा के प्रति तदनुभूति परोपकारी व्यवहार** को प्रेरित कर सकती है।
- **नैतिक प्रेरणा: अपराधबोध, शर्मिंदगी और गर्व** जैसी भावनाएँ नैतिक आचरण के लिये **प्रभावी प्रेरक** के रूप में काम कर सकती हैं।
  - इन भावनाओं की प्रत्याशा **व्यक्तियों को अनैतिक कार्यों से रोक सकती है**, जबकि उनके अनुभव से पश्चाताप और सुधार की इच्छा हो सकती है।
- **सामाजिक बंधन: प्रेम, निष्ठा और कृतज्ञता** जैसी भावनाएँ मज़बूत सामाजिक बंधन को बढ़ावा देती हैं, जो समुदायों के नैतिक मूल्यों के लिये आवश्यक हैं।
  - ये भावनाएँ **सहयोग, विश्वास और साझा ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा** देती हैं।
- **नैतिक विकास:** भावनाएँ नैतिक चरित्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - करुणा और निष्पक्षता के अनुभव **नैतिक विवेक के निर्माण** में योगदान करते हैं।

नैतिक तर्क में बाधा के रूप में भावनाएँ

- **भावनात्मक पूर्वाग्रह:** भावनाएँ **पूर्वाग्रह उत्पन्न करके तर्कसंगत निर्णय को विकृत कर सकती** हैं। भय दूसरों की भलाई पर आत्म-संरक्षण को बढ़ावा देकर नैतिक व्यवहार में भी बाधा डाल सकता है।
- **भावनात्मक अपहरण:** कुछ मामलों में भावनाएँ तर्क पर हावी हो सकती हैं, जिसके कारण परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बजाय केवल भावनात्मक आवेगों पर आधारित निर्णय लिये जाते हैं।
  - इसका परिणाम **अनैतिक कार्यों के रूप** में हो सकता है, जिसका **बाद में पछतावा** होता है।
- **भावनात्मक संक्रमण:** भावनाएँ **संक्रामक** होती हैं और व्यक्ति दूसरों की भावनात्मक स्थितियों से प्रभावित हो सकते हैं।
  - इससे समूह-विचार और व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांतों की अवहेलना हो सकती है।

तर्क और भावना का संतुलन

भावनाओं के लाभों का सदुपयोग करने के साथ-साथ उनकी संभावित कमियों को कम करने के लिये तर्क और भावना के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने से व्यक्ति अपनी और **दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने एवं प्रबंधित करने में सक्षम** होता है।
- **नैतिक चिंतन:** नैतिक दुविधाओं पर विचारशील चिंतन में संलग्न होना **भावनाओं के प्रभाव का प्रतिकार करने** और **अधिक तर्कसंगत निर्णय लेने को बढ़ावा** देने में मदद कर सकता है।
- **नैतिक ढाँचे: उपयोगितावाद या कर्त्तव्यवाद** जैसे **नैतिक ढाँचों को नियोजित करना** नैतिक तर्क के लिये एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है, जो भावनात्मक पूर्वाग्रहों को संतुलित करने में मदद करता है।

निष्कर्ष:

भावनाएँ मानव अनुभव का एक अभिन्न अंग हैं और उन्हें **नैतिक निर्णय लेने से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता** है। जबकि वे कभी-कभी नैतिक तर्क में बाधा डाल सकते हैं, वे **नैतिक व्यवहार को प्रेरित करने, सामाजिक बंधनों को बढ़ावा देने** और **नैतिक चरित्र विकसित करने में भी महत्त्वपूर्ण** भूमिका निभाते हैं। अंतत: लक्ष्य **नैतिक निर्णय को बढ़ावा देने के लिये भावनाओं की शक्ति का दोहन** करना है, **न कि** उन्हें इसे **निर्देशित करने की अनुमति देना।**

प्रश्न : "किसी राष्ट्र की महानता और उसकी नैतिक प्रगति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ पशुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।" – महात्मा गांधी भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के संदर्भ में पशु कल्याण के नैतिक आयामों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

नोट :

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- महात्मा गांधी के कथन पर बल देते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- पशु कल्याण के नैतिक आयाम बताइये।
- सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताएँ प्रस्तुत कीजिये।
- आगे बढ़ने का रास्ता सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

किसी सभ्यता का मापदंड केवल उसकी तकनीकी उन्नति या आर्थिक समृद्धि नहीं है, बल्कि हमारे बीच सबसे कमज़ोर लोगों के साथ उसका व्यवहार है।

- **महात्मा गांधी** का यह कथन कि किसी राष्ट्र की नैतिक प्रगति उसके पशु कल्याण से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है, इस सत्य पर एक गहन प्रतिबिंब है।
- **भारत, आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं से परिपूर्ण देश** है जो जीवन के सभी रूपों का सम्मान करता है **किंतु पशु कल्याण के क्षेत्र में नैतिक प्रथाओं एवं चुनौतियों का एक जटिल जाल प्रस्तुत करता है।**

मुख्य भाग:

पशु कल्याण के नैतिक आयाम

- **अहिंसा और करुणा:** भारत की **अहिंसा की समृद्ध दार्शनिक परंपरा** ने सभी सजीवों के प्रति करुणा के मूल्य को गहनता से समाहित किया है।
  - **गौ माता** (गाय माता) की अवधारणा के रूप में **गायों के प्रति श्रद्धा**, इस **लोकाचार का एक प्रमाण** है।
  - जैन समुदाय द्वारा **छोटे से छोटे जीव को भी नुकसान पहुँचाने से बचने** के लिये **'अपराग्रह' (अपरिग्रह) का अभ्यास** इसका उदाहरण है।
- **परस्पर जुड़ाव और पारिस्थितिक संतुलन:** हिंदू और बौद्ध दर्शन सभी जीवन रूपों के परस्पर जुड़ाव पर ज़ोर देते हैं।
  - **पशुओं को पारिस्थितिक संतुलन का अभिन्न अंग** माना जाता है और उनका **कल्याण मानव समृद्धि के लिये आवश्यक** है।
  - उदाहरण: **पवित्र उपवन और वन,** जहाँ प्राय: विविध वन्यजीव रहते हैं, **देवताओं के निवास के रूप में पूजनीय** हैं।
- **कर्त्तव्य और ज़िम्मेदारी:** 'धर्म' (कर्त्तव्य) की अवधारणा सभी प्राणियों के प्रति नैतिक आचरण को अनिवार्य बनाती है।
  - मनुष्यों को पृथ्वी और उसपर रहने वाले सभी सजीव-निर्जीवों का रक्षक माना जाता है।
  - उदाहरण: कुछ क्षेत्रों में **'पशु-हत्या निवारण'** (पशु वध की रोकथाम) की प्रथा पशुओं के प्रति कर्त्तव्य की भावना को दर्शाती है।
- **सामाजिक न्याय और समानता: 'वसुधैव कुटुंबकम्'** (समस्त संसार एक परिवार है) का सिद्धांत सभी जीवित प्राणियों तक व्याप्त हुआ है।
  - पशु कल्याण स्वाभाविक रूप से सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह कमज़ोर/दुर्बल प्राणियों के शोषण को चुनौती देता है।

सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताएँ

- **सांस्कृतिक चुनौतियाँ:** गहरी जड़ें जमाए हुए सांस्कृतिक प्रथाएँ जैसे: **बैलों की लड़ाई और पशु बलि** पशु कल्याण के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती हैं।
  - कुछ पशुओं के संदर्भ में पारंपरिक मान्यताएँ, जैसे कि कुत्तों को अशुद्ध मानना, उनकी सुरक्षा में बाधा डालती हैं।
  - उदाहरण: **जल्लीकट्टू** जैसे अनुष्ठानों में पशुओं का प्रयोग करने की प्रथा, पीड़ा का कारण बनते हुए भी, कुछ क्षेत्रों में जारी है।
- **आर्थिक बाधाएँ:** गरीबी और आर्थिक असमानताएँ प्राय: जीविका या लाभ के लिये पशुओं के शोषण का कारण बनती हैं।
  - पशुओं की देखभाल के लिये संसाधनों की कमी और पशु कल्याण कानूनों का प्रवर्तन एक गंभीर मुद्दा है।
  - उदाहरण: आर्थिक दबावों के कारण **ग्रामीण क्षेत्रों में बोझा ढोने वाले पशुओं से अत्यधिक काम** लिया जाता है।
- **कानूनी तंत्र और प्रवर्तन:** हालाँकि भारत ने पशुओं की सुरक्षा के लिये कानून बनाए हैं, लेकिन प्राय: उनका पालन नहीं किया जाता है।
  - भ्रष्टाचार और जनता में जागरूकता की कमी प्रभावी प्रवर्तन में बाधा डालती है।
  - उदाहरण: हालाँकि **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम,** मौजूद है लेकिन देश के कई हिस्सों में इसका सख्ती से क्रियान्वयन नहीं किया जाता है।

नोट :

आगे की राह

- **कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना:** कठोर दंड के साथ पशु कल्याण कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन महत्त्वपूर्ण है।
- **जागरूकता बढ़ाना:** पशु कल्याण के नैतिक आयामों और कानूनी ढाँचे के बारे में जनता को शिक्षित करना आवश्यक है।
- **मानवीय विकल्पों को बढ़ावा देना:** मनोरंजन, कृषि और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में मानवीय विकल्पों के विकास एवं इन्हें अपनाने को प्रोत्साहित करना।
- **पशु कल्याण संगठनों को सशक्त बनाना:** पशु कल्याण के लिये कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का समर्थन करना और प्रभावी हस्तक्षेप के लिये उनके साथ सहयोग करना।
- **विकास में पशु कल्याण को एकीकृत करना:** विकास नीतियों और कार्यक्रमों में पशु कल्याण विचारों को शामिल करना।

निष्कर्ष:

वास्तव में करुण और प्रगतिशील राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा **पशुओं के साथ उसके व्यवहार से जुड़ी** हुई है। **अहिंसा, परस्पर जुड़ाव, कर्त्तव्य** एवं **सामाजिक न्याय के नैतिक सिद्धांतों** को कायम रखते हुए, भारत एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकता है जहाँ पशु कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है।

प्रश्न : देखभाल नैतिकता (Ethics of Care)' क्या है? पारंपरिक नैतिक सिद्धांतों के साथ इसकी तुलना करते हुए लोक प्रशासन में इसके महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- देखभाल नैतिकता को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- पारंपरिक नैतिक सिद्धांतों के साथ इसकी तुलना कीजिये।
- लोक प्रशासन में इसके महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

देखभाल नैतिकता, नैतिकता के प्रति एक नारीवादी दृष्टिकोण है जिसमें प्रतिक्रिया, संबंधों और ज़िम्मेदारियों के महत्त्व पर बल दिया जाता है। 1980 के दशक में **मनोवैज्ञानिक कैरोल गिलिगन द्वारा विकसित इस सिद्धांत में अमूर्त नियमों और व्यक्तिगत अधिकारों के बजाय प्रासंगिक संवेदनशीलता तथा देखभाल संबंधों** पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

मुख्य भाग:

पारंपरिक नैतिक सिद्धांतों के साथ तुलना:

- **उपयोगितावाद:** इसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  - **देखभाल नैतिकता:** समग्र परिणामों के बजाय संबंधों और व्यक्तिगत ज़रूरतों की गुणवत्ता पर ज़ोर दिया जाता है।
  - **उदाहरण:** सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में उपयोगितावाद के तहत अधिकतम लोगों का कल्याण करने के क्रम में कुछ लोगों के बलिदान को उचित ठहराया जा सकता है, जबकि देखभाल नैतिकता के तहत प्रभावित लोगों के विशिष्ट संबंधों और संदर्भों पर विचार किया जाएगा।
- **धर्मशास्त्रीय नैतिकता (Deontological Ethics):** इसके तहत सार्वभौमिक नैतिक नियमों एवं कर्त्तव्यों पर बल दिया जाता है (उदाहरण के लिये, कांट की वर्गीकृत अनिवार्यता)।
  - **देखभाल नैतिकता:** सार्वभौमिक सिद्धांतों से ज़्यादा किसी स्थिति में शामिल विशेष संदर्भ और संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है।
  - **उदाहरण:** धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण में **हमेशा सच बोलने को प्राथमिकता दी जा सकती है, जबकि देखभाल नैतिकता** जैसे दृष्टिकोण में किसी विशिष्ट संदर्भ में कमज़ोर व्यक्ति की रक्षा होने पर जानकारी को छुपाने पर विचार किया जा सकता है।

लोक प्रशासन में महत्त्व:

- **व्यक्तिगत दृष्टिकोण:** देखभाल नैतिकता के तहत सार्वजनिक प्रशासकों को एक ही नीति लागू करने के बजाय व्यक्तियों एवं समुदायों की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
  - **उदाहरण:** सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में कठोर पात्रता मानदंड रखने के बजाय प्रशासकों को व्यक्तिगत मामलों पर अधिक समग्र रूप से विचार करने के लिये सशक्त बनाया जा सकता है।
- **संबंध-निर्माण:** इसमें सरकार और नागरिकों के बीच सकारात्मक संबंध निर्माण के महत्त्व पर ज़ोर दिया जाता है।
  - **उदाहरण:** पुलिस विभाग द्वारा ऐसी सामुदायिक पुलिसिंग रणनीतियों को अपनाना, जो स्थानीय निवासियों के साथ विश्वास एवं समझ को विकसित करने पर केंद्रित हों।

नोट :

- **सहानुभूति एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता:** देखभाल नैतिकता के तहत निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को महत्त्व दिया जाता है।
  - **उदाहरण:** आपदा प्रबंधन में प्रभावित आबादी की न केवल शारीरिक ज़रूरतों पर विचार करना बल्कि उनके भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक कल्याण पर भी विचार करना।
- **प्रासंगिक निर्णय लेना:** इससे प्रशासक विभिन्न हितधारकों के संदर्भ में अपने निर्णयों के व्यापक संदर्भ एवं संभावित प्रभावों पर विचार करने हेतु प्रोत्साहित होते हैं।
  - **उदाहरण:** शहरी नियोजन में न केवल दक्षता और लागत पर विचार करना बल्कि यह भी देखना कि होने वाले परिवर्तन सामुदायिक रीतियों एवं स्थानीय परंपराओं को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं।
- **हाशिये पर स्थित समूहों पर ध्यान देना:** देखभाल नैतिकता के तहत अक्सर पारंपरिक रूप से हाशिये पर स्थित या कमज़ोर समूहों की ज़रूरतों पर प्रकाश डाला जाता है।
  - **उदाहरण:** सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बुज़ुर्गों एवं विकलांग उपयोगकर्त्ताओं की सुलभता पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिज़ाइन करना, भले ही यह सबसे किफायती विकल्प न हो।
- **दीर्घकालिक संबंध प्रबंधन:** इससे सामाजिक संबंधों एवं सामुदायिक संरचनाओं पर नीतियों के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में विमर्श को प्रोत्साहन मिलता है।
  - **उदाहरण:** शिक्षा नीति में न केवल परीक्षा के अंकों पर विचार करना बल्कि यह भी ध्यान देना कि स्कूल कार्यक्रम परिवार की गतिशीलता एवं सामुदायिक भागीदारी को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष:

देखभाल नैतिकता लोक प्रशासन में पारंपरिक नैतिक ढाँचों की पूरक है। संबंधों, विविध संदर्भों और जवाबदेहिता पर बल देने से अधिक प्रभावी शासन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। हालाँकि सार्वजनिक सेवा वितरण में निष्पक्षता तथा दक्षता सुनिश्चित करने के लिये इस दृष्टिकोण को अन्य नैतिक विचारों के साथ संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न : 'गोल्डन मीन' के नैतिक महत्त्व पर चर्चा कीजिये। सार्वजनिक नीति-निर्णयों में संतुलन प्राप्त करने के लिये इस अवधारणा को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- 'गोल्डन मीन' की अवधारणा को बताइये।
- सद्गुण एवं संयम को बढ़ावा देने में इसके नैतिक महत्त्व की व्याख्या कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि प्रासंगिक उदाहरणों के साथ सार्वजनिक नीति-निर्णयों में गोल्डन मीन को किस प्रकार लागू किया जा सकता है।
- संतुलित एवं नैतिक सार्वजनिक नीति प्राप्त करने में गोल्डन मीन के महत्त्व को बताते हुए निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

'गोल्डन मीन' की अवधारणा **अरस्तू के दर्शन** से उत्पन्न हुई है, जहाँ चरम सीमाओं के बीच वांछनीय मध्यम मार्ग पर बल दिया जाता है। इसमें संतुलन और संयम पर बल देते हुए अधिकता तथा कमी दोनों से बचाव होता है।

- गोल्डन मीन एक कठोर मध्य बिंदु न होकर एक गतिशील संतुलन है जो परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है, जिससे **तर्कसंगत एवं नैतिक व्यवहार सुनिश्चित होता है।**

मुख्य भाग:

गोल्डन मीन का नैतिक महत्त्व:

- **सद्गुण और संयम:** गोल्डन मीन संयम को बढ़ावा देकर साहस, विवेक और न्याय जैसे सद्गुणों को बढ़ावा देता है।
  - उदाहरण के लिये, लापरवाही तथा कायरता के संदर्भ में साहस निर्णायक है।
- **निर्णय लेने में विवेक:** इससे लोगों को प्रतिकूल परिणामों से बचने के साथ नैतिक नेतृत्व के एक प्रमुख पहलू के रूप में विवेक को प्रोत्साहन मिलता है।
- **प्रासंगिक नैतिकता:** यह अवधारणा अनुकूलनीय है, जिससे निर्णय लेने वालों को विशिष्ट संदर्भ एवं परिस्थितियों पर विचार करने का प्रोत्साहन मिलता है, जिससे अधिक सूक्ष्म और नैतिक विकल्प बनते हैं।

सार्वजनिक नीति निर्णयों में अनुप्रयोग:

- **आर्थिक नीति:** कराधान नीतियों को डिज़ाइन करने में गोल्डन मीन अत्यधिक कराधान (जो आर्थिक विकास को बाधित कर सकता है) और न्यूनतम कराधान (जिससे अपर्याप्त लोक सेवाओं को जन्म मिल सकता है) के बीच संतुलन का मार्गदर्शन मिल सकता है।

नोट :

- उदाहरण के लिये, भारत के **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** को एक मध्यम कर दर के माध्यम से राजस्व आवश्यकताओं को आर्थिक विकास के साथ संतुलित करने हेतु डिज़ाइन किया गया था जिससे व्यवसायों पर अत्यधिक भार डाले बिना कर संरचना को सरल बनाया जा सके।

- **पर्यावरण नीति:** इस अवधारणा को पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने में लागू किया जा सकता है।
  - **'सतत् विकास लक्ष्य' (SDGs)** से भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाती है।
- **सामाजिक नीति:** सामाजिक कल्याण योजनाओं में गोल्डन मीन को लागू करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के बीच उचित संतुलन खोजना शामिल होगा।
  - **'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' (MGNREGA)** इसका एक प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि इससे ग्रामीण गरीबों के लिये रोज़गार मिलने के साथ यह भी सुनिश्चित होता है कि लाभार्थी अपने कार्य के माध्यम से सामुदायिक विकास में योगदान दे सकें।
- **कानून और व्यवस्था:** गोल्डन मीन से लोक व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता एवं व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान के बीच संतुलन बनाकर आपराधिक न्याय नीतियों को मार्गदर्शन मिल सकता है।
  - भारत का किशोर न्याय अधिनियम (जो युवा अपराधियों को दंडित करने के बजाय सुधार पर केंद्रित है) इस संतुलित दृष्टिकोण का उदाहरण है, जिसका उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करते हुए पुनर्वास पर ज़ोर देना है।

निष्कर्ष:

गोल्डन मीन सार्वजनिक नीति-निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिये एक शक्तिशाली नैतिक उपकरण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ न तो बहुत सरल हों और न ही बहुत कठोर, बल्कि ये सामाजिक आवश्यकताओं को संतुलित एवं टिकाऊ तरीके से पूरा कर सकें। इस अवधारणा को लागू करके, नीति-निर्माता ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो न्यायसंगत होने के साथ समाज के दीर्घकालिक कल्याण हेतु अनुकूल हों।

प्रश्न : लोक सेवा में 'आशय (Intent)' बनाम 'परिणाम (Outcome)' के नैतिक महत्त्व का परीक्षण कीजिये। सिविल सेवकों द्वारा निर्णय निर्माण में इन कारकों के संदर्भ में किस प्रकार संतुलन किया जाना चाहिये? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उद्देश्य और परिणाम को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये
- उद्देश्य बनाम परिणाम को सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य दीजिये
- आशय और परिणाम के महत्त्व को समझाइये
- उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

आशय, जिसे किसी कार्य के पीछे मानसिक उद्देश्य या लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, नैतिक निर्णय लेने की आधारशिला है। यह निर्णय लेने वाले के नैतिक चरित्र और प्रेरणा को दर्शाता है।

- जबकि परिणाम को **किसी कार्रवाई के फल या प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया जाता है**, नैतिक निर्णय लेने में यह एक और महत्त्वपूर्ण कारक है।
- आशय और परिणाम के बीच नैतिक **रस्साकशी** सार्वजनिक सेवा निर्णय लेने के केंद्र में है।

मुख्य भाग:

आशय बनाम परिणाम

- **कर्तव्य- नैतिक नैतिकता (उद्देश्य-केंद्रित):** कार्यों के अंतर्निहित सही या गलत होने पर ज़ोर देती है, चाहे उनका परिणाम कुछ भी हो।
  - **उदाहरण : इमैनुअल कांट की 'श्रेणीबद्ध आज्ञा'** यह तर्क देती है कि झूठ बोलना हमेशा गलत है, भले ही इससे किसी की जान बच जाए।
  - सार्वजनिक सेवा में इसका अर्थ यह हो सकता है कि परिणाम की परवाह किये बिना नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन किया जाए।
- **परिणामवाद (परिणाम-केंद्रित)** : किसी कार्य की नैतिकता का निर्धारण उसके परिणामों के आधार पर किया जाता है।
  - **उदाहरण: जेरेमी बेन्थम और जॉन स्टुअर्ट मिल** द्वारा प्रस्तावित उपयोगितावाद, जो समग्र कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करता है।
  - शासन में इसका अर्थ **उन नीतियों को प्राथमिकता देना हो सकता है, जो अधिकतम लोगों के लिये अधिकतम लाभ उत्पन्न करती हैं,** भले ही उनमें नैतिक रूप से संदिग्ध साधन शामिल हों।

नोट :

आशय का नैतिक महत्त्व:

- **नैतिक जवाबदेही** : नैतिक जवाबदेही निर्धारित करने में आशय को अक्सर एक महत्त्वपूर्ण कारक माना जाता है।
  - **आमतौर पर व्यक्ति को उन कार्यों के लिये** अधिक ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, जो जानबूझकर किये जाते हैं, न कि उन कार्यों के लिये जो आकस्मिक या अनजाने में किये जाते हैं।
- **चरित्र मूल्यांकन: आशय का उपयोग निर्णयकर्ता के चरित्र का मूल्यांकन करने** के लिये भी किया जा सकता है ।
  - जो व्यक्ति लगातार अच्छे इरादों के साथ काम करता है, उसे अक्सर स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित व्यक्ति की तुलना में **अधिक गुणी माना जाता है।**
- **नैतिक दुविधाएँ** : ऐसी परिस्थितियों में जहाँ किसी कार्य के परिणाम अनिश्चित हों, आशय निर्णय लेने के लिये एक मूल्यवान मार्गदर्शक प्रदान कर सकता है।
  - यदि किसी कार्य के पीछे का आशय नैतिक है, **भले ही परिणाम नकारात्मक हो** , तो इसे नैतिक रूप से उचित निर्णय माना जा सकता है।

परिणाम का नैतिक महत्त्व:

- **सार्वजनिक हित:** सार्वजनिक सेवा में प्राथमिक लक्ष्य **सार्वजनिक हित की सेवा करना है** । इसके लिये अक्सर विभिन्न कार्यवाहियों के संभावित लाभ और हानि का मूल्यांकन करना पड़ता है।
  - सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देने वाले परिणामों को आमतौर पर **नैतिक रूप से वांछनीय माना जाता है।**
- **जवाबदेही:** सिविल सेवकों को उनके निर्णयों के परिणामों के लिये जवाबदेह ठहराया जाता है, **भले ही उनके आशय अच्छे हों।**
  - **इससे नैतिक रूप से कार्य करने की इच्छा और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की आवश्यकता के** बीच तनाव पैदा हो सकता है ।
- **नीति मूल्यांकन:** परिणाम नीति निर्माताओं के लिये मूल्यवान फीडबैक प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अपनी पहल की प्रभावशीलता का आकलन करने और आवश्यक समायोजन करने में मदद मिलती है।

आशय और परिणाम में संतुलन:

सिविल सेवकों के लिये नैतिक चुनौती यह है कि निर्णय लेने में आशय और परिणाम के महत्त्व को संतुलित करना।

- **केस-दर-केस विश्लेषण:** प्रत्येक निर्णय का मूल्यांकन उसके **अपने गुणों के आधार पर किया जाना चाहिये।** आशय और परिणाम के बीच संतुलन बनाने के लिये कोई एक तरीका नहीं है, **जो सभी के लिये उपयुक्त हो ।**
- **नैतिक ढाँचे:** निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये सिविल सेवक **उपयोगितावाद, कर्तव्य-सिद्धांत और सदाचार नैतिकता** जैसे नैतिक ढाँचे का सहारा ले सकते हैं ।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** पारदर्शिता और जवाबदेही यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि सिविल सेवक अपने निर्णयों के लिये जवाबदेह हों।
  - **अपने इरादों और अपने कार्यों के संभावित परिणामों के बारे में खुले और ईमानदार** होकर, सिविल सेवक जनता के साथ विश्वास कायम कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक सेवा में आशय बनाम परिणाम का नैतिक महत्त्व **एक जटिल मुद्दा है** जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जबकि दोनों कारक निर्णय लेने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, **प्रत्येक को दिया गया सापेक्ष भार विशिष्ट संदर्भ** और शामिल नैतिक सिद्धांतों के आधार पर भिन्न हो सकता है।

प्रश्न : 'नैतिक एजेंसी' का विचार सत्ता में आसीन व्यक्तियों की ज़िम्मेदारी को किस प्रकार प्रभावित करता है? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक एजेंसी और उसके प्रमुख घटकों को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये
- सत्ता में बैठे व्यक्तियों की बढ़ी हुई ज़िम्मेदारी के पक्ष में तर्क दीजिये
- सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये

परिचय:

नैतिक एजेंसी की अवधारणा , जो यह मानती है कि व्यक्ति **सूचित और नैतिक विकल्प बनाने में सक्षम हैं** , सत्ता के पदों पर बैठे लोगों की ज़िम्मेदारियों को समझने के लिये केंद्रित है।

- इन व्यक्तियों पर अपने प्रभाव और अधिकार के कारण, ईमानदारी के साथ तथा जिस जनता की वे सेवा करते हैं उसके सर्वोत्तम हित में कार्य करने का **नैतिक दायित्व बढ़ जाता है।**

नोट :

- **नैतिक एजेंसी के प्रमुख घटक**
  - **स्वायत्तता** : अनावश्यक बाहरी प्रभाव के बिना स्वतंत्र रूप से चुनाव करने की क्षमता।
  - **तर्कसंगतता** : तार्किक और आलोचनात्मक ढंग से विचार करने की क्षमता।
  - **चेतना** : स्वयं और अपने आस-पास के वातावरण के प्रति जागरूकता, जिसमें नैतिक विचार भी शामिल हैं।

मुख्य भाग:

सत्ता में बैठे व्यक्तियों की ज़िम्मेदारी बढ़ गई

- **निर्णयों का विस्तृत प्रभाव:** सत्ता में बैठे लोगों का प्रभाव क्षेत्र व्यापक होता है अर्थात उनके निर्णयों का प्रभाव बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ता है।
- **दिल्ली मेट्रो परियोजना के** प्रबंधन में **ई. श्रीधरन के निर्णयों** ने लाखों दैनिक यात्रियों, स्थानीय व्यवसायों और शहरी विकास को प्रभावित किया, जिससे यह पता चला कि एक नेता के चुनाव के कितने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
- **विशेषाधिकार प्राप्त सूचना तक पहुँच** : नेताओं के पास अक्सर ऐसी सूचना तक पहुँच होती है, जो आम जनता के लिये उपलब्ध नहीं होती, जिससे सूचित और नैतिक निर्णय लेने की उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है।
- **भारत के मिसाइल कार्यक्रम** में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के पास संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जानकारी तक पहुँच थी तथा उन पर **नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए देश की रक्षा के लिये इस ज्ञान का उपयोग करने की ज़िम्मेदारी थी।**
- **रोल मॉडल प्रभाव** : सत्ता में बैठे लोग रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं तथा अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों के व्यवहार और मूल्यों को प्रभावित करते हैं।
- **रोहित शर्मा** सभी खिलाड़ियों के साथ समान व्यवहार करके और छोटे साथियों को बड़े भाई की तरह समर्थन देकर **"रोल मॉडल प्रभाव"** का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ।
  - उनकी विनम्रता तथा समावेशिता से परिपूर्ण नेतृत्व शैली, युवा खिलाड़ियों को मैदान के अंदर और बाहर उनके दृष्टिकोण का अनुकरण करने के लिये प्रेरित करती है।
- **संसाधन नियंत्रण** : शक्तिशाली व्यक्ति अक्सर महत्त्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे **सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिवर्तन लाने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है।**
- **विप्रो में विशाल कॉर्पोरेट संसाधनों पर अजीम प्रेमजी का** नियंत्रण तथा अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के लिये दान करने का उनका निर्णय वित्तीय शक्ति के नैतिक उपयोग का उदाहरण है।
- **प्रणालीगत प्रभाव** : सत्ता में बैठे लोग **प्रणालियों और संस्थाओं को आकार दे सकते हैं** तथा अपने तात्कालिक कार्यों से परे दीर्घकालिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं।
- **मुख्य चुनाव आयुक्त** के रूप में टीएन शेषन के सुधारों ने भारत की चुनाव प्रणाली को नया रूप दिया तथा यह दर्शाया कि सत्ता में बैठे लोग किस प्रकार स्थायी संस्थागत परिवर्तन ला सकते हैं।
- **जटिलता से निपटने की क्षमता:** शक्ति अक्सर बड़े पैमाने पर जटिल समस्याओं से निपटने की क्षमता के साथ आती है, जिससे उन मुद्दों से निपटने की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, जिन्हें अन्य लोग नहीं सुलझा सकते।
- **कैलाश सत्यार्थी (बाल अधिकार कार्यकर्त्ता)** की अद्वितीय स्थिति ने उन्हें बाल श्रम के जटिल मुद्दे को संबोधित करने की अनुमति दी तथा यह प्रदर्शित किया कि किस प्रकार नेता बड़े पैमाने पर सामाजिक समस्याओं से निपट सकते हैं।
- **संगठनात्मक संस्कृति के लिये जवाबदेही:** सत्ता में बैठे लोग **अपने संगठनों की संस्कृति और नैतिक माहौल को आकार देते हैं** तथा अपने प्रभाव में रहने वाले लोगों के सामूहिक व्यवहार के लिये ज़िम्मेदारी उठाते हैं।
- **इंफोसिस में कॉर्पोरेट प्रशासन पर नारायण मूर्ति के ज़ोर ने नैतिक प्रथाओं के लिये माहौल तैयार किया, जिसने पूरे भारतीय आईटी उद्योग** की संस्कृति को प्रभावित किया।

निष्कर्ष:

नैतिक एजेंसी का विचार **सत्ता के पदों पर बैठे व्यक्तियों की ज़िम्मेदारियों को समझने के लिये मौलिक है।** ये व्यक्ति अपने प्रभाव और उन पर रखे गए भरोसे के कारण **ईमानदारी, निष्पक्षता तथा जिस जनता की वे सेवा करते हैं उसके सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिये एक उच्च नैतिक दायित्व वहन करते हैं।** अपनी नैतिक एजेंसी को पहचान कर और उसे पूरा करके नेता दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा दे सकते हैं तथा एक स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं।

प्रश्न : नैतिक विशिष्टतावाद की अवधारणा पर चर्चा कीजिये। यह पारंपरिक नियम-आधारित नैतिक ढाँचे के लिये किस प्रकार चुनौतीपूर्ण है? (150 शब्द)

नोट :

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- नैतिक विशिष्टतावाद को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- नैतिक विशिष्टतावाद के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा कीजिये।
- जानें कि नैतिक विशिष्टतावाद किस प्रकार पारंपरिक नैतिक ढाँचों को चुनौती प्रदान करता है।
- उचित निष्कर्ष निकालिये।

परिचय:

नैतिक विशिष्टतावाद एक नैतिक सिद्धांत है जो नैतिक निर्णय लेने में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को लागू करने के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है।

- यह तर्क, जो **जोनाथन डेंसी** जैसे दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह बताता है कि **किसी कार्य की नैतिकता उस विशेष संदर्भ पर निर्भर करती है जिसमें वह कार्य किया जाता है,** न कि पूर्व-निर्धारित नैतिक नियमों या सिद्धांतों के अनुपालन पर।

मुख्य भाग:

नैतिक विशिष्टतावाद के प्रमुख पहलू:

- **सार्वभौमिक सिद्धांतों की अस्वीकृति: नैतिक विशिष्टतावाद इस विचार को अस्वीकार करता है कि सार्वभौमिक नैतिक नियम** हैं जिन्हें सभी स्थितियों में लागू किया जा सकता है।
  - इसमें तर्क दिया गया है कि किसी कार्य की नैतिक स्थिति संदर्भ के आधार पर बदल सकती है।
  - **उदाहरण:** जबकि सच बोलना आमतौर पर नैतिक माना जाता है, ऐसी स्थिति में **जहाँ झूठ बोलने से किसी की जान बच सकती है**, विशेषवादी तर्क देंगे कि झूठ बोलना नैतिक विकल्प बन जाता है।
- **संदर्भ पर ज़ोर:** विशेषवादियों का मानना है कि किसी स्थिति की नैतिक विशेषताएँ **अत्यधिक संदर्भ पर निर्भर होती हैं।**
  - उनका तर्क है कि किसी विशिष्ट स्थिति की बारीकियों को समझना नैतिक निर्णय लेने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **उदाहरण:** चिकित्सा नैतिकता में **रोगी की स्वायत्तता के सिद्धांत का आमतौर पर सम्मान किया जाता है।** हालाँकि, गंभीर मानसिक बीमारी या खुद या दूसरों के लिये तत्काल खतरे के मामलों में, इस स्वायत्तता को दरकिनार करना सही कदम माना जा सकता है।
- **समग्र हल करने का दृष्टिकोण:** नैतिक विशिष्टतावाद पृथक नैतिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय **संपूर्ण स्थिति पर समग्र रूप से विचार करने की वकालत करता है।**
  - यह नैतिक निर्णय लेने में विभिन्न कारकों के अंतर्संबंध पर ज़ोर देता है।
  - **उदाहरण:** पर्यावरणीय नैतिकता में बाँध बनाने के निर्णय में **आर्थिक लाभ,** पर्यावरणीय प्रभाव, समुदायों का विस्थापन और दीर्घकालिक स्थिरता को शामिल किया जा सकता है, जिन सभी पर अलग-अलग विचार करने के बजाय एक साथ विचार किया जाना चाहिये।

नैतिक विशिष्टतावाद पारंपरिक नैतिक ढाँचे को चुनौती देता है:

- **कर्त्तव्यपरायण नैतिकता को चुनौती:** कर्त्तव्य और नियमों (जैसे, **इमैनुअल कांट के श्रेणीबद्ध आदेश**) पर आधारित कर्त्तव्यपरायण नैतिकता को विशेषवाद द्वारा सीधे चुनौती दी जाती है।
  - **विशेषवादियों का तर्क है कि नियमों का कठोरता से पालन करने से कुछ संदर्भों में नैतिक रूप से संदिग्ध परिणाम** सामने आ सकते हैं।
  - **उदाहरण:** नैतिक सिद्धांत **" कभी झूठ न बोलें" को** संघर्ष की स्थितियों में चुनौती दी जा सकती है, जहाँ झूठ बोलने से अधिक नुकसान को रोका जा सकता है या निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती है।
- **उपयोगितावाद की आलोचना: विशेषवाद एक ही सिद्धांत (समग्र खुशी/कल्याण को अधिकतम करना)** पर निर्भरता को चुनौती देता है।
  - विशिष्टतावादियों का तर्क है कि नैतिक स्थितियों की जटिलता को उपयोगिता की सरल गणना तक सीमित नहीं किया जा सकता।
  - **उदाहरण:** महामारी के दौरान संसाधन आवंटन में **उपयोगितावादी दृष्टिकोण सबसे अधिक जीवन बचाने को प्राथमिकता दे सकता है,** जबकि विशेषवादी दृष्टिकोण **इक्विटी, सामाजिक भेद्यता और दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव जैसे कारकों पर विचार कर सकता है।**
- **नैतिक निरपेक्षता की अस्वीकृति:** नैतिक विशिष्टतावाद नैतिकता में नैतिक निरपेक्षता या सार्वभौमिक सत्य के विचार का विरोध करता है।
  - यह सुझाव देता है कि **क्या सही है और क्या गलत, यह** विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकता है।

नोट :

- **उदाहरण:** निरंकुशवादी दृष्टिकोण कि **"हत्या करना हमेशा गलत है" को विशेषवादियों द्वारा चुनौती दी जाती है, जो तर्क दे सकते हैं कि आत्मरक्षा या न्यायपूर्ण युद्ध** के मामलों में, हत्या नैतिक रूप से उचित हो सकती है।

- **नैतिक निर्णय पर ज़ोर:** विशिष्टतावाद व्यक्तिगत नैतिक निर्णय और किसी स्थिति की नैतिक रूप से प्रासंगिक विशेषताओं को समझने की क्षमता पर अधिक ज़ोर देता है।
  - यह इस विचार को चुनौती देता है कि **नैतिकता को सार्वभौमिक नियमों या सिद्धांतों के समूह में संहिताबद्ध किया जा सकता है।**
  - **उदाहरण:** व्यावसायिक नैतिकता में, एक विशेषवादी दृष्टिकोण व्यक्तियों को केवल व्यावसायिक आचार संहिता पर निर्भर रहने के बजाय **सहानुभूति के आधार पर सूक्ष्म निर्णय विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।**
- **नैतिक शिक्षा में जटिलता:** विशिष्टतावाद नैतिक शिक्षा के पारंपरिक तरीकों को चुनौती देता है जो नैतिक नियमों या सिद्धांतों को पढ़ाने पर केंद्रित होते हैं।
  - **इसमें सुझाव दिया गया है कि नैतिक प्रशिक्षण को नैतिक धारणा और निर्णय विकसित करने** पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - **उदाहरण:** कानूनी नैतिकता शिक्षा में, केवल व्यावसायिक आचरण के नियमों को पढ़ाने के बजाय, एक **विशेषवादी दृष्टिकोण केस अध्ययन और नैतिक तर्क कौशल के विकास पर ज़ोर देगा।**

निष्कर्ष:

नैतिक विशिष्टतावाद नैतिक निर्णय लेने में संदर्भ, बारीकियों और व्यक्तिगत निर्णय के महत्त्व पर बल देकर पारंपरिक नियम-आधारित नैतिक ढाँचे के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है।

प्रश्न : "अभिवृत्ति एक छोटी सी अवधारणा है जो नैतिक नेतृत्व में बड़ा अंतर लाती है।" लोक प्रशासन के संदर्भ में इस कथन पर टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रश्न में दिये गए कथन का औचित्य सिद्ध करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- नैतिक नेतृत्व में दृष्टिकोण के प्रमुख पहलुओं पर गहराई से विचार कीजिये।
- लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण के प्रभाव पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

"रवैया एक छोटी सी चीज़ है जो नैतिक नेतृत्व में बड़ा अंतर लाती है" यह कथन , लोक प्रशासन के भीतर नैतिक आचरण को आकार देने में एक नेता की मानसिकता और दृष्टिकोण की महत्त्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

- यद्यपि नीतियाँ, नियम और प्रक्रियाएँ महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन अक्सर यह नेताओं का रवैया ही होता है जो **नैतिक व्यवहार का स्वर निर्धारित करता है** और समग्र संगठनात्मक संस्कृति को प्रभावित करता है।

नैतिक नेतृत्व में दृष्टिकोण के प्रमुख पहलू:

- **उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना:** नेताओं द्वारा नैतिक आचरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अधीनस्थों के लिये एक शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत करता है।
  - **उदाहरण :** जब एक वरिष्ठ नौकरशाह लगातार **रिश्वत लेने से इनकार करता है और निर्णय लेने में पारदर्शिता बनाए रखता है,** तो यह पूरे विभाग में इसी तरह के व्यवहार को प्रोत्साहित करता है।
- **ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना:** उचित दृष्टिकोण वाले नेता ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहाँ **नैतिक विचार सर्वोपरि हों।**
  - यह रवैया पूरे संगठन में व्याप्त है तथा दिन-प्रतिदिन के कार्यों और निर्णय लेने को प्रभावित करता है।
  - **राजनीतिक दबाव के बावजूद , केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता बनाए रखने के संबंध में** पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के रुख ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार एक नेता का नैतिक दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।
- **नैतिक संवाद को प्रोत्साहित करना :** नैतिक दुविधाओं पर चर्चा के प्रति खुला और ग्रहणशील रवैया नैतिक जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
  - **यह कर्मचारियों के लिये अपनी चिंताओं को व्यक्त करने** तथा नैतिक मुद्दों पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये एक सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराता है ।
  - **उदाहरण: केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा** मुखबिरी को प्रोत्साहित करने की पहल, नैतिक चिंताओं के समाधान के प्रति खुलेपन के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।
- **प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलापन:** सकारात्मक दृष्टिकोण नेताओं को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी नैतिक मानकों को बनाए रखने में मदद करता है।

नोट :

- यह उन **प्रलोभनों और दबावों का विरोध करने की शक्ति प्रदान करता है जो निष्ठा से समझौता कर सकते हैं।**
- **कोविड-19 महामारी से निपटने के लिये आईएएस राजेंद्र भट्ट का भीलवाड़ा मॉडल** एक प्रमुख उदाहरण माना जा सकता है।

लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण का प्रभाव:

- **सरकारी संस्थाओं में विश्वास:** सकारात्मक नैतिक दृष्टिकोण वाले नेता सरकारी संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाने में मदद करते हैं।
  - नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये यह विश्वास अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **कर्मचारी मनोबल और प्रेरणा:** नेतृत्व का नैतिक दृष्टिकोण कर्मचारियों के मनोबल और प्रेरणा पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। यह सार्वजनिक सेवा में गर्व और उद्देश्य की अनुभूति को बढ़ावा देता है।
- **बेहतर निर्णय-निर्माण:** एक सुसंगत नैतिक दृष्टिकोण सार्वजनिक प्रशासन में अधिक संतुलित और निष्पक्ष निर्णय-निर्माण की ओर ले जाता है।
  - यह उन जटिल नैतिक दुविधाओं से निपटने में मदद करता है जो अक्सर शासन में उत्पन्न होती हैं।
- **उन्नत सार्वजनिक सेवा वितरण:** एक नैतिक दृष्टिकोण बेहतर सेवा वितरण में परिवर्तित होता है, क्योंकि यह **व्यक्तिगत लाभ की तुलना में सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देता है।**
  - इससे सार्वजनिक संसाधनों का अधिक कुशल एवं प्रभावी उपयोग संभव हो सकेगा।
- **दीर्घकालिक संगठनात्मक सफलता:** नैतिक नेतृत्व दृष्टिकोण सार्वजनिक संस्थाओं की दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता में योगदान देता है।
- यह सकारात्मक प्रतिष्ठा और विरासत बनाने में मदद करता है।

निष्कर्ष:

लोक प्रशासन में नैतिकता के प्रति नेताओं का रवैया वास्तव में "एक छोटी सी बात है जो बड़ा अंतर उत्पन्न करती है।" यह **संगठनात्मक संस्कृति को आकार देता है, निर्णय लेने को प्रभावित करता है, जनता का विश्वास बनाता है** और अंततः शासन की प्रभावशीलता को निर्धारित करता है।

■■■

The Vision

नोट :

निबंध

1. करुणा में महानता, समानुभूति में सुंदरता और क्षमा में अनुग्रह है।
2. जब परिवर्तन की वायु प्रवाहित होती है तो उसके लिये कुछ लोग दीवारें बनाते हैं जबकि अन्य पवनचक्कियाँ बनाते हैं।
3. आर्थिक प्रगति लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के आधार पर नहीं हो सकती।
4. मनोभाव नरक को स्वर्ग और स्वर्ग को नरक बना सकता है।
5. वह राष्ट्र सशक्त होता है, जहाँ महिलाएँ सुरक्षित होती हैं।
6. निर्धनता का आशय केवल धन के अभाव से नहीं है, बल्कि अवसरों और विकल्पों से वंचित होने से भी है।
7. जीवन की महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है।
8. संदेह के क्षितिज के परे, समझरूपी प्रकाश है।
9. दया और न्याय परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित होते हैं।
10. ज्ञान की खोज एक विस्तारित चक्र के किनारे की यात्रा है।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :